वार्षिक रिपोर्ट 1988-89

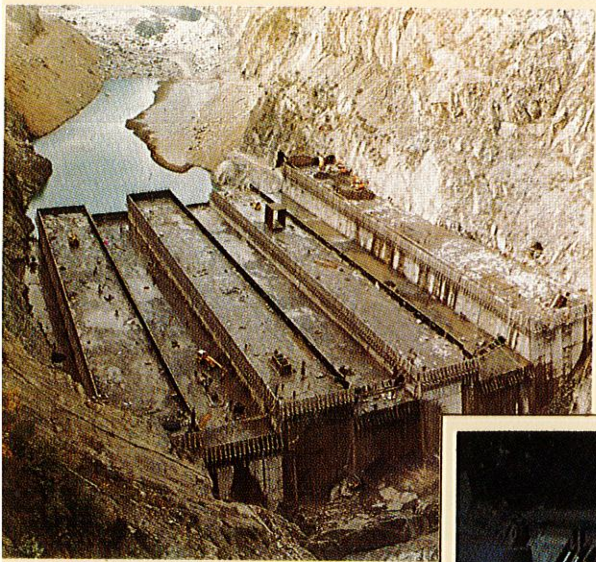

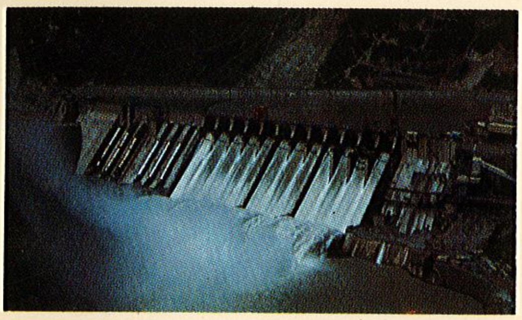

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि॰

चमेरा परियोजना (चरण-I) — कंक्रीट बांध का एक दृश्य

विषय-सूची

निदेशक मण्डल 2

अध्यक्षीय भाषण 3

निदेशकों की रिपोर्ट 6

लेखे 18

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 32

भारत के नियंत्रक व
महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 35

निदेशक मण्डल

अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

श्री एम.ए. हाई
(10.03.89 से)

श्री के.के. कश्यप
(10.03.89 तक)

निदेशकगण

श्री घनश्याम दास
निदेशक (वित्त)

श्री के.के. कश्यप
निदेशक (तकनीकी)
(07.11.89 तक)

ब्रिगे. आर.के. वर्मा,
ए.वी.एस.एम.
निदेशक (कार्मिक)
(15.5.89 से)

श्री वी.के. खन्ना

श्री यू.वी. भट्ट

श्री जे.सी. गुप्ता

डा. सी.डी. थाट्टे
(20.04.89 से)

कम्पनी सचिव व प्रमुख (विधि)

श्री एन.वी. रामन

लेखापरीक्षकः

सांविधिक लेखापरीक्षक

मै. बब्बर जिन्दल एण्ड कम्पनी,
चार्टर्ड एकाउंटैंट्स,
3072, प्रताप स्ट्रीट,
गोला मार्किट, दरिया गंज,
नई दिल्ली-110002

संयुक्त शाखा लेखापरीक्षक

मै. बहल गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स,
चार्टर्ड एकाउंटैंट्स,
ए-9/34, वसन्त विहार,
नई दिल्ली-110057

मै. जैन गोयल एण्ड स्वामी
चार्टर्ड एकाउंटैंट्स,
3993-ए/10, रघू गंज,
चावड़ी बाजार,
दिल्ली-110006

मै. गुहा नन्दी एण्ड कम्पनी,
चार्टर्ड एकाउंटैंट्स,
कॉमर्स हाउस,
5वीं मंजिल, कमरा नं. 8-डी. एण्ड 8-ई.,
2-ए, गनेश चन्द्रा ऐवन्यू,
कलकत्ता-700013

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
पंजाब नैशनल बैंक
सिंडीकेट बैंक
सैंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

पंजीकृत कार्यालय

''हेमकुंट टावर'',
98, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली-110019

श्री एम.ए. हाई, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एन.एच.पी.सी. उड़ी परियोजना के लिए स्वीडिश कंसोर्टियम के साथ करार पर हस्ताक्षर करते हुए।

अध्यंक्षीय भाषण

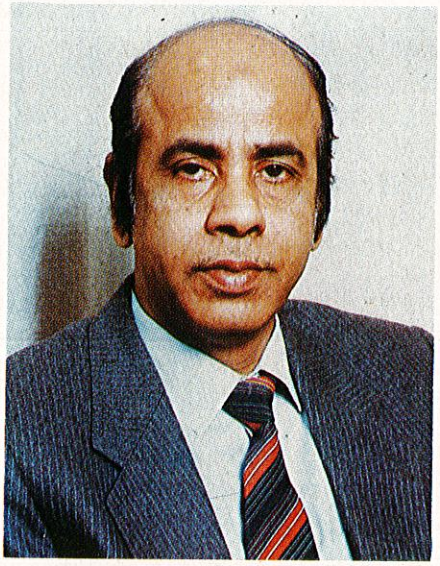

कारपोरेशन ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 51.89 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दिखाया है जो कि पिछले वर्ष के दौरान दिखाये गये लाभ से 113.89% अधिक है। कारपोरेशन की कार्यरत इकाइयों तथा चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम में वर्ष 1987-88 के दौरान 2189.53 मिलियन यूनिटों की तुलना में 4527.81 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन/ट्रांसमिशन हुआ। यह उत्पादन लक्ष्य का 100.9% था। इसी प्रकार कार्यरत यूनिटों की क्षमता उपयोगिता वर्ष 87-88 में 92.21% से बढ़कर वर्ष 1988-89 के दौरान 94.97% हो गयी।

मुझे यह सूचित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार के अनुमोदन से इस कारपोरेशन की प्राधिकृत हिस्सा पूँजी 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1300 करोड़ रुपये कर दी गयी है। कार्यभार में सम्भावित वृद्धि को देखते हुए निकट भविष्य में प्राधिकृत हिस्सा पूँजी को और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

कारपोरेशन, लाभभोक्ताओं से आने वाले राजस्व की राशि के बकाया को कम से कम करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के अन्त में बकाया राशि 160.53 करोड़ रुपये थी।

भारत सरकार ने सलाल चरण-1 परियोजना को स्वामित्व आधार पर नवम्बर, 87 में कारपोरेशन को सौंपने के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन कर दिया है। इस सम्बन्ध में कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। भारत सरकार ने गुजरात में 900 मेगावाट की कच्छ टाइडल पावर परियोजना को भी निष्पादनार्थ कारपोरेशन को सौंपने का निर्णय किया है।

कारपोरेशन के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण वर्ष के दौरान चमेरा तथा टनकपुर परियोजनाओं में निर्माण गतिविधियों की प्रगति में रुकावट आई है। चमेरा परियोजना में भारी बाढ़ के कारण निर्माण कार्य की प्रगति रुक गयी और इसी कारण परियोजना को पूरा करने के कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ा। इस परियोजना में निर्माण गतिविधियों की गति को सुदृढ़ करने के लिए कुछ समय पहले ही काफी कदम उठाये गये हैं। उठाये गये इन कदमों के परिणाम सामने आने लगे हैं और पिछले कुछ महीनों से मास कंक्रीटिंग की गति में काफी तेजी आ गयी है। कारपोरेशन और प्रोजेक्ट में कार्यरत विभिन्न निर्माण एजेंसियों के बीच कुछ मुख्य मामले निदेशक मण्डल द्वारा की गयी पहल के द्वारा सुलझा दिये गये हैं। अतः अब निर्माण की प्रगति में और तेजी आएगी।

टनकपुर परियोजना में भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण निर्माण गतिविधियां रुक गयी थी। इसे अब राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से लगभग निबटा लिया गया है। परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के बहुत से हिस्से का वर्ष के दौरान अधिग्रहण कर लिया गया है।

कारपोरेशन द्वारा विस्तृत कार्य करने के बाद टनकपुर और चमेरा परियोजनाओं के लिए संशोधित नेटवर्क तैयार किये गये हैं। आशा है कि टनकपुर जल-विद्युत परियोजना की पहली इकाई दिसम्बर, 1991 में शुरू हो जायेगी और यह परियोजना मार्च, 1992 तक चालू हो जायेगी। चमेरा-1 के दिसम्बर, 1992 तक चालू हो जाने की सम्भावना है।

390 मेगावाट की दुलहस्ती और 480 मेगावाट की उड़ी जल-विद्युत परियोजनाओं के क्रमशः फ्रांसीसी और स्वीडी कंसोर्टिया द्वारा टर्नकी निष्पादन के लिए केन्द्र सरकार ने अनुमोदन कर दिया है। दुलहस्ती परियोजना के लिए फ्रांसीसी ठेकेदारों के साथ 8.9.1989 को वाणिज्यिक ठेकों पर हस्ताक्षर हो गये हैं। भारत सरकार और फ्रांसीसी सरकार के मध्य वित्तीय प्रोटोकॉल पर 12.9.1989 को हस्ताक्षर हो गये थे और परियोजना के लिए धन सम्बन्धी क्रेडिट करार पर 20.9.1989 को कारपोरेशन ने हस्ताक्षर कर दिये थे। काम शुरू करने के लिए ठेकेदारों को आदेश 11 अक्तूबर, 1989 को दे दिया गया है और इस तारीख से 57 महीनों के अन्दर परियोजना का कार्य पूरा किया जाना है। जहाँ तक उड़ी परियोजना का सम्बन्ध है, उसके लिए 27 अक्तूबर, 1989 को वाणिज्यिक ठेकों पर हस्ताक्षर हुए और 31 अक्तूबर, 1989 तथा 2 नवम्बर, 1989 को वित्तीय करारों पर हस्ताक्षर हुए। काम शुरू करने के लिए 16 नवम्बर, 1989 को ठेकेदारों को आदेश दे दिया गया है और इस तारीख से 72 महीनों के भीतर परियोजना पूरी की जानी है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 345 मेगावाट की सलाल चरण-2 परियोजना को देशी साधनों से पूरा करने हेतु भी मंजूरी दे दी है।

सितम्बर, 1989 में लोक निवेश बोर्ड ने 60 मेगावाट की रंगित परियोजना (सिक्किम) को मंजूरी दी। यह कारपोरेशन 450 मेगावाट की बगलिहार, 600 मेगावाट की सावलकोट और 280 मेगावाट की धौलीगंगा परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के निवेश निर्णय हेतु प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे रही है। इन सभी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वन सम्बन्धी मंजूरियां कारपोरेशन ने ले ली हैं।

कोयलकारो परियोजना का जहाँ तक सम्बन्ध है, फरवरी,

1989 में स्थानीय लोगों की ओर से दाखिल की गयी रिटयाचिका का सर्वोच्च न्यायालय ने अन्तिम निर्णय दे दिया है। कारपोरेशन इस परियोजना के निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए निवेश पर लगायी गयी वर्तमान सीमा को हटाने के लिए भारत सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है।

कारपोरेशन उत्तर प्रदेश में शारदा घाटी में और जम्मू कश्मीर में किशनगंगा के लिए अन्वेषण कार्य जारी रखे हुए है। एन.एच.पी.सी. सिक्किम में तीस्ता परियोजना (चरण-3) में अतिरिक्त अन्वेषण कार्य कर रही है ताकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा सके।

विश्व बैंक से वित्त प्राप्ति के लिए एन.एच.पी.सी. का उत्तर क्षेत्रीय ट्रांसमिशन सिस्टम तैयार है। कारपोरेशन द्वारा बनाई जा रही सभी चालू ट्रांसमिशन लाइनों पर कार्य वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रहा है। 132 के.वी. की लीमातक-जिरीबाम ट्रांसमिशन लाईन इस वर्ष के दौरान चालू कर दी गयी थी।

कारपोरेशन 8वीं योजना अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर और चुनौती पूर्ण निर्माण गतिविधियां शुरू कर रही है। इस योजना अवधि के दौरान पांच परियोजनाओं को चालू करने का कार्यक्रम है तथा 9वीं योजना अवधि के दौरान पूरी की जाने वाली कई नयी परियोजनाओं पर भी कार्य शुरू किया जायेगा। एन.एच.पी.सी. आठवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय पावर ग्रिड में 1455 मेगावाट बिजली का योगदान करेगा और अगले पाँच वर्षों के दौरान बहुत सी महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन लाईनों के निर्माण के लिए भी अन्तिम कार्रवाई की जा रही है। कारपोरेशन आठवीं योजना के दौरान लगभग 9200 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश करना चाहती है। यह किसी भी योजना अवधि के दौरान अपने आप में सबसे बड़ी पहल है।

सलाल-2 परियोजना को लोक निवेश बोर्ड से मंजूरी मिलने के तुरन्त बाद कारपोरेशन ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अग्रिम कार्रवाई की। तद्नुसार बिजली उत्पादन इकाइयों, सम्बद्ध सामग्री और फालतू पुर्जों की खरीद के लिए बी.एच.ई.एल. को आदेश दिये गये। टेलरेस सुरंग निर्माण के लिए भी टैंडर जारी किये गये। भारत सरकार ने सितम्बर, 1989 में निवेश निर्णय दिया।

संगठनात्मक परिवर्तन :

बढ़े हुए कार्यभार का सामना करने के लिए निदेशक मण्डल ने कुछ संगठनात्मक परिवर्तनों का अनुमोदन किया। नये संगठनात्मक ढाँचे के अन्तर्गत चार क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिन्हें परियोजना सम्बन्धी कार्यों के नियंत्रण, मार्ग-निर्देशन और प्रबन्धन सम्बन्धी पर्याप्त प्राधिकार सौंपे गये हैं।

कारपोरेट कार्यालय स्तर पर एक प्रबन्ध समिति का गठन किया गया है जिसमें सभी परियोजनाओं के अध्यक्ष एवं कारपोरेट कार्यालय के सभी विभाग हैं। इस समिति की समय-समय पर बैठक हुआ करेगी जिसमें परियोजनाओं की विभिन्न समस्याओं और उनके लिए अपेक्षित उपचारात्मक उपायों पर चर्चा होगी। कारपोरेट कार्यालय में एक कार्यकारी समिति भी बनाई गयी है जिसमें सभी निदेशक और कार्यकारी निदेशक होंगे। इसमें कारपोरेशन के दिन प्रतिदिन के सुचारू प्रबन्धन को सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होगा। निर्माणाधीन परियोजनाओं में सामने आने वाली कठिनाइयों की पहचान करने और उनके लिए दुरूतनिदानात्मक उपाय सुझाने के लिए कारपोरेट कार्यालय में अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के दल बनाये गये हैं। ये दल हर महीने सक्रिय निर्माणाधीन परियोजनाओं का दौरा करेंगे और कठिनाइयां, यदि कोई हैं, को देखेंगे और अपेक्षित उपचारात्मक उपाय करेंगे। लागत पर प्रभावी नियंत्रण रखने और लागत अनुमानों की तैयारी में पर्याप्त सावधानी सुनिश्चित करने की दृष्टि से, कारपोरेट कार्यालय में एक लागत इंजीनियरी डिविजन की स्थापना की गयी है।

कारपोरेशन की विभिन्न परियोजना स्थलों पर वनरोपण कार्यक्रम बराबर चल रहे हैं। कैचमेंट एरिया के डेवेल्पमेंट सम्बन्धी मामलों के बारे में सरकार से बातचीत की गयी है ताकि कारपोरेशन की जिम्मेदारी कहां तक है, इसका निर्धारण किया जा सके।

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास :

कारपोरेशन अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास पर बराबर जोर देती है। वर्ष 1988-89 के दौरान बहुत सारे इनहाउस कार्यक्रम आयोजित किये गये और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित गोष्ठियों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए अपने कर्मचारी भेजे गये। 288 कर्मचारियों ने इनहाउस कार्यक्रमों में भाग लिया और 155 ने अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया।

कल्याण सम्बन्धी कार्य :

कारपोरेशन अपने कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए कल्याण सम्बन्धी कार्यों पर सदा विशेष ध्यान देती रही है। इस वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल ने चमेरा-1 और टनकपुर परियोजनाओं में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना की मंजूरी दी।

औद्योगिक सम्बन्ध :

इस वर्ष के दौरान औद्योगिक सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहे। कारपोरेशन ने कर्मचारियों (वर्कमैन) के प्रतिनिधियों के साथ एक वेतन करार पर हस्ताक्षर किये जिससे कुल कर्मचारी बल का 80 प्रतिशत भाग लाभान्वित हुआ।

मैं इस अवसर पर माननीय केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री, माननीय विद्युत राज्य मंत्री और सचिव (विद्युत) द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के लिए उनका आभारी हूँ। बोर्ड विद्युत विभाग और भारत सरकार के अन्य विभागों, विशेष रूप से वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग, सी.एस. एण्ड एम.आर.एस., भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण अदि जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा दिये गये सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। बोर्ड, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षकों, विभिन्न राज्य

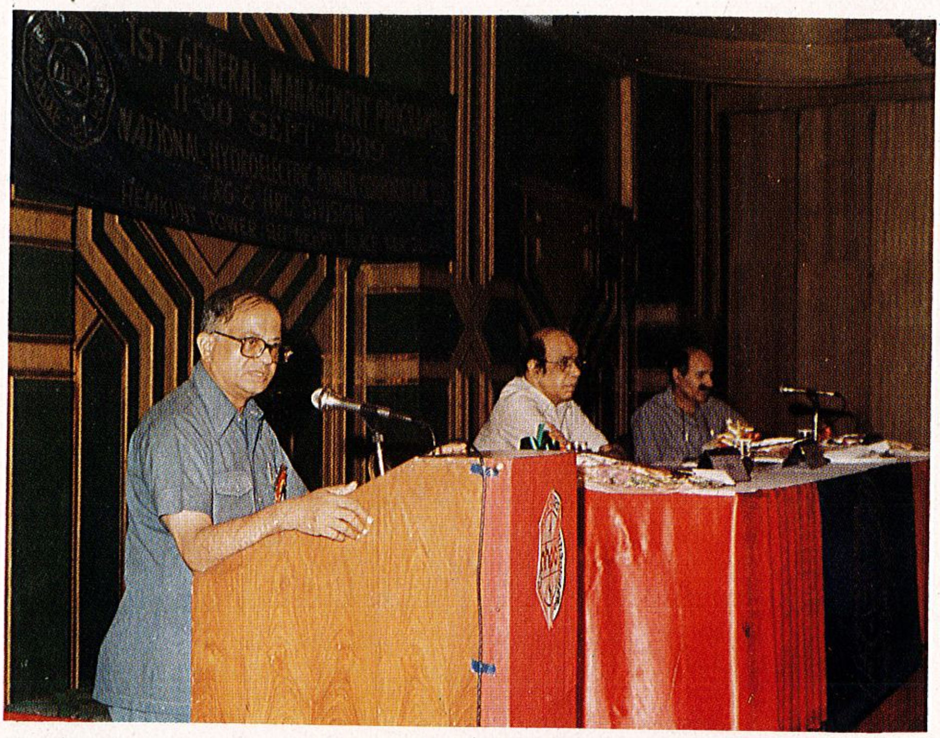

श्री एस. राजगोपाल, सचिव (विद्युत), भारत सरकार — पहले सामान्य प्रबंध कार्यक्रम का उद्‌घाटन करते हुए।

सरकारों और उन राज्य बिजली बोर्डों को जो अपने-अपने राज्यों में हमें सहयोग दे रहे हैं, का भी आभारी है। मैं अपने सहयोगी निदेशकगणों का भी कारपोरेशन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं कारपोरेशन के सभी स्तरों के कर्मचारियों द्वारा किये गये निष्ठा व परिश्रमपूर्ण कार्य, जो कारपोरेशन को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिया है, की विशेष रूप से प्रशंसा करता हूं।

एम. ए. हाई

(एम.ए. हाई)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

1 दिसम्बर, 1989

निदेशकों की रिपोर्ट

हिस्सेदारों की सेवा में

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों की लेखापरीक्षित विवरणी सहित 13वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

1.क. कार्यरत पावर स्टेशन :

वर्ष के दौरान कार्यरत स्टेशनों-बैरास्यूल, लोकतक और सलाल (चरण-1) में लक्ष्य से अधिक वास्तविक विद्युत उत्पादन हुआ। इनमें पिछले वर्ष के 92.21 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष के दौरान 94.97 प्रतिशत की कुल क्षमता उपयोगिता प्राप्त हुई।

1. बैरास्यूल पावर स्टेशन (3×60 मेगावाट) (हिमाचल प्रदेश)

सितम्बर, 1988 के अन्तिम सप्ताह के दौरान पावर हाउस में अभूतपूर्व वर्षा हुई। सितम्बर, 1988 के अन्त तक यूनिट-II के शीर्ष कवर पर भारी रिसाव दिखाई दिया अतः रिसाव स्थल को निश्चित करने के लिए टरबाइन के जलगत हिस्सों की जांच करना आवश्यक हो गया। स्क्रॉलकेस, गाइडवेन आदि के निरीक्षण के दौरान स्क्रॉलकेस के संकरे हिस्से में पत्थर के टुकड़े और कंक्रीट पाई गयी थी। यूनिट-3 के निरीक्षण में भी कंक्रीट और पत्थर के टुकड़े पाए गए थे।

यूनिट-2 और 3 के स्क्रॉलकेस में पत्थरों के टुकड़े और कंक्रीट मिलने के बाद कारपोरेट कार्यालय के डिजाइन खण्ड के अधिकारियों ने 26-28 अक्तूबर, 1988 को परियोजना का दौरा किया। यह देखने में आया कि सुरंग को कुछ क्षति पहुँची है और सुरंग के क्षतिग्रस्त भाग से पत्थर के टुकड़े/कंक्रीट बाहर निकले हुए हैं। अतः क्षतिग्रस्त सुरंग का वास्तविक निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया।

तद्नुसार निरीक्षण के लिए 13.12.1988 को वाटर कंडक्टर सिस्टम बन्द कर दिया गया। वाटर कंडक्टर सिस्टम की पानी निकासी 13.12.88 से चालू हुई और 28.12.1988 को पूरी हुई। निदेशक बोर्ड ने इसके लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया और इसके अनुसार एक समिति गठित की गयी थी। पानी निकासी के पश्चात् तत्काल कारपोरेशन की विशेषज्ञों की टीम ने सुरंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात दल ने विस्तृत उपचारी कदम उठाए जाने की सिफारिश की। उपचारी उपाय पूरे किए गए जिन पर लगभग 7.50 लाख रुपये की लागत आयी और परियोजना में विद्युत उत्पादन पुनः दिनांक 14.2.1989 से चालू हुआ।

सुरंग की उपर्युक्त क्षतियों और उपचारी उपायों को पूरा करने में लगे समय से पावर स्टेशन के विद्युत उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1988-89 के दौरान बैरास्यूल पावर स्टेशन में 750 मि.यू. के लक्ष्य की तुलना में 704.07 मि.यू. बिजली का उत्पादन हुआ।

2. लोकतक पावर स्टेशन (3×35 मेगावाट) (मणिपुर)

जैसाकि आपको मालूम है, लोकतक पावर स्टेशन में

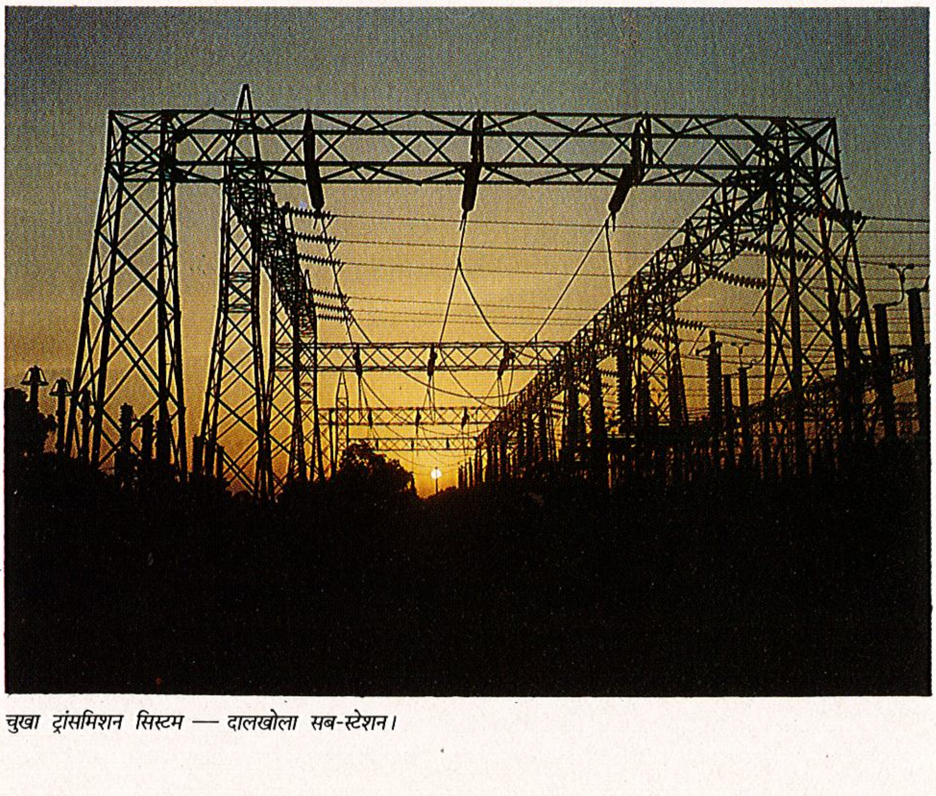

चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम — दालखोला सब-स्टेशन।

अधिकतम बिजली उत्पादन की प्राप्ति में कुछ समस्याएं आई हैं।

पावर स्टेशन में बिजली उत्पादन दो कारणों से प्रभावित हुआ था :-

(1) पारेषण अवरोध; और

(2) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कम मांग।

पारेषण अवरोध :

(1) मणिपुर सरकार के स्वामित्व और रख-रखाव वाली 132 के.वी. लोकतक-जिरीबाम पारेषण लाइन का बार-बार गिर जाना।

(2) 132 के.वी. इम्फाल-दीमापुर-मरयानी पारेषण लाइन की लम्बाई 275 कि.मी. होने के कारण उसकी बिजली ले जाने की सीमित क्षमता।

उपर्युक्त अवरोधों को दूर करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :-

(1) आपकी कम्पनी ने लोकतक से जिरीबाम तक दूसरी 132 के.वी. सिंगल सरकिट पारेषण लाइन का निर्माण किया। यह लाइन जुलाई, 1989 में चालू हो गई है। इस लाइन से जिरीबाम की तरह लोकतक पावर की निकासी में भी सुधार आयेगा।

(2) वर्ष के दौरान नीपको ने 132 के.वी. जिरीबाम-आइजवाल-कुमेरघाट पारेषण लाइन चालू की थी। नीपको द्वारा आजमाइशी आधार पर कोपिली और खण्डोंग पावर स्टेशनों के साथ-साथ लोकतक पावर स्टेशन अक्तूबर, 1988 में यानि एक ही समय में बनाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ये स्टेशन लगातार समकालिक चल रहे हैं। लोकतक पावर मिजोरम और त्रिपुरा को भी दी जा रही है। इसमें लोकतक की बिजली के उपयोग में सुधार हुआ है।

(3) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न लाभभोक्ताओं के बीच लोकतक की बिजली का औपचारिक तौर पर आबंटन किया जाना है ताकि त्रिपुरा और मिजोरम उन्हें दी गई बिजली का उपयोग कर सके। इस सम्बन्ध में विद्युत विभाग से बातचीत चल रही है।

(4) एन.एच.पी.सी. ने पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाली 220 के.वी. की बीरपाड़ा-बोंगईगांव डबल सरकिट ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कर दिया है। इस लाइन की आजमाइश 27.2.1987 को की गई थी।

यह लाइन पूर्वी और उत्तर पूर्वी बिजली बोर्ड के बीच प्रचालनात्मक सिद्धान्तों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण संचलित नहीं की जा सकी है। प्रचलनात्मक मुद्दे छांटे जा रहे हैं। फिलहाल इस लाइन को उपयोग में लाने के लिए वाणिज्यिक मुद्दों को अन्तिम रूप देना बाकी है।

लोकतक पावर स्टेशन में वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन में ट्रांसमिशन और मांग अवरोध हैं, 374.563 मि.यू. लक्ष्य की तुलना में 410 मि.यू. कम थी। वर्ष के दौरान दो/तीन मशीन 359 दिनों के लिए उपलब्ध थी। लोकतक परियोजना एक वार्षिक स्टोरेज स्किम होने के बाद भी उसमें वर्षाकालीन अवधि को छोड़कर शेष वर्ष के दौरान पानी की कमी नहीं रही थी।

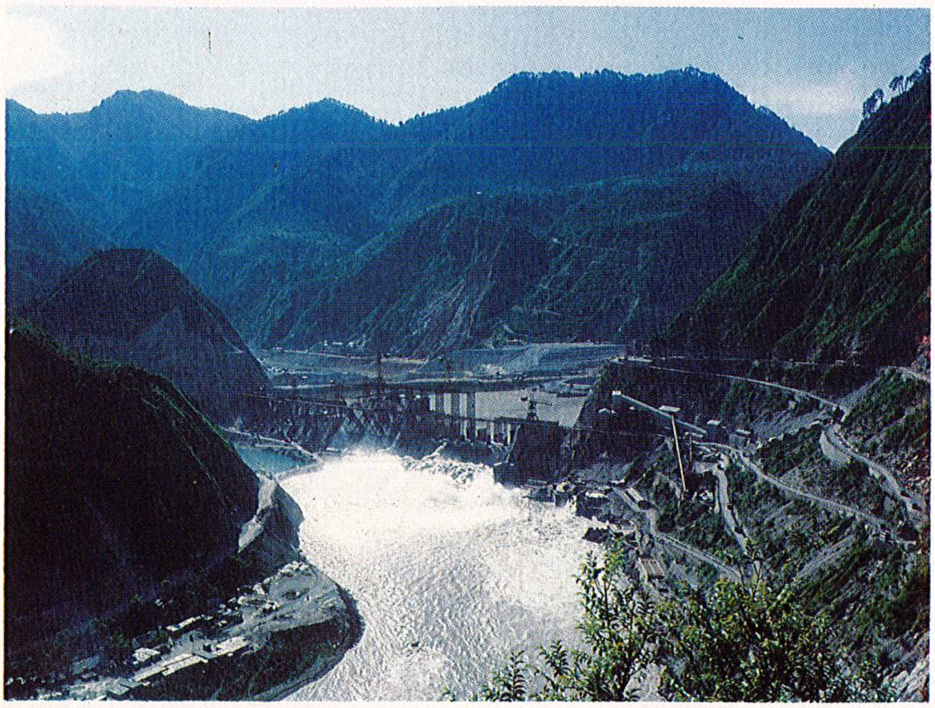
सलाल परियोजना (चरण-I) —एक दृश्य

पारेषण अवरोधों में सुधार के साथ ही भार में वृद्धि होगी जिससे चालू वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी होती रहेगी।

3. सलाल पावर स्टेशन (चरण-1) (3×115 मेगावाट) (जम्मू व कश्मीर)

वर्ष 1988-89 के दौरान सलाल पावर स्टेशन में 2148.30 मि.यू. की तुलना में 2038 मि.यू. ऊर्जा उत्पादन हुआ जिसकी क्षमता उपयोगिता 105.41 प्रतिशत थी।

वर्ष के दौरान भारत सरकार ने सलाल जल विद्युत परियोजना (चरण-I) को सैद्धान्तिक तौर पर स्वामित्व आधार पर 1.11.1987 से एन.एच.पी.सी. को हस्तान्तरण के निर्णय की सूचना दी। कारपोरेशन ने इस निर्णय को लागू करने के लिए अपेक्षित करारों को अन्तिम रूप देने के लिए आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की।

4. चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम

चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान कुल बिजली की 1300.872 मि.यू. की तुलना में 1374.00 मि.यू. की प्राप्ति और पारेषण किया गया था। चुखा हाइडल परियोजना में कम बिजली उत्पादन के कारण यह कमी हुई है।

लाभभोक्ताओं से बकाया देयताएं

कम्पनी द्वारा दी गयी बिजली के लिए विभिन्न लाभभोक्ताओं की तरफ दिनांक 31.3.1989 को 160.53 करोड़ रुपये की देयताएं बकाया हैं। यह राशि वर्ष के दौरान कम्पनी के बिजली की बिक्री के व्यवसाय का लगभग 80.62 प्रतिशत बनता है। इस भारी बकाया राशियों से आपकी कम्पनी के प्रचालनात्मक कार्य प्रभावित हुए। इस मामले की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए देयताओं की वसूली में सुधार लाने के लिए कम्पनी ने विभिन्न कदम उठाए जिनमें से कुछ नीचे दिए अनुसार हैं :-

(1) लाभभोक्ताओं के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित की गई।

(2) देयताओं की वसूली के लिए ऊर्जा मंत्रालय, योजना आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की भी सहायता ली गई थी।

(3) लाभभोक्ताओं को रिवोलविंग लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने के लिए राजी किया गया।

समस्या का संतोषजनक तरीके से समाधान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि देयताओं की वसूली में बढ़ोत्तरी सुनिश्चित की जा सके।

ख. निर्माणाधीन परियोजनाएं

1. कोयलकारो जल-विद्युत परियोजना (4×172.5 मेगावाट+1×20 मेगावाट) (बिहार)

इस वर्ष के दौरान कोयलकारो जल-विद्युत परियोजना के संबंध में उल्लेखनीय प्रगति हुई। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक तौर पर मंजूर किए गए संशोधित परियोजना अनुमान 870.79 करोड़ रुपये (शुद्ध) जमा निर्माण के दौरान ब्याज (आई.डी.सी.) के 167.18 करोड़ रुपये थे। सम्बद्ध ट्रांसमिशन लाइनों के तकनीकी-आर्थिक मंजूरी के लिए भी वर्ष के दौरान 32.22 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। स्थानीय लोगों की ओर से उच्चतम न्यायालय में दायर की गई याचिका का अन्तिम निपटान उच्चतम न्यायालय द्वारा 6 फरवरी, 1989 को कर दिया गया था। परियोजना से होने वाले विद्युत उत्पादन की बिजली की खरीद के लिए लाभभोक्ताओं के साथ सैद्धान्तिक रूप से करार किए गए हैं। परियोजना के लिए वन मंजूरी पर्यावरण व वन मंत्रालय के विचाराधीन हैं। ट्रांसमिशन लाइनों के लिए वन मंजूरी के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव विचाराधीन है।

मुख्य सचिव, बिहार सरकार, ने एक बैठक 1.4.89 को बुलाई थी जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि बिहार सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करना चाहती है।

बिहार सरकार ने बताया है कि इसके लिए 540 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण शीघ्र किया जा सकता है बशर्ते कि इसके लिए आपकी कम्पनी लगभग 2.17 करोड़ रुपए देने को तैयार हो। फिलहाल 8 करोड़ रुपए तक की निवेश की मंजूरी दी गई है। इसके लिए विद्युत विभाग से बात की गई है और उनसे भूमि अधिग्रहण और परियोजना में निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए भी आवश्यक धनराशि देने के लिए कहा गया है।

2. टनकपुर जल-विद्युत परियोजना (3×40 मेगावाट) (उत्तर प्रदेश)

निर्माण कार्य के लिए अपेक्षित भूमि न मिलने के कारण परियोजना की निर्माण गतिविधियों में भारी अड़चन आई थी। वर्ष के दौरान परियोजना कार्य के लिए अपेक्षित शेष भूमि के अधिग्रहण में पर्याप्त प्रगति हुई। इस दौरान लगभग 100 हेक्टेयर भूमि का कब्जा लिया गया। इसके साथ ही परियोजना के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है लेकिन टेलरेस चैनल और बाइपास चैनल के निर्माण के लिए अपेक्षित बनबसा केनाल की 27.31 हेक्टेयर वन भूमि इसमें शामिल नहीं है। इस समय भूमि के हस्तान्तरण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत है और इसकी आवश्यक मंजूरी जल्दी ही प्राप्त होने की आशा है।

पावर हाउस के यूनिट-1, 2, और 3 के लिए ड्राफ्ट ट्यूबों का उत्थापन और यूनिट 1 के लिए स्क्रौल केसिंग का उत्थापन पूरे कर लिए गये थे। पावर चैनल में 222.5 टी.एम.^{3} की खुदाई और 177.9 टी.एम.^{3} की भराई पूरी कर ली गयी थी जबकि लक्ष्य 170 टी.एम.^{3} की खुदाई और 166 टी.एम.^{3} की भराई का था।

टनकपुर परियोजना — निर्माणाधीन पावर हाउस

220 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन पर स्टब सैटिंग का कार्य 1988-89 के दौरान आरम्भ किया गया था और कुल 75 नग स्टैब पूरे कर लिये गये थे।

पावर चैनल और टेलरेस चैनल के लिए ठेके दे दिये गये हैं।

बराज के 15 बेज़ पर कार्य वर्ष के दौरान पूरा कर लिया गया था और शेष बेज का कार्य चल रहा है। गेटों का उत्थापन और पिस्ट्रैक्ट कंक्रीट ब्रिज का निर्माण कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है और कार्य की संतोषजनक प्रगति चल रही है। मैर्सस एच.एस.सी.एल. ने वर्ष के दौरान लक्ष्य 169.65 टी.एम.^{3} के मुकाबले 97.16 टी.एम^3 की बराज में कंक्रीटिंग की है। प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तर पर कई बैठकें आयोजित की गयी हैं। इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप कुछ सीमा तक प्रगति में सुधार हुआ है।

सिल्ट इजेक्टर का कार्य मई, 1988 के दौरान आरम्भ हो गया था और खुदाई का कार्य मार्च, 1989 में पूरा कर लिया गया था। कंक्रीटिंग का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है।

निदेशक मण्डल ने जनवरी, 1989 में एक समिति गठित की है जो टनकपुर और चमेरा परियोजनाओं को पूरा करने का असली कार्यक्रम तैयार करेगी। इस समिति ने 16 जून, 1989 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। निदेशक मण्डल ने 6 जुलाई, 1989 को हुई अपनी बैठक में इस रिपोर्ट पर विचार किया था। विद्युत उत्पादन यूनिटों को चालू करने के सम्बन्ध में समिति द्वारा पाये गये निष्कर्ष को बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया और यह कार्यक्रम नीचे दिये अनुसार है :

यूनिट-1	—	जनवरी, 1992
यूनिट-2	—	फरवरी, 1992
यूनिट-3	—	मार्च, 1992

अनुमान और ख़र्च

परियोजना अनुमान संशोधित किये गये हैं और अनुमोदित लागत 168.65 करोड़ रुपये (शुद्ध) (निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर) के मुकाबले संशोधित लागत अनुमान मई, 1989 तक 304.37 करोड़ रुपये (शुद्ध) (निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर) हैं। इन अनुमानों की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। अनुमानों में वृद्धि मुख्यतः मूल्यवृद्धि, अपर्याप्त व्यवस्था और नयी वस्तुओं के डिजाइन/निर्माण आयोजना में परिवर्तन के कारण हुई है।

इस परियोजना पर मार्च, 1989 तक 170.69 करोड़ रुपये का कुल खर्च आया है।

3. चमेरा जल विद्युत परियोजना (चरण-1) (3 × 180 मेगावाट) (हिमाचल प्रदेश)

वर्ष 1988-89 के दौरान परियोजना में तीन बार अभूतपूर्व बाढ़ आई थी, जिससे कार्य की प्रगति में बाधा पड़ी। उसकी वजह से विभिन्न कार्य स्थलों को जाने वाली पहुँच रोड क्षतिग्रस्त हो गयी, दोनों कॉफरबाँध क्षतिग्रस्त हो गये और बाँध में सिल्ट और कॉफर बाँध सामग्रियां बह गयी थीं। बेलीब्रिज जोकि पॉवर हाउस परिसर को जाने वाला एक

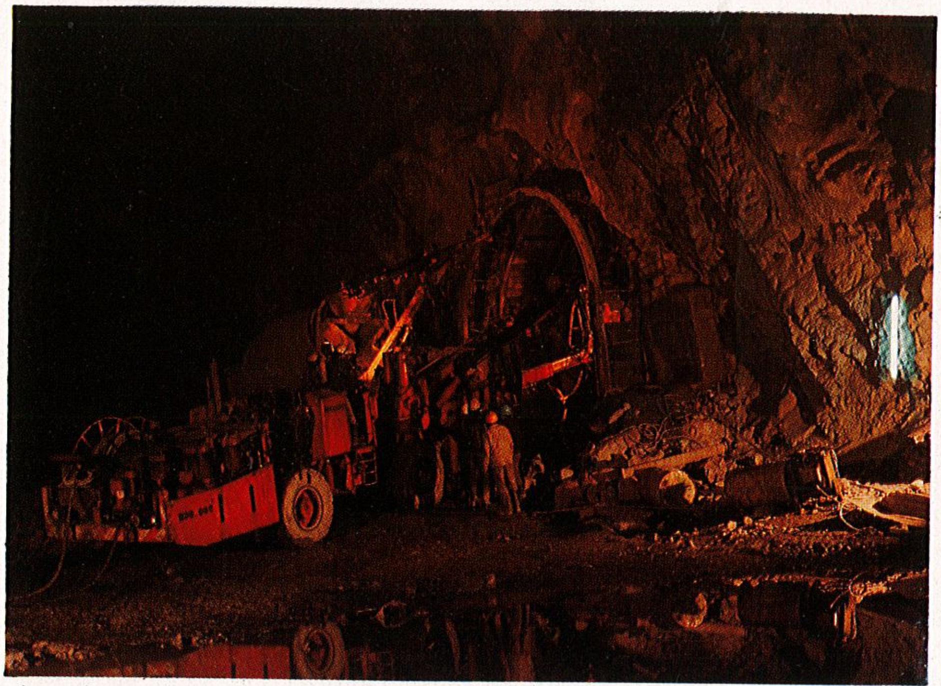

चमेरा परियोजना (चरण-I) — सुरंग निर्माण कार्य प्रगति पर।

चालू वर्ष

चालू वर्ष 1989-90 के दौरान कार्य की प्रगति में पर्याप्त सुधार होने की आशा है। ठेकेदारों के साथ मुख्य बकाया मामलों जैसे हायर चार्जिज की लेवी में समायोजन, पेशगियों की वसूली, की पुनः कार्यक्रम बनाने और काफी मात्रा में सीमेंट की हैंडलिंग और लाने ले जाने की समस्या मुख्य थी। उन्हें निदेशक मण्डल ने सही निर्णय लेकर सफलतापूर्वक हल किया।

पूरा करने का कार्यक्रम

परियोजना को पूरा करने के लिए वास्तविक कार्यक्रम बनाने के लिए निदेशक मण्डल ने एक समिति नियुक्त की है जो अपनी रिपोर्ट चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत करेगी। कम्पनी द्वारा किये गये विस्तृत प्रयासों के आधार पर परियोजना के दिसम्बर, 1992 तक चालू हो जाने की आशा है। इसमें अनुबन्ध पर हस्ताक्षर होने में हुई देरी, भूमि अधिग्रहण में हुई देरी, बाढ़ के कारण हुई देरी और कार्य की प्रगति में आने वाली अन्य बाधाएं भी शामिल हैं। निदेशक मण्डल दिसम्बर, 1992 तक परियोजना को चालू करने के लिए सभी सम्भव प्रयास कर रहा है।

मात्र रास्ता था, पूरी तरह ध्वस्त हो गया, संचार व्यवस्था एकदम ठप्प हो गयी थी। इन तीनों बार की बाढ़ से कार्य की प्रगति प्रभावित हुई लेकिन परियोजना की गतिविधियों को क्रम से कम समय में पुनः चालू करने के लिए सभी प्रयास किये गये। मरम्मत कार्य, इसके लिए गठित विशेषज्ञ समितियों/टीमों की सिफारिशों के अनुसार किये गये। यह अनुमान लगाया गया है कि तीन बार की बाढ़ से परियोजना के पूरा होने का कार्यक्रम 6 से 8 महीने तक प्रभावित होगा।

मुख्य बाँध

डैंटल कंक्रीटिंग जून, 1988 में पूरी कर ली गयी थी और मास कंक्रीटिंग का कार्य हाथ में लिया गया था। जुलाई, 1988 और सितम्बर, 1988 की लगातार बाढ़ के कारण मुख्य बाँध में मास कंक्रीटिंग का कार्य जनवरी, 1989 में किया गया था और मुख्य बाँध के विभिन्न ब्लॉकों में मार्च, 1989 तक लक्ष्य 127 टी.एम.^{3} के मुकाबले लगभग 61 टी.एम.^{3} की कंक्रीटिंग की गयी। वर्ष 1989-90 के दौरान कंक्रीटिंग की दर में भारी वृद्धि हुई और जुलाई, 1989 के अन्त तक 149 टी.एम.^{3} की कंक्रीटिंग की गयी।

कंक्रीटिंग की सुविधाओं में शामिल हैं—700 टी./एच.आर. एग्रीगेट प्रोसेशन प्लांट, 350 एम^3/एच.आर. बैच प्लांट, 2 × 28 टी. क्षमता केबिलवे और 450 टी./एच.आर. क्षमता रोपवे सिस्टम। ये चालू किये गये थे और वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक संचालित किये गये थे।

पावर टनल

प्रवेश मार्ग 1 से प्रतिप्रवाह भाग (1050 मीटर) और प्रवेश मार्ग 2 के अनुप्रवाह भाग (802 मीटर) से अवर टनल की हैडिंग पूरी करके और बैंचिंग का कार्य आरम्भ किया गया था। 250 मीटर के लक्ष्य के मुकाबले 200 मीटर बैंचिंग और 200 मीटर के लक्ष्य के मुकाबले 124 मीटर की बैंचिंग क्रमशः प्रवेश मार्ग 1 से प्रतिप्रवाह की ओर और प्रवेश मार्ग 2 से अनुप्रवाह की ओर पूरी कर ली गयी थी। वर्ष के दौरान प्रवेश मार्ग 1 से पावर टनल के प्रतिप्रवाह की ओर 235 मीटर लक्ष्य के मुकाबले 146 मीटर की और प्रवेश मार्ग 2 के अनुप्रवाह भाग में 439 मीटर लक्ष्य के मुकाबले 214 मीटर पावर टनल की हैडिंग पूरी कर ली गयी है। टनल के काम की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए अप्रैल, 1988 में 580 मीटर लम्बा एक अतिरिक्त प्रवेश मार्ग बनाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त प्रवेशमार्ग का निर्माण शुरू कर दिया गया है और 450 मीटर के लक्ष्य के मुकाबले 300 मीटर प्रवेश मार्ग की बोरिंग पूरी कर ली गयी है। वर्ष के दौरान पावर टनल की कुल 41 प्रतिशत हैडिंग और 5 प्रतिशत बैंचिंग की गयी थी।

पावर हाउस

पावर हाउस कैवर्न की हैडिंग की खुदाई और पहले चरण की बैंचिंग कार्य पूरे कर लिये गये थे। ट्रांसफार्मर गैलरी के पूरा हो जाने पर बसशाफ्टों में 82 प्रतिशत खुदाई पूरी कर ली गयी थी। पैनस्टॉकों की खुदाई पूरी कर ली गयी थी और 95 प्रतिशत तक ड्राफ्ट ट्यूबों की बोरिंग पूरी कर ली गयी थी। ड्राफ्टट्यूब सर्जशॉफ्ट में 144 मीटर में से 88 मीटर तक की पाइलट सिंकिंग पूरी कर ली गई थी। स्विचयार्ड बिल्डिंग का कार्य संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। टरबाइन/जनरेटर यूनिटों के लिए उत्थापन ठेका दे दिया गया है।

टेलरेस सुरंग

वर्ष के दौरान 72 प्रतिशत के लक्ष्य के स्थान पर 64 प्रतिशत तक टेलरेस सुरंग की हैडिंग हो गयी थी।

अनुमान और खर्च

परियोजना अनुमान संशोधित किये गये हैं और 719.40 करोड़ रुपये (शुद्ध) (निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर) की अनुमोदित लागत के स्थान पर मार्च, 1989 में मूल स्तर पर 1133.58 करोड़ रुपये (शुद्ध) (निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर) संशोधित अनुमान लगाये गये हैं जिनकी जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। अनुमानों में वृद्धि मुख्यतः बढ़ोत्तरी, आकार में परिवर्तन, अपर्याप्त व्यवस्थायें और नई वस्तुओं के कारण हुई है।

परियोजना पर मार्च, 1989 तक कुल 742.94 करोड़ रुपये का खर्च आया है।

4. दुलहस्ती जल-विद्युत परियोजना (3×130 मेगावाट) (जम्मू व कश्मीर)

वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्टीयरिंग व नेगोसिएटिंग समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें दायित्वपूर्ण (टर्नकी) आधार पर द्विपक्षीय सहायता से परियोजना का निष्पादन करना था। परियोजना में अन्तःसंरचना कार्यों के विकास में तेजी से प्रगति की गयी। 312.5 के.वी.ए. के 4 डी.जी. सैट चालू किये गये और शेष 1000-1000 हजार के.वी.ए. के 4 सैट लगाये जाने हैं।

पाइलट सुरंग की आरडी 965 मीटर से आरडी 1138 मीटर तक खुदाई की गयी थी। पहुँच सुरंग की 24 मीटर खुदाई की गयी और प्रवेश मार्ग से एच.आर.टी. तथा प्रवेश मार्ग से गेट शाफ्ट और प्रवेश मार्ग से सर्जशाफ्ट तक प्रगति हुई थी।

वर्ष के दौरान बाँध स्थल पर 33/11 के.वी. सब-स्टेशन पूरा कर लिया गया है।

भारत सरकार ने फ्रैंच सहायता द्वारा परियोजना के टर्नकी निष्पादन की अनुमति दी थी। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन

पर वाणिज्यिक अनुबंधों पर 8 सितम्बर, 1989 को हस्ताक्षर किए गए और भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर 20 सितम्बर, 1989 को वित्तीय करार पर हस्ताक्षर भी किये गये। परियोजना को 57 महीने के निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा करना है। यह तारीख विदेशी सहायता से कार्य आरम्भ होने के आदेश जारी होने से आरम्भ होगी जोकि 11 अक्तूबर, 1989 दी गयी थी।

5. उड़ी जल-विद्युत परियोजना (4×120 मेगावाट) (जम्मू व कश्मीर)

वर्ष के दौरान कुछ आवासीय मकान, सड़कों के निर्माण जैसे अन्तःसंरचनात्मक कार्य हाथ में लिये गये थे। भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्टीएरिंग व नेगोसिएटिंग समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी जिसके अनुसार परियोजना का निष्पादन टर्नकी आधार पर विदेशी द्विपक्षीय सहायता से किया जाना है।

जून, 1989 में भारत सरकार से टर्नकी आधार पर स्वीडन की सहायता से परियोजना के निष्पादन के लिए अनुमोदन की सूचना प्राप्त हुई। वाणिज्यिक अनुबन्धों पर भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ 27 अक्तूबर, 1989 को हस्ताक्षर किये गये।

वित्तीय करारों पर भी भारत के राष्ट्रपति की सहमति से 31 अक्तूबर, 1989 और 2 नवम्बर, 1989 को हस्ताक्षर किये गये थे। परियोजना 72 महीनों के निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी सहायता से पूरी होगी जो विदेशी संघ को कार्य आरम्भ करने के आदेश जारी होने से लागू होगी।

ग. नयी परियोजनाएं

1. चमेरा जल विद्युत परियोजना (चरण-II) (3×100 मे.वा.) (हि.प्र.)

वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्टीएरिंग एवं नेगोसिएटिंग समिति कनाडा की टीमों से विचार-विमर्श करती रही जिसमें परियोजना के लिए कनेडियन सामान और सेवाओं को खरीदने के लिए वाणिज्यिक अनुबन्धों को अन्तिम रूप दिया जाना था। यह समिति चालू वर्ष के दौरान सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस दौरान आपकी कम्पनी ने अन्तःसंरचना स्थापित करने के लिए लगभग 278 बीघा भूमि अर्जित करने के लिए पहले ही कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

2. सलाल जल विद्युत परियोजना (चरण-2) (3×115 मेगावाट) (जम्मू व कश्मीर)

लोक निवेश बोर्ड की बैठक मार्च, 1989 में हुई थी और सरकार का निवेश निर्णय सितम्बर, 1989 में प्राप्त हुआ है। वर्ष 1989-90 के दौरान परियोजना के मुख्य हिस्सों पर निर्माण कार्य की आयोजना की जा रही है। इस दौरान आपकी कम्पनी ने प्रवेश मार्ग से टेलरेस सुरंग का निर्माण विभागीय तौर पर आरम्भ किया और 78 मीटर की हैडिंग वर्ष के दौरान पूरी कर ली गई थी।

3. बगलिहार जल-विद्युत परियोजना (3×150 मेगावाट) (जम्मू व कश्मीर)

वर्ष के दौरान पर्यावरण और वन मंजूरियां प्राप्त की गई थीं। निदेशक मण्डल ने इस पर विचार किया और 887.23 करोड़ रुपये जमा निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) के 110.27 करोड़ रुपये की फरवरी, 1989 के मूल्य स्तर पर बगलिहार जल-विद्युत परियोजना के अद्यतन लागत अनुमानों की सहमति दी थी जो तकनीकी-आर्थिक मंजूरी की जांच के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास है। परियोजना को सिन्धु जल-संधि की दृष्टि से मंजूरी दी गई थी और वर्ष की दौरान कुछ अंतः संरचनात्मक निर्माण कार्य प्रगति पर थे।

प्री-पी.आई.बी. बैठक 2.6.1989 को हुई थी और आशा है कि इस पर पी.आई.बी. जल्दी ही विचार करेगी।

4. सावलकोट जल-विद्युत परियोजना (3×200 मेगावाट) (जम्मू व कश्मीर)

परियोजना को सिन्धु जल-संधि की दृष्टि से फरवरी, 1989 में मंजूरी मिली थी वर्ष के दौरान और पर्यावरण मंजूरी के लिए प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किये गये थे।

चालू वर्ष के दौरान वन और पर्यावरण मंजूरियां प्राप्त हुई हैं। 2 जून, 1989 को हुई प्री-पी.आई.बी. की बैठक में परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया गया था।

5. धौलीगंगा जल-विद्युत परियोजना (चरण-I) (4×70 मेगावाट) (उत्तर प्रदेश)

वर्ष के दौरान वन और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हो गई थी और सुरक्षा की दृष्टि से मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है। प्री-पी.आई.बी. बैठक में विचार करने के लिए प्रस्ताव को 8.9.1989 को परिचालित किया गया है और प्री-पी.आई.बी. बैठक नवम्बर, 1989 के अन्त तक होने की आशा है।

6. रंगित जल-विद्युत परियोजना (3×20 मेगावाट) (सिक्किम)

परियोजना प्रस्ताव पर 16 मार्च, 1989 को हुई प्री-पी.आई.बी. बैठक में विचार किया गया था और प्री-पी.आई-.बी. ज्ञापन 31.3.1989 को प्रस्तुत किया गया था। ये प्रस्ताव पी.आई.बी. ने 14.9.1989 को मंजूर कर लिये हैं।

7. तीस्ता जल-विद्युत परियोजना (चरण-III) (6×200 मेगावाट) (सिक्किम)

उपर्युक्त परियोजना का निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा हमारी कारपोरेशन को सौंपा गया था। कारपोरेशन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अनुमान तैयार कर रही है।

8. कच्छ ज्वारीय परियोजना (900 मेगावाट) (गुजरात)

वर्ष के दौरान आपकी कारपोरेशन को गुजरात में 900 मेगावाट की कच्छ ज्वारीय परियोजना का निष्पादन कार्य सौंपा गया था। इससे कारपोरेशन के लिए एक नया दृश्य खुला है। यह परियोजना देश में अब तक हाथ में ली जा रही अपनी किस्म की पहली परियोजना होगी। कारपोरेशन ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

घ. अन्वेषणाधीन परियोजनाएं

वर्ष 1988-89 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं के

उड़ी परियोजना — अंतःसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर।

अन्वेषण की अनुमति प्राप्त हुई थीः-

परियोजना	अन्वेषण अनुमान (लाख रुपयों में)
गौरीगंगा (चरण-II) (120 मेगावाट)	161.00
गौरीगंगा (चरण-III) (75 मेगावाट)	142.88
किशनगंगा (390 मेगावाट)	372.14

इन परियोजनाओं के अतिरिक्त गौरीगंगा (चरण-I) का अन्वेषण कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है।

अन्वेषण अनुमानों के अतिरिक्त धौलीगंगा मध्य (चरण-1) (200 मेगावाट) के लिए सरकार ने मई, 1989 में 221 लाख रुपए की मंजूरी दी है।

ङ ट्रांसमिशन सिस्टमः

चालू सिस्टमः

1. 400 के.वी. डी/सी चमेरा ट्रांसमिशन सिस्टमः

मार्च, 89 तक कुल 613 नग की स्टब सैटिंग और कुल 646 टावरों में से 469 टावरों का उत्थापन पूरा हो गया है। मोगा सब-स्टेशन् के लिये भूमि अधिग्रहण कर ली गई है और भवन/नियंत्रण कक्ष के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। 400/200 के.वी. मोगा सब स्टेशन के लिये अधिकांश उपस्करों और उत्थापन ठेका दिया जा चुका है।

2. 400 के.वी. जैपोर-तलचर ट्रांसमिशन सिस्टमः

सब स्टेशन के ढांचों और उपस्करों का उत्थापन आदि का कार्य प्रगति पर है। इन सब-स्टेशनों के लिये अपेक्षित सभी उपस्कर स्थल पर पहुंच गये हैं। 400 के.वी. जैपोर-तलचर लाइन का स्टब सैटिंग का कार्य पूरा हो गया है। कुल 1126 टावरों में से 1125 का उत्थापन किया जा चुका है और कुल 427 सरकिट कि.मी. में से 338.77 सरकिट कि.मी. में उत्थापन का कार्य 31 मार्च, 1989 तक कर लिया गया है।

3. 400 के.वी. डी/सी दुलहस्ती ट्रांसमिशन सिस्टमः

उपर्युक्त ट्रांसमिशन लाइन के टर्नकी आधार पर निर्माण के लिए यू.एस.एस.आर. के मैसर्स टैकनोप्रोमैक्स पोर्ट द्वारा निष्पादन के प्रस्ताव पर सरकार की सहमति प्राप्त हो गई थी।

सभी टावरों के डिजाइन अनुमोदित हो चुके हैं।

4. 220 के.वी. डी/सी टनकपुर ट्रांसमिशन सिस्टमः

कुल 290 नग में से 74 नग की स्टब सैटिंग पूरी कर ली गयी है। टावर ए, बी, सी, डी, आकार के लिए डिजाइन अनुमोदित हो चुके हैं। ए, बी और सी किस्म के टावरों की जांच सफलतापूर्वक पूरी कर ली गयी है।

5. 132 के.वी. डी/सी लीमातक-जिरीबाम ट्रांसमिशन लाइन (दूसरी लाइन)

इस लाइन का निर्माण पूरा कर लिया गया था।

6. 132 के.वी. सिंगल/सरकिट बोंगइगांव-गैलीफुग ट्रांसमिशन सिस्टमः

उपर्युक्त लाइन निर्माणाधीन है और कारपोरेशन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, के एक एजैन्ट के तौर पर कार्य कर रही है। लाइन सामग्री और सब-स्टेशन उपस्करों की आपूर्ति के लिए आदेश दे दिये गये हैं। लाइन के विभागीय निष्पादन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

7. 400 के.वी. मालदा सब-स्टेशनः

400 के.वी. सब-स्टेशन का डिजाइन पूरा हो गया है। अधिकांश उपस्करों के लिए आदेश दे दिये गये हैं। 315 एम.वी.ए. ट्रांसफारमर की नींव में संरचना और उपस्कर का उत्थापन कार्य प्रगति पर है।

नये ट्रांसमिशन सिस्टमः

1. उड़ी ट्रांसमिशन सिस्टमः

इस सिस्टम के लिए 74.47 करोड़ रुपये की तकनीकी-आर्थिक मंजूरी फरवरी, 1989 में प्राप्त हुई थी और इस पर सरकार की सहमति जून, 1989 में प्राप्त हुई थी।

2. उत्तर क्षेत्र ट्रांसमिशन सिस्टमः

इस सिस्टम में निम्नलिखित शामिल हैं—

क) 400 के.वी. डी./सी. नाथपा झाकरी ट्रांसमिशन सिस्टम।
ख) 400 के.वी. डी./सी. मोगा-भिवानी ट्रांसमिशन सिस्टम।
ग) 800 के.वी. 2×एस/सी किशनपुर-मोगा ट्रांसमिशन सिस्टम।

(क) नाथपा झाकरी ट्रांसमिशन सिस्टमः

उपर्युक्त ट्रांसमिशन सिस्टम के निष्पादन के लिए सरकार की मंजूरी अप्रैल, 1989 में प्राप्त हुई थी जिसमें अनुमानित लागत 794.36 करोड़ रुपये जमा निर्माण के दौरान ब्याज के 95.59 करोड़ रुपये थी। नाथपा झाकरी ट्रांसमिशन सिस्टम के मार्ग का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था और यमुना नगर और हिसार में 400/220 के.वी. सब-स्टेशनों के स्थलों की पहचान कर ली गयी थी और भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाएं शुरू की गयी हैं।

(ख) मोगा-भिवानी ट्रांसमिशन सिस्टमः

उपर्युक्त ट्रांसमिशन सिस्टम के निष्पादन के लिए सरकार की मंजूरी सितम्बर, 1988 में प्राप्त हुई थी जिसकी अनुमानित लागत 87.68 करोड़ रुपये जमा निर्माण के दौरान ब्याज के 7.48 करोड़ रुपये थी। मोगा-भिवानी लाइन के लिए टावरों की आपूर्ति और उत्थापन के आदेश दे दिये गये हैं।

(ग) किशनपुर-मोगा ट्रांसमिशन सिस्टमः

उपर्युक्त सिस्टम तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत

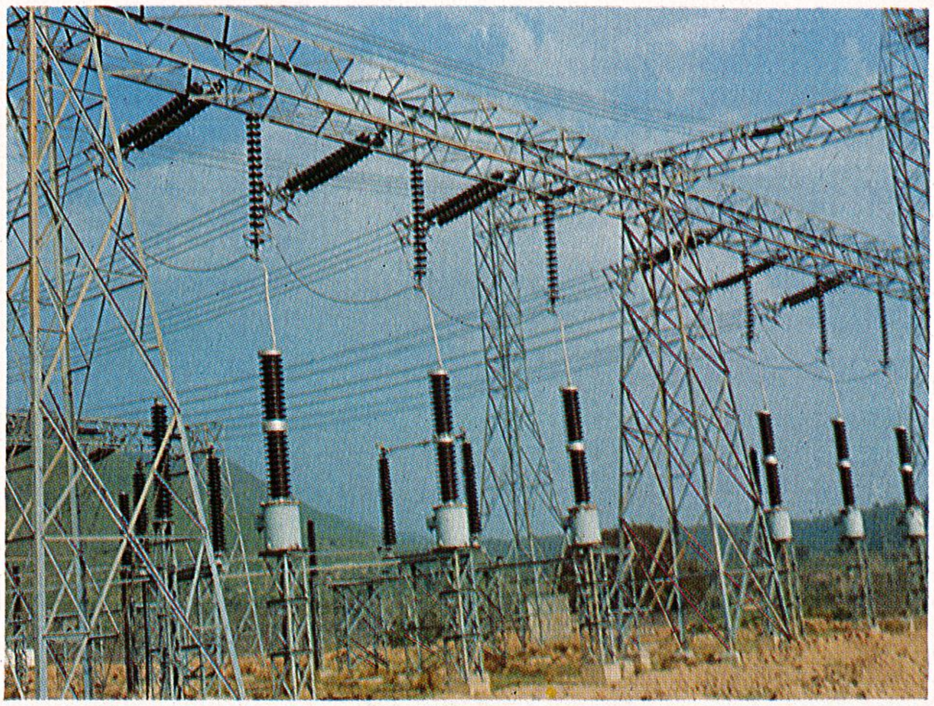

दुलहस्ती ट्रांसमिशन सिस्टम — किशनपुर सब-स्टेशन।

चमेरा ट्रांसमिशन सिस्टम — मोगा सब-स्टेशन निर्माणाधीन।

प्राधिकरण द्वारा मार्च, 1989 में मंजूर किया गया था जिसकी अनुमानित लागत 263.04 करोड़ रुपये जमा निर्माण के दौरान ब्याज के 33.12 करोड़ रुपये थी।

उत्तर क्षेत्र ट्रांसमिशन सिस्टम विश्वबैंक की सहायता के लिये रखी गई है। विश्वबैंक ने संकेत दिया है कि इस सिस्टम के निष्पादन के लिये उनके ऋण की सीमा अमेरिकन डालर 360 मिलियन के अन्तर्गत होगी। इस ऋण के लिये विस्तृत बातचीत इस वर्ष कुछ समय बाद की जायेगी।

बजट अनुमान और खर्चः

कारपोरेशन के लिये वर्ष 1988-89 के लिये पूँजी बजट अनुमान 465 करोड़ रुपये थी जो बाद में 646.95 करोड़ रुपये तक संशोधित हुई। उपर्युक्त अनुमानों की तुलना में वर्ष के दौरान वास्तविक खर्च 321.02 करोड़ रुपये हुआ था। खर्च में कमी मुख्यतः दुलहस्ती और उड़ी जल-विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए विदेशी संघों के साथ द्विपक्षीय करारों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण हुई थी।

राजस्व खर्च के संबंध में वर्ष 1988-89 के लिये बजट अनुमान 61.67 करोड़ रुपये था जो बाद में संशोधित होकर 64.76 करोड़ रुपये हो गया। उसकी तुलना में वर्ष के दौरान वास्तविक खर्च 64.17 करोड़ रुपये था।

2. वित्तीय निष्पादनः

कारपोरेशन ने पिछले वर्ष के 24.26 करोड़ रुपये के मुकाबले में 51.89 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया जो 113.89 प्रतिशत अधिक है। उपर्युक्त आंकड़ों में सलाल (चरण-।) पावर स्टेशन के संचालन संबंधी 34.71 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। सलाल को स्वामित्व आधार पर हस्तांतरण के लिये भारत सरकार ने सैद्धान्तिक रूप में नवम्बर, 1987 को सहमति दी थी। वर्ष के दौरान कम्पनी का लेन देन पिछले वर्ष में 93.44 करोड़ रुपये के मुकाबले 199.11 करोड़ रुपये रहा, बढ़त 113.09 प्रतिशत है।

3. सतर्कता गतिविधियांः

आपकी कम्पनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सतर्कता कार्य को महत्व देना जारी रखा। 37 निरीक्षण किये गये और 4 शिकायतें दर्ज की गई। 38 प्राप्त शिकायतों में से 18 शिकायतों की जांच शुरू की गई। जाचों के परिणाम स्वरूप अनुशासनिक कार्रवाइयां शुरू की गई जिनमें से दो मामलों में बड़े दंड और 5 मामलों में छोटे-मोटे दंड दिये गये। कम्पनी ने सतर्कता अधिकारियों के लिये जनवरी, 1989 के दौरान एक कार्यशाला भी आयोजित की।

4. राजभाषा नीतिः

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार कम्पनी में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये वर्ष के दौरान सभी प्रयास किये गये।

5. कार्मिक नीतियाँ और औद्योगिक संबन्धः

वर्ष के दौरान औद्योगिक सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहे और किसी प्रकार की हड़ताल/तालाबन्दी नहीं हुई। कारपोरेशन ने कामगारों के साथ वेतन समझौते पर हस्ताक्षर किये जिससे 80 प्रतिशत कामगारों को लाभ पहुँचा।

कारपोरेशन ने परियोजनाओं में स्कूल, अस्पतालों, डिस्पैन्सरी, एम्बूलैंस सेवा, प्रोटैक्टिंग व कलोथिंग सांस्कृतिक और मनोरंजन क्लब, परिवहन सुविधाओं जैसे पर्याप्त कल्याणकारी उपाय प्रदान किये।

6. लेखापरीक्षकः

वर्ष 1988-89 के लिये कम्पनी के लेखों की लेखापरीक्षा के लिये मैसर्स बब्बर जिन्दल एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, नई दिल्ली को वैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया था। मैसर्स बहल गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटैंट्स, नई दिल्ली, मैसर्स जैन गोयल एण्ड स्वामी, चार्टर्ड एकाउंटैंट्स, नई दिल्ली, और मैसर्स गुहा नन्दी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटैंट्स कलकत्ता, को कारपोरेशन के संयुक्त शाखा लेखापरीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था।

(क) लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में बताई गई कमियों पर टिप्पणियाँ:

लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताई गई कमियों पर निदेशकों की टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के अनुबन्ध-1 में दी गई हैं।

(ख) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की कमियों पर टिप्पणियां:-

31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के लिये कारपोरेशन के लेखों पर, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों में दी गई कमियों पर निदेशकों की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के अनुबंध-2 में दी गई हैं।

31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के लिए कारपोरेशन के लेखों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई समीक्षा इस रिपोर्ट के अनुबंध-3 में दी गई हैं।

7. कर्मचारियों का विवरणः

कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अनुसार सूचना इस रिपोर्ट के अनुबंध-4 में दी गई है।

8. निदेशकगणः

श्री एम.ए. हाई ने एन.एच.पी.सी. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार 10.3.1989 से ग्रहण किया। श्री के.के. कश्यप, निदेशक (तकनीकी) ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का भार 18.4.1988 को सम्भाला था और अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद का भार 10.3.1989 से

छोड़ दिया था। निदेशकमण्डल श्री के.के. कश्यप द्वारा कारपोरेशन की अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के तौर पर की गई सेवाओं की प्रशंसा करता है। डा. सी.वी. थाटे, सदस्य, (डी.एन.आर), केन्द्रीय जल आयोग को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल में दिनांक 20.4.1989 से निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था। ब्रिगेडियर आर.के. वर्मा ने निदेशक (कार्मिक) के पद का कार्यभार 15.5.1989 से ग्रहण किया।

आभार :

बोर्ड, भारत सरकार के विभिन्न विभागों, विशेष रूप से ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग), वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, उद्योग व कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग, सी.एस.एम.आर.एस., सर्वे ऑफ इंडिया और भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा दिये गये मार्गदर्शन और सहायता के लिये आभार व्यक्त करता है। बोर्ड, सी.आई.डी.ए., ई.डी.सी. और कनाडा की एस.एन. सी./ए.सी.आर.ई.एस., शाही भूटान सरकार, राज्य सरकारें—पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, नागालैंड, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उड़ीसा और उन राज्य बिजली बोर्डों जो अपने-अपने राज्यों में हमारे निर्माण कार्यों में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, का भी आभारी है। यदि इन सभी ने तथा अन्य एजेंसियों ने सहायता, सहयोग और सहकारिता प्रदान न की होती, तो कारपोरेशन ने अब तक जो उपलब्धि पाई है वह उसके लिए सम्भव नहीं होती। बोर्ड भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक तथा लेखा परीक्षकों और बैंकरों के बहुमूल्य सहयोग के लिये भी आभारी है।

श्री एम.ए. हाई, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एन.एच.पी.सी. — फ्रैंच कंसोर्टियम के साथ दुलहस्ती परियोजना के लिए करार पर हस्ताक्षर करते हुए।

बोर्ड, कारपोरेशन के सभी स्तरों के कर्मचारियों द्वारा किये गये निष्ठा व परिश्रमपूर्ण कार्य और उनके निरंतर उत्साह, जो कारपोरेशन की सफलता के लिये बहुत बड़ा योगदान है, के लिये सम्मान और प्रशंसा करता है।

निदेशक मण्डल के लिए
और की ओर से

एम. ए. हाई

(एम.ए. हाई)
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

नई दिल्ली : 24 नवम्बर, 1989

वर्ष 1988-89 की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में दी गयी कमियों पर टिप्पणियां

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में पैरा		टिप्पणियां
2(ई)	(i)	भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के दिनांक 9.2.89 के पत्र सं. 4/1/78-डी.ओ. (एन.एच.पी.सी.) में सलाल जल-विद्युत परियोजना को 1.11.87 से स्वामित्व आधार पर कारपोरेशन को सौंपने का स्पष्ट निर्णय दिया गया था। औपचारिक हस्तान्तरण करार का निष्पादन हो रहा है अतः इस परियोजना के लेखों को कारपोरेशन के लेखों में निगमित कर दिया गया था। यह निगमन उन्हीं शर्तों को ध्यान में रखते हुए किया गया जिनका भारत सरकार, अन्य परियोजनाओं का हस्तान्तरण करते समय पालन करती थी। इसलिए वर्ष 1988-89 के लाभ और 31 मार्च, 1989 की परिसम्पत्ति की देयताओं का इस दृष्टि से अति विवरण नहीं हुआ है।
	(ii)	बैंक समाधान विवरणों में गलत नामें/जमा राशियों से सम्बन्धित शेष मदों को बैंकों के लेखे में परिशोधन कराने के लिए नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। कारपोरेशन को अपनी बहियों में किसी समायोजन की प्रत्याशा नहीं है।
	(iii)	चल परिसम्पत्तियों के अन्तर यूनिट हस्तान्तरणों को एक परियोजना में जमा और दूसरी परियोजना में घटा दिखा कर लेखों में दर्शाया गया है। इस प्रकार के प्रदर्शन का प्रभाव कारपोरेशन के समेकित लेखों में सामान्यकृत किया जाता है और इन परिसम्पत्तियों के कुल ब्लॉक का मूल्य वर्ष के अन्त में अप्रभावित रहता है और उससे सही और उचित जायजा मिलता है।
	(iv)	नकद या वस्तु में वसूली योग्य ऋणों पर पेशगियों या प्राप्त होने वाले मूल्यों के समायोजन, वसूली होने/वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति हो जाने और उनकी स्वीकृति हो जाने के बाद किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में लेखों का समाधान एक नियंत्रण प्रक्रिया है।
	(v)	बैरास्यूल परियोजना से चमेरा परियोजना (निर्माणाधीन) को दी गयी बिजली का प्रभार उस सामान्य टैरिफ के अनुसार वसूल किया जाना था जो कि बैरास्यूल पावर स्टेशन के अन्य लाभभोक्ता राज्यों पर लागू होती है। बिजली की ऐसी अन्तर यूनिट सप्लाई का मूल्य उस यूनिट से बेची गयी कुल बिजली का केवल 2.79 प्रतिशत बनता है। अतः वित्तीय उलझाव ज्यादा नहीं है।
	(vi)	कम्पनी अधिनियम में संशोधन हो जाने के परिणामस्वरूप मूल्यह्रास में अन्तर, विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। और संचालन गतिविधियों से सम्बन्धित उसका समायोजन वर्ष के लाभ तथा हानि लेखे में पूर्व अवधि खर्चों के द्वारा ठीक प्रकार से कर लिया गया है।
	(vii)	कारपोरेशन के एजेंसी कार्यों के लिए, वर्ष के अन्त में मूल फण्ड की खर्च न की गयी राशि या मूल से वसूल की जाने वाली राशि कारपोरेशन की चालू देयताओं और चालू परिसम्पत्तियों, जैसा भी मामला हो, में ठीक प्रकार से दर्शायी गयी है। जहां तक कारपोरेशन के लेखों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में लेखों के एक्रुअल सिस्टम से कोई विचलन नहीं है।
	(viii)	कोई व्यवस्था करना जरूरी नहीं समझा जाता है क्योंकि मामला आर्बीट्रिशन के प्रारंभिक चरण में है।
	(ix)	स्थापन आधीन सामग्रियों की कमी की पूर्ति और खराब सामग्रियों के बदले में पूर्ति सप्लाई व स्थापना ठेकेदारों द्वारा निःशुल्क की जाती है और इस प्रकार कोई समायोजन अपेक्षित नहीं है।
	(x)	कारपोरेशन को किसी प्रकार की देनदारी की प्रत्याशा नहीं है। विवादास्पद दावों को फुटकर देयता के अन्तर्गत दिखाया गया है।
	(xi)	जनरल लेजर का मूल्यित स्टोर लेजर के साथ समाधान कुछ परियोजनाओं में हो रहा है जहाँ कि यह नहीं किया जा सकता था। माल सूचियों में, कारपोरेशन के मामले में, शामिल है निर्माण गतिविधियों से सम्बन्धित सामग्रियां और (रख-रखाव) के तथा बिजलीघरों में इस्तेमाल के लिए कुछ फालतू पुर्जे। इस प्रकार की मालसूचियों का मूल्यन, वास्तविक प्रापण मूल्य जमा ट्रांपोर्टेशन, हैंडलिंग और स्टोरेज चार्जिज से सम्बन्धित अनुमानित ऊपरी खर्च पर आधारित होता है। मालसूचियां, निपटान या मार्कीटिंग के लिए नहीं होती है अपितु, कारपोरेशन के पूँजी निर्माण कार्यों के उपभोग के लिए होती है, मूल्यन का आधार समुचित है उसका बराबर पालन किया जा रहा है।
	(xii)	कम सप्लाई/सप्लाई न होना/क्षतिग्रस्त सामग्रियों की सप्लाई का मूल्य अन्य पार्टियों से वसूला जाता है और कोई समायोजन अपेक्षित नहीं समझा जाता है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध में पैरा:

1. स्थिर परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन, जहां नहीं किया गया है, चरणबद्ध ढंग से किया जायेगा। परिस्थितिगत ब्यौरे शेष मामलों, यदि कोई हो, में भी रिकार्ड किये जायेंगे।

3. भण्डारों और फालतू पुर्जों का वास्तविक सत्यापन उन परियोजनाओं/यूनिटों में किया जायेगा जहां यह नहीं किया गया है।

4. जिस प्रकार की मालसूचियां कारपोरेशन के पास है और जिनका उपयोग कारपोरेशन अपने पूँजी निर्माण कार्यों में कर रही है और जिनका बराबर पालन हो रहा है उसकी खास किस्म को ध्यान में रखते हुए मालसूचियों के मूल्यन का आधार, प्रापण लागत जमा ऊपरी खर्च का उचित प्रतिशत वाजिब है।

12. इस वर्ष के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा को काफी सुदृढ़ किया गया है और आन्तरिक लेखा परीक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए तीन क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये गये हैं।

अनुबंध-2

नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों में दी गई कमियों पर टिप्पणियां

नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का पैरा

पैरा-1 उत्तर

(i) (क) जैपोर-तलचर ट्रांसमिशन सिस्टम में 391.15 लाख रुपये और चमेरा परियोजना में 15.02 लाख रुपये की राशि, खड़े किए गए टावर और टावर के पुर्जों के मूल्य को दर्शाती है, जोकि वर्ष के अन्त में वास्तव में भंडारों में थे। वर्ष 1989-90 के दौरान जब इन्हें कार्यों के लिए जारी किया जाएगा, उस समय चालू पूंजीगत कार्य में आवश्यक समायोजन कर लिए जाएँगे।

(ख) भविष्य में अनुसरण के लिए टिप्पणी को नोट कर लिया गया है।

(ग) मूल्य में घटत-बढ़त से पैदा हुए चालू पूंजीगत कार्य की कीमत और बकाया भुगतान के रीलिज के समायोजनों को 1989-90 के लेखों में दिखाया जाएगा।

(ii) (क) लेखों की प्राप्ति के बकाया और चमेरा परियोजना और जेपोर-तलचर ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए सर्विस सुविधाएं बढ़ाने के लिए विभिन्न लोक प्राधिकारियों के पास जमा राशि को उचित खर्च शीर्ष में समायोजित नहीं किया जा सका है। ये समायोजन 1989-90 में दिखाए जाएंगे।

(ख) खर्च का वर्गीकरण 1989-90 में परिशोधित किया जा रहा है।

(ग) पेशगियों की अनुसूची में 95.15 लाख रुपये की राशि के प्रतिकूल बकाया अनुषंगी रिकार्डों में गलत पोस्टिंग के कारण से है, जिसे बाद में सुधार लिया गया है। हालांकि ऐसे सुधारों का तुलन-पत्र में दिखाए गए पेशगियों की राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) दुलहस्ती ट्रांसमिशन सिस्टम द्वारा राज्य सरकार के संबंधित विभाग के पास 109.93 लाख रुपये की राशि जमा की गई थी जिसे भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूमि के मालिकों के बीच बांटा जाना है। अन्तिम लेखा शीर्ष में समायोजन भू-अधिग्रहण प्रक्रिया के पूरा होने और संबंधित विभाग से लेखों की प्राप्ति के बाद किया जा रहा है।

2\. (क) चमेरा परियोजना के संबंध में विदेशी सप्लायरों को किए गए भुगतानों को कनाडियन फाइनेंसरों द्वारा पूरा किया जा रहा है। संवितरण के प्रश्न पर कारपोरेशन की देयता केवल इतनी बनती है कि फाइनेंसर अपने पास की वचनबद्ध निधि में से भुगतान करें। संबंधित सुपुर्दगियों के लिए फाइनेंसरों द्वारा ऐसे किसी संवितरण की अनुपस्थिति में कोई देयता उपलब्ध नहीं कराई गई थी। हालांकि इस मामले की जांच की जा रही है और 1989-90 के लेखों में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(ख) हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से ऐसा कोई बिल जो नहीं मिला है और जिस पर उनके द्वारा उनके पास जमा राशि से अधिक वास्तविक खर्च के लिए दावा किया गया है, कोई देयता उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।

3\. चूँकि लेखे में उचित समायोजन हो चुके हैं, इसलिए इसे दुबारा प्रकट करने की जरूरत नहीं समझी गई थी।

4\. एन.एच.पी.सी. को सलाल परियोजना के 1 नवम्बर 1987 से प्रभावी स्वामित्व आधार पर हस्तांतरण से संबंधित लेन-देन को भारत सरकार के निर्णय के आधार पर लिया गया है। विस्तृत हस्तांतरण डीड को अन्तिम रूप दिए जाने तक, हस्तांतरण को उन्हीं मानक शर्तों के अधीन मान लिया गया है, जैसाकि भारत सरकार कारपोरेशन को अन्य परियोजनाओं के हस्तांतरण के मामले में अपनाती थी। यह सरकार को भी सूचित कर दिया था।

अनुबंध-3

31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि॰ के लेखों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा

1. वित्तीय स्थिति

नीचे दी गई सारणी में कम्पनी की पिछले तीन वर्षों के लिए मोटे-मोटे शीर्षों के अंतर्गत संक्षिप्त रूप से वित्तीय स्थिति दी गई है:

(रुपए लाखों में)

		1986-87	1987-88	1988-89
देयताएं				
क)	i) प्रदत्त पूंजी (शेयरों सहित आवदेन राशि जो आवटंन के लिए लंबित है)	54,098.12	70,253.93	79,779.40
	ii) इक्विटी में समंजन योग्य केन्द्रीय सरकारी निधि	3,629.48	1,802.58	33,561.61
		57,727.60	72,056.51	1,13,341.01
ख)	आरक्षित व अधिशेष	6,067.08	8,493.21	13,682.52
ग)	उधार			
	i) भारत सरकार से	18,456.66	17,364.61	52,174.19
	ii) अन्य साधनों से (विदेशी ऋण)	7,819.52	11,789.91	17,771.52
	iii) 14% सिक्योरड बाण्ड	14,364.29	14,348.77	14,326.04
	iv) 13% सिक्योरड बाण्ड	—	5,081.00	5,081.00
	v) 9% सिक्योरड बाण्ड	—	7,919.00	7,919.00
	vi) 9% अनसिक्योरड बाण्ड	—	—	15,000.00
घ)	व्यापारिक देयताएं और अन्य चालू परिसंपत्तियां (प्रावधान सहित)	6,629.08	7,020.94	18,074.88
		1,11,064.23	1,44,073.95	2,57,370.16
परिसंपत्तियां				
ङ)	सकल ब्लॉक	48,736.08	52,999.09	1,23,162.47
च)	घटाएं मूल्यह्रास	5,173.77	7,200.19	14,024.30
छ)	शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां	43,562.31	45,798.90	1,09,138.17
ज)	चल रहे पूंजीगत कार्य	34,783.51	59,166.86	85,106.23
झ)	चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां	32,698.40	39,092.18	63,032.60
ञ)	निवेश	—	—	—
ट)	विविध खर्चे व हानियां	20.01	16.01	93.16
		1,11,064.23	1,44,073.95	2,57,370.16
ठ)	नियोजित पूंजी	1,04,415.14	1,37,037.00	2,39,202.12
ङ)	शुद्ध सम्पत्ति	63,774.67	80,533.71	1.26,930.37

टिप्पणियां : i) नियोजित पूंजी शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियों को दर्शाती है, जिसमें चल रहे पूंजीगत कार्य जमा कार्यकारी पूंजी शामिल है।
ii) शुद्ध परिसंपत्ति प्रदत्त पूंजी जमा आरक्षित तथा अधिशेष घटा अस्पष्ट परिसंपत्तियों को दर्शाती है।
iii) सुरंगानी में स्थित बैरा स्यूल परियोजना (हिमाचल प्रदेश), मणिपुर में स्थित लोकतक परियोजना और चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम (पश्चिम बंगाल), सलाल परियोजना (जम्मू व कश्मीर) में क्रमशः 1.4.1982, जून, 1983, नवंबर, 1986 और दिसम्बर, 1987 से ही केवल वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ है और शेष परियोजनाएं अभी तक निर्माणचरण में हैं।

2. डेट-इक्विटी अनुपात

कम्पनी का डेट-इक्विटी अनुपात 1986-87 में 0.70:1, 1987-88 में 0.78:1 और 1988-89 में 0.99:1 था।

3. आरक्षित तथा अधिशेष

1986-87 में 6067.08 लाख रुपए, 1987-88 में 8493.21 लाख रुपए और 1988-89 में 13682.52 लाख रुपए आरक्षित व अधिशेष, कुल देयताओं का क्रमशः 5.46%, 5.89% और 5.32% और इक्विटी पूंजी का क्रमशः 10.51%, 11.79% और 12.07% हुआ।

4. नकदी और ऋण शोध क्षमता

क) कुल शुद्ध परिसंपत्तियों में चालू परिसंपत्तियों की प्रतिशतता 1986-87 में 29.44 से घटकर 1987-88 में 27.13 और 1988-89 में घटकर 24.49% हो गई।

ख) चालू देयताओं (प्रावधानों सहित) में चालू परिसंपत्तियों की प्रतिशतता 1986-87 में 493.26 से बढ़कर 1987-88 में 556.79 और 1988-89 में घटकर 348.73 हो गई।

ग) चालू देयताओं (प्रावधानों रहित) में द्रुत (क्विक) परिसंपत्तियों (छुटपुट देनदारियां, ऋण व पेशगियां, नकद व बैंक बैलेंस) की प्रतिशतता 1986-87 में 407.33 से बढ़कर 1987-88 में 418.43 और 1988-89 में घटकर 293.84 हो गई।

5. कार्यकारी पूंजी

कम्पनी की कार्यकारी पूंजी (चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां घटा व्यापारिक देयताएं और उपदान के लिए प्रावधानों को छोड़कर देयताएं) 31 मार्च, 1989 को समाप्त प्रत्येक तीन वर्षों की राशि क्रमशः 26069.32 लाख रुपए, 32071.24 लाख रुपए और 44957.72 लाख रुपए थी। 31.3.1989 को कार्यकारी पूंजी के लिए वित्तीय व्यवस्था भारत सरकार से ऋणों, 14%, 13%, 9% सिक्योरड और 9% अनसिक्योरड बांड और अन्य स्रोतों से की गई।

6. निधियों के स्रोत और उपयोग

12013.42 लाख रुपए की निधियां आंतरिक स्रोतों (आरक्षित, मूल्यह्रास और प्रावधानों) और 108106.90 लाख रुपए अन्य स्रोतों से, की निधियों का उपयोग 1988-89 वर्ष के दौरान नीचे दिए अनुसार किया गया :

	(रुपए लाखों में)
सकल ब्लॉक	70,163.38
चल रहे पूंजीगत कार्य	25,939.37
चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां, निवेश तथा बट्टे खाते न डालने की सीमा तक विविध खर्च	24,017.57
	1,20,120.32

7. कार्यकारी परिणाम :

पिछले तीन वर्षों के लिए कम्पनी द्वारा उपचित ब्याज नीचे दिए अनुसार है :

	वर्ष के लिए लाभ (रुपए लाखों में)	प्रदत्त पूंजी से लाभ की प्रतिशतता
1986-87	1924.92	3.33
1987-88	2426.13	3.37
1988-89	5189.31	4.57

8. लागत प्रवृत्तियां (कॉस्ट ट्रेंड्स)

नीचे दी गई सारणी में पिछले तीन वर्षों के दौरान बिक्री से बिक्री की लागत की प्रतिशतता दिखाई गई है :

(रुपए लाखों में)

	1986-87	1987-88	1988-89
1. उत्पादन-शुल्क और बिक्री कर सहित बिक्री	5925.01	9343.91	19911.12
2. घटाएं वर्ष के दौरान लाभ	1924.92	2426.13	5189.31
3. बिक्री की लागत	4000.09	6917.78	14721.81
4. बिक्री से बिक्री की लागत की प्रतिशतता	67.51	74.04	73.94

9. उत्पादन निष्पादन

पिछले तीन वर्षों में बिक्री का मूल्य नीचे दिए अनुसार निकाला गया है :

(रुपए लाखों में)

1. बिक्री (उत्पादन और बिक्री-कर सहित)	6012.03	9432.18	19911.12 (उत्पादन और बिक्री कर को छोड़कर)
2. तैयार सामान और चालू कार्य का अन्त स्टॉक	—	—	—
3. तैयार सामान और चालू कार्य का आदि शेष	—	—	—
4. उत्पादन का मूल्य (1-2-3)	6012.03	9432.18	19911.12

शुद्ध सम्पत्ति में उत्पादन के मूल्य की प्रतिशतता 1986-87 में 9.43 से बढ़कर 1987-88 में 11.71 और 1988-89 में बढ़कर 15.68 हो गई। कम्पनी की कुल शुद्ध परिसंपत्तियों में उत्पादन के मूल्य की प्रतिशतता 1986-87 में 5.41 से बढ़कर 1987-88 में 6.55 और 1988-89 में 7.73 रही।

10. माल-सूची और उत्पादन

नीचे की सारणी में पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर माल-सूचियों और उनके वितरण की स्थिति दिखाई गई है :

(रुपए लाखों में)

	1986-87	1987-88	1988-89
भण्डार और फालतू पुर्जे	5696.36	9714.50	9648.51

11. विविध देनदारियां

नीचे की सारणी में पिछले तीन वर्षों में बही ऋण और बिक्री की मात्रा दर्शाई गई है :

(रुपए लाखों में)

निम्नलिखित तारीख को	आय माने गए कुल बही ऋण	बिक्रियां	बिक्रियों में देनदारियों की प्रतिशतता
31 मार्च, 87	5384.50	6012.03	89.56
31 मार्च, 88	7247.29	9432.18	76.84
31 मार्च, 89	15446.12	19911.12	77.58

विविध देनदारियों में 1986-87 में 10.74 और 1987-88 में 9.22 महीनों की तुलना में 1988-89 में 9.31 महीने की बिक्री दर्शाई गई। 31.3.1989 तक 26.91 करोड़ रुपए के ऋण एक साल से ज्यादा बकाया पड़े थे।

(एस० लक्ष्मीनारायणन)
सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड एवं वाणिज्यिक
लेखापरीक्षा-III के पदेन निदेशक, नई दिल्ली

नई दिल्ली
दिनांकः 10 नवम्बर, 1989

31 मार्च, 1989 का तुलन-पत्र

(रुपये हजारों में)

		अनुसूची सं.	31.3.1989		31.3.1988	
	निधियों के स्रोत					
1.	**हिस्सेदारों की निधियां**					
	(क) पूँजी	1	7,97,79,40		7,02,53,93	
	(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	2	1,36,82,52	9,34,61,92	84,93,21	7,87,47,14
2.	**इक्विटी के लिए केन्द्रीय सरकार की समायोजित योग्य निधियां**			3,35,61,61		18,02,58
3.	**ऋण निधियाँ**	3				
	(क) आरक्षित ऋण		2,73,26,04		2,73,48,77	
	(ख) अनारक्षित ऋण		8,49,45,71	11,22,71,75	2,91,54,52	5,65,03,29
	जोड़ :			23,92,95,28		13,70,53,01
	निधियों के उपयोग					
1.	**स्थिर पूँजी खर्च**					
	(क) स्थिर परिसम्पत्तियां	4				
	सकल ब्लॉक		12,31,62,47		5,29,99,09	
	घटाएं: मूल्यह्रास		1,40,24,30		72,00,19	
	शुद्ध ब्लॉक		10,91,38,17		4,57,98,90	
	(ख) चालू पूँजीगत कार्य	5	8,51,06,23	19,42,44,40	5,91,66,86	10,49,65,76
2.	**चालू परिसम्पत्तियां, ऋण व पेशगियां**	6				
	(क) माल सूचियां		96,48,51		97,14,50	
	(ख) नकद व बैंक शेष		1,95,04,51		74,19,26	
	(ग) विभिन्न देनदार		1,54,46,12		72,47,29	
	(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां		2,73,59		1,94,18	
	(ङ) ऋण व पेशगियां		1,81,59,87		1,45,16,95	
			6,30,32,60		3,90,92,18	
	घटाएं: चालू देयताएं व व्यवस्थाएं देयताएं	7	1,80,74,88		70,20,94	
3.	**शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां**			4,49,57,72		3,20,71,24
	विविध खर्च (बट्टे खाते में डाला गया या समंजित न हुआ की सीमा तक)	8		93,16		16,01
	जोड़ :			23,92,95,28		13,70,53,01
	लेखा तथा आकस्मिक देयताओं की टिप्पणियां	13				
	अनुसूची VI के भाग-II के अधीन अतिरिक्त सूचना	14				

अनुसूची 1 से 14 और लेखा-नीतियां, लेखों का अभिन्न अंग हैं।

एन.वी. रामन
सचिव

घनश्याम दास
निदेशक (वित्त)

एम.ए. हाई
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बब्बर जिन्दल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्

नई दिल्ली
11 सितम्बर, 1989

ए.सी. बब्बर
भागीदार

31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(रुपये हजारों में)

		अनुसूची सं.	31.3.1989	31.3.1988
आय				
1.	विद्युत शक्ति की बिक्री से आय		1,99,11,12	93,43,91
2.	निर्माण प्रबन्धन के लिए फीस		18,31	1,10,00
3.	विविध आय	9	59,95	76,87
	कुल आय		1,99,89,38	95,30,78
खर्च				
1.	विद्युत शक्ति की खरीद		35,53,67	28,13,95
2.	जनरेशन, पारेषण और प्रशासनिक खर्चे	10	11,74,85	7,13,25
3.	कर्मचारियों को पारिश्रमिक और लाभ	11	12,05,34	4,84,65
4.	रॉयलटी प्रभारें		4,83,16	1,72,45
5.	मूल्यह्रास		18,39,61	6,37,52
6.	ऋणों पर ब्याज		62,90,51	22,05,96
7.	अनिश्चित ऋण के लिए व्यवस्था		6,06,87	—
8.	बट्टे खाते डाले गये प्रारम्भिक खर्चे		4,00	4,00
	कुल खर्च		1,51,58,01	70,31,78
9.	वर्ष के लिए लाभ		48,31,37	24,99,00
10.	जोड़ें/(घटाएं) पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	12	3,73,79	(72,87)
11.	आयकर और सांविधिक विनियोजनों से पूर्व लाभ		52,05,16	24,26,13
12.	पिछले वर्षों का आयकर		15,85	—
13.	कर और सांविधिक विनियोजनों के पश्चात् लाभ		51,89,31	24,26,13
14.	पिछले वर्ष से आगे ले जाया गया लाभ/(हानि) जोड़ें/(घटाएं)		61,48,47	37,22,34
15.	आगे ले जाये गए आरक्षित व अधिशेष लाभ		1,13,37,78	61,48,47

एन.वी. रामन
सचिव

घनश्याम दास
निदेशक (वित्त)

एम.ए. हाई
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बब्बर जिन्दल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

नई दिल्ली
11 सितम्बर, 1989

ए.सी. बब्बर
भागीदार

शेयर पूँजी

अनुसूची-1
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.1989	31.3.1988
प्राधिकृत पूँजी		
80,00,000 इक्विटी शेयर, 1,000/- रुपये प्रति शेयर	8,00,00,00	8,00,00,00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूँजी		
1,000/- रुपये प्रति शेयर की दर से पूरे प्रदत्त 79,77,940 (पिछले वर्ष 70,25,393) इक्विटी शेयर (इसमें से 6,29,529 शेयर नकद प्राप्ति के अतिरिक्त ठेकों के अनुवर्ती कंसीड्रेशन के लिए नियत कर दिए गए हैं और एक शेयर का नियतन नकदी के अलावा पार्ट कंसीड्रेशन के लिए किया गया है)	7,97,79,40	7,02,53,93
	7,97,79,40	7,02,53,93

आरक्षित तथा अधिशेष

अनुसूची-2
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.1989	31.3.1988
1. निवेश भत्ता रिजर्व	23,44,74	23,44,74
2. लाभ व हानि लेखा के अनुसार अधिशेष	113,37,78	61,48,47
	136,82,52	84,93,21

ऋण निधियां

अनुसूची-3
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.1989		31.3.1988	
आरक्षित ऋण				
बॉण्ड "ए" सीरीज़				
(लोकतक और बैरास्यूल की परिसम्पत्तियों के मुकाबले साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)				
एक-एक हजार रुपये के सममूल्य पर 14%, 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कंवर्टीबल बॉण्ड (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 8 जुलाई, 1993 है)	143,26,04		143,48,77	
बॉण्ड "बी" सीरीज़				
(चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम और लीमातक-जिरीबाम की परिसम्पत्तियों के मुकाबले साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित होगा)				
एक-एक हजार रुपये के सममूल्य पर 13%, 7 वर्षीय रिडीबेल नॉन कंवर्टीबल बॉण्ड (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 11 दिसम्बर, 1994 है।)	50,81,00		50,81,00	
एक-एक हजार रुपये के सममूल्य पर 9%, 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन कंवर्टीबल बॉण्ड (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 11 दिसम्बर 1997 है।)	79,19,00	273,26,04	79,19,00	273,48,77
अनारक्षित ऋण				
बॉण्ड "सी" सीरीज़				
(परिसम्पत्तियों के मुकाबले साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)				
एक-एक हजार रुपये के सममूल्य पर 9%, 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कंवर्टीबल बॉण्ड (इस की शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि मई, 1998 है)	150,00,00		—	
भारत सरकार से ऋण	521,74,19		173,64,61	
अन्य स्रोतों से ऋण	177,71,52	849,45,71	117,89,91	291,54,52
		11,22,71,75		565,03,29

स्थिर परिसम्पत्तियाँ

अनुसूची-4
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	1.4.88 को सकल ब्लॉक	बढ़ोत्तरी/ समंजन	कटोतियाँ/ बिक्री/ हस्तांतरण	31.3.89 को सकल ब्लॉक	31.3.89 को कुल मूल्यह्रास	31.3.89 को को शुद्ध ब्लॉक	31.3.88 को शुद्ध ब्लॉक
1	2	3	4	5	6	7	8
1. भूमि (फ्रीहोल्ड)	6,75,86	3,24,66	51,99	9,48,53	—	9,48,53	6,81,69
2. भूमि (लीज़ होल्ड)	3,24,89	80,93	—	4,05,82	14,85	3,90,97	3,08,03
3. भूमि (अवर्गीकृत)	—	7,33,58	—	7,33,58	—	7,33,58	—
4. भवन	64,96,35	67,89,54	2,05	1,32,83,84	17,36,28	1,15,47,56	46,98,30
5. सड़कें और पुल	13,12,24	13,73,44	48,01	26,37,67	4,69,53	21,68,14	11,16,95
6. संयंत्र और मशीनरी (निर्माण)	1,06,11,57	49,44,01	4,64,66	1,50,90,92	77,97,97	72,92,95	73,11,42
7. संयंत्र और मशीनरी (जनरेटिंग)	38,43,45	53,64,64	—	92,08,09	7,22,96	84,85,13	33,78,09
8. सब-स्टेशन उपस्कर	41,07,99	1,10,89	74,07	41,44,81	2,77,52	38,67,29	37,27,55
9. बाँध, सुरंग, चैनल और पेनस्टॉक सहित हाइड्रॉलिक कार्य	1,73,63,89	4,59,63,97	71,75	6,32,56,11	14,60,51	6,17,95,60	1,71,71,13
10. गाड़ियां व अन्य परिवहन	8,21,79	4,33,01	54,14	12,00,66	6,16,36	5,84,30	4,92,47
11. कार्यालय फर्नीचर व फिक्सचर, कार्यालय उपस्कर व अन्य उपकरण	6,80,49	1,52,38	14,40	8,18,47	1,63,59	6,54,88	5,26,78
12. पारेषण लाइनें	59,87,33	47,76,05	—	1,07,63,38	5,23,33	1,02,40,05	57,33,20
13. विविध उपस्कर/अन्य परिसम्पत्तियाँ	7,73,24	1,09,01	2,11,66	6,70,59	2,41,40	4,29,19	6,53,29
	5,29,99,09	7,11,56,11	9,92,73	12,31,62,47	1,40,24,30	10,91,38,17	4,57,98,90
पिछले वर्ष	4,87,36,08	49,13,21	6,50,20	5,29,99,09	72,00,19	4,57,98,90	

चालू पूँजीगत कार्य

अनुसूची-5
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे		31.3.1989		31.3.1988
1. सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श तथा अन्य प्राम्भिक खर्चे		5,31,67		3,58,67
2. भवन व सिविल इंजीनियरिंग कार्य और संचार		59,06,97		51,02,84
3. सड़कें और पुल		51,91,53		38,36,33
4. बैराज, बाँध, सुरंग और पावर चैनल सहित हाइड्रॉलिक-कार्य		1,22,49,83		76,85,87
5. पेनस्टॉक		67,10		12,94,23
6. जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी		1,00,19,28		82,27,67
7. विद्युत संस्थापनाएं व सब-स्टेशन उपस्कर		38,65,16		19,84,49
8. विविध परिसम्पत्तियाँ		12,02,02		6,72,92
9. ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें		108,95,97		71,24,47
10. निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्चः				
पिछले वर्ष से लाया गया शेष	2,28,79,37		1,48,64,02	
जोड़ः वर्ष के लिये बढ़ोत्तरी (अनुबंध के अनुसार)	1,99,85,19		84,23,07	
	4,28,64,56		2,32,87,09	
घटाएंः वर्ष के दौरान पूँजीकृत	76,77,02		4,07,72	
पी एण्ड एल लेखा में चार्ज की गई	10,84	3,51,76,70	—	2,28,79,37
		8,51,06,23		5,91,66,86

अनुसूची-5 का अनुबंध

31.3.1989 को समाप्त अवधि के लिए निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च का विवरण

(रुपये हजारों में)

	ब्यौरे		31.3.1989		31.3.1988
1.	कर्मचारियों का पारिश्रमिक,				
	वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	35,81,05		11,91,87	
	विदेश सेवा अंशदान	11,35		8,21	
	भविष्य निधि अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	2,39,30		82,18	
	ग्रेच्यूटी निधि अंशदान	30,14		32,30	
	स्टाफ कल्याण	1,64,80	40,26,64	1,48,76	14,63,32
2.	मरम्मत व रख रखावः				
	भवन	1,10,08		61,09	
	मशीनरी व निर्माण उपस्कर	2,72,70		1,98,46	
	अन्य	3,73,25	7,56,03	2,05,15	4,64,70
3.	यात्रा व वाहन		94,18		85,07
4.	स्टाफ कारों व निरीक्षण वाहनों पर खर्च		2,45,19		1,90,98
5.	भूमि अर्जन और पुनर्वास खर्चे		18,00		31,60
6.	किराया		1,39,84		1,19,88
7.	आवासीय स्थान के लिए किराया		35,50		29,49
8.	दरें व कर		4,77		2,89
9.	बीमा		1,85,11		2,58,83
10.	बिजली प्रभारें		1,55,19		1,51,96
11.	टेलिफोन, टेलेक्स व डाक खर्च		69,94		74,70
12.	विज्ञापन व प्रसार		37,42		29,87
13.	डिजाइन व परामर्श		1,77,36		1,39,99
14.	मनोरंजन		1,41		2,68
15.	छपाई व लेखन सामग्री		53,54		37,30
16.	लेखापरीक्षकों को भुगतान				
	(क) लेखा परीक्षा शुल्क	1,30		1,30	
	(ख) अन्य मामलों के लिए	70		80	
	(ग) लेखापरीक्षा खर्चे	1,17	3,17	1,31	3,41
17.	ऋणों पर ब्याज		83,94,02		9,23,25
18.	बॉण्डों पर ब्याज		45,71,86		25,45,70
19.	बॉण्ड जारी करने के खर्चे (टिप्पणी-2)		44,64		2,43,93
20.	बैंक प्रभारें		3,93		5,11
21.	तकनॉलाजी का हस्तांतरण		2,89,10		32,84
22.	बट्टे खाते डाली गयी सामग्रियों/ परिसम्पत्तियों पर हानि		54		9,86
23.	विदेशी परामर्श प्रभारें		6,86,77		16,25,31
24.	वायदा शुल्क		1,85,89		1,71,69
25.	मूल्यह्रास		16,90,65		15,81,02
26.	अन्य खर्चे		5,70,24		2,48,09
27.	विनिमय दर परिवर्तन		26,47,68		2,62,44
28.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान		—		35,00
29.	पूर्व अवधि खर्च		2,85,48		99
			2,53,74,09		1,07,71,90

(रुपये हजारों में)

ब्यौरे		31.3.1989		31.3.1988
घटाएंः प्राप्तियां व वसूलियां				
1. रद्दी सामग्री की बिक्री		5,58		19
2. विद्युत प्रभारें		5,96,69		1,02,53
3. किराया		7,34		2,49
4. ब्याजः				
आवधिक जमा व बचत खाता		1,05,37		1,21,04
ऋण व पेशगियां		2,63,93		1,40,81
अन्य निवेश		16,62,94		2,71,33
5. विविध प्राप्तियां व वसूलियां		2,27,78		1,97,09
6. परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ		2,63		66
7. निर्माण के दौरान बिजली के पारेषण पर प्राप्ति		—		6,80
		28,72,26		8,42,94
शुद्ध खर्च		2,25,01,83		99,28,96
घटाएं				
1. चल रहे पूँजीगत कार्य को आवंटित डिजाइन प्रभारें	1,08,47		93,42	
2. चल रहे कार्य को किराया प्रभारें/ बिना बारी के आवंटित/सीधे आवंटन योग्य	22,36,98		12,58,79	
3. अन्वेषण, डिपाजिट, एजेंसी कार्य और संचालित परियोजनाओं को आवंटित आई.ई.डी.सी.	1,71,19	25,16,64	1,53,68	15,05,89
चल रहे पूँजीगत कार्य को हस्तांतरित राशि		1,99,85,19		84,23,07

टिप्पणीः

1. (क) उपर्युक्त खर्च में निदेशकों को अदा की गई निम्नलिखित राशियां शामिल हैंः

	1988-89	1987-88
	रुपये	रुपये
i) वेतन व भत्ते	2,10,045	4,13,322
ii) छुट्टी नकदीकरण	35,506	—
iii) भविष्यनिधि के लिए अंशदान	16,466	31,168
iv) आवासीय स्थान के लिए किराया	71,729	29,906
v) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	20,207	29,525
vi) यात्रा खर्चे	39,271	1,48,334
vii) छुट्टी यात्रा रियायत	9,850	3,040
viii) बॉण्डों पर ब्याज	42	764

(ख) सरकारी मन्जूरी की शर्तों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों को 250/- रु. प्रति मास की अदायगी पर 1000 कि.मी. तक की सरकारी और निजी यात्राओं के लिये कम्पनी के कार के प्रयोग की अनुमति दी गई है। स्टाफ कार का प्राधिकार मूल्य, यदि असीमित प्रयोग के लिये उपलब्ध होती है तो वर्ष 1988-89 के दौरान 3,530/- रुपये (पिछले वर्ष 8,800/- रुपये) के मूल्य का कार्य हो चुका होता।

2. बॉण्ड जारी करने पर हुए खर्च का ब्यौरा नीचे दिये अनुसार हैः-

i) दलाली	37,53,600
ii) छपाई व लेखन सामग्री	2,08,989
iii) अन्य खर्चे	5,01,800
	44,64,389

चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और पेशगियां

अनुसूची-6
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे			31.3.1989		31.3.1988
1. मालसूचियां					
ट्रांजिट में मालसूचियां सहित स्टोर व फालतू पुर्जे (अनुमानित लागत पर)			96,48,51		97,14,50
2. नकदी व बैंक शेष					
i) नकदी, अग्रदाय, पोस्टल आर्डर व डाक टिकट			8,92		14,70
ii) अनुसूचित बैंकों में शेष बचत खाता			1,94,95,59		74,00,03
iii) गैर-अनुसूचित बैंकों में शेष					
	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष				
चालू खाते	1988-89	1987-88			
नेपाल राष्ट्र बैंक काठमाण्डू	453	27,57	—		4,53
नेपाल बैंक लिमिटेड	—	2,98	—		—
3. विभिन्न देनदार					
i) छः मास से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण (कंसीडर्ड गुड्स)		93,61,55		41,21,05	
ii) अन्य ऋण (कंसीडर्ड गुड्स)		66,91,44		31,26,24	
		1,60,52,99		72,47,29	
घटाएं अनिश्चित या खराब के लिए व्यवस्था		6,06,87	1,54,46,12	—	72,47,29
4. अन्य चालू परिसम्पत्तियां					
i) जमा राशियों पर उपचित ब्याज			18,70		1,94,18
ii) अन्य			2,54,89		—
5. ऋण और पेशगियाँ					
नकद या माल में अथवा प्राप्त मूल्य में वसूली योग्य					
सुरक्षित (कंसीडर्ड गुड)		3,44,28		1,58,20	
असुरक्षित (कंसीडर्ड गुड)		1,66,91,83		1,33,85,96	
असुरक्षित (अनिश्चित)		1,20		—	
घटाएं व्यवस्थाएं					
		1,70,37,31		1,35,44,16	
		1,20	1,70,36,11	—	1,35,44,16
कर्मचारियों को (सुरक्षित) ऋण			2,74,69		2,40,63
कस्टम और पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण में शेष			8,49,07		7,32,16
			6,30,32,60		3,90,92,18

टिप्पणी:

1. निदेशकों द्वारा देय पेशगियां 27,205/- (पिछले वर्ष 74,224/- रुपये वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम देय राशि 80,624/- (पिछले वर्ष 79,134/- रु.)।
2. कम्पनियों, जिनमें कारपोरेशन का कोई निदेशक, एक निदेशक या एक सदस्य है, द्वारा 174.53 लाख रुपए (पिछले वर्ष 109.16 लाख रुपए) पेशगियां देय हैं)।

चालू देयताएं और व्यवस्थाएं

अनुसूची-7
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.1989	31.3.1988
देयताएं		
1. विविध देनदार	25,55,38	11,11,22
2. डिपाजिट/एजेंसी कार्यों की खर्च न की गयी राशि (अनुबन्ध के अनुसार)	2,77,90	1,89,07
3. ठेकेदारों और अन्य से प्राप्त डिपाजिट, रिटेंशन राशि	8,58,24	7,15,26
4. अन्य देयताएं	27,54,58	22,76,74
5. ऋणों पर उपचित ब्याज, परन्तु अभी देय नहीं	72,46,59	10,70,87
6. जारी किए गए चैकों के लिए देयता	43,82,19	16,57,78
	1,80,74,88	70,20,94

टिप्पणी: ऋणों पर उपचित ब्याज परन्तु जो अभी देय नहीं है, में शामिल हैं—संचयी बाण्डों पर 450.47 लाख रुपये (पिछले वर्ष 218.82 लाख रुपए) जो बाण्डों के परिपक्वता (मैच्युरिटी) पर दिया जाना है।

डिपाज़िट कार्यों और एजेंसी आधार पर परियोजनाओं के ब्यौरे

अनुसूची 7 का अनुबन्ध
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.89 तक डिपाजिट राशि	31.3.88 तक का खर्च	1.4.88 से 31.3.89 तक खर्च	खर्च में कारपोरेट कार्यालय का हिस्सा	31.3.1989 तक कुल खर्च	खर्च न हुई राशि
(क) डिपाजिट कार्य						
ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिटें						
1. गंगतोक से मेल्ली-कालिम्पोंग } 2. गंगतोक से डिक्चू }	4,24,13	4,19,63	—	—	4,19,63	4,50
3. लीमातक-जिरीबाम	4,72,18	4,53,76	—	—	4,53,76	18,42
4. रामनगर-गण्डक	1,77,30	1,58,08	—	—	1,58,08	19,22
5. नीपको	10,07	10,07	—	—	10,07	शून्य
6. सलाकती	1,00,00	—	2,64,97	5,30	2,70,27	(–) 1,70,27*
(ख) एजेंसी आधार पर परियोजनाएं						
1. देवीघाट परियोजना	40,69,42	40,35,27	1,16	—	40,36,43	32,99
2. त्रिशूली शक्ति संसाधन अन्वेषण कार्य	5,00	3,84	2,01	—	5,85	(–) 85*

टिप्पणी: ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिटों और एजेंसी आधार पर परियोजनाओं पर खर्च केवल नकद दर्शाता है और इसमें उपचित खर्च शामिल नहीं हैं। खर्च में स्टॉफ को पेशगियां, स्पलायर्स को पेशगियां, ठेकेदारों को पेशगियां, डिपाजिट तथा इस्तेमाल न हुआ स्टॉक शामिल है।

* चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों और पेशगियों के अन्तर्गत दर्शाया गया है

सहायता अनुदान

अनुसूची 7 का अनुबन्ध

(रुपये हजारों में)

ब्यौरे		31.3.1989		31.3.1988
जल-विद्युत परियोजनाओं के अन्वेषण के लिए सहायता अनुदान				
1. चमेरा	3,36,00		3,36,00	
2. धालेश्वरी	1,66,84		1,66,84	
3. धौलीगंगा	3,71,31		3,71,31	
4. गौरीगंगा चरण-प्रथम	2,38,09		2,38,09	
5. गौरीगंगा चरण-द्वितीय	40,00		—	
6. गौरीगंगा चरण-तृतीय	80,00		—	
7. किशनगंगा	1,40,00	13,72,24	—	11,12,24
घटाएं-खर्च				
1. चमेरा (अन्वेषण)	2,59,43		2,59,47	
2. धालेश्वरी	1,71,18		1,64,34	
3. धौलीगंगा चरण-प्रथम	3,72,26		3,40,61	
4. गौरीगंगा चरण-प्रथम	3,26,32		2,73,77	
5. गौरीगंगा चरण-तृतीय	14,31		—	
6. बराह पम्प स्टोरेज योजना, अलवर	30,06		30,06	
7. धौलीगंगा-द्वितीय	1,75,97		1,26,10	
8. किशनगंगा	1,19,49		39,50	
9. बगलिहार	—		1,61,01	
	14,69,02		13,94,86	
प्राप्तियों से अधिक अन्वेषण पर हुए अत्यधिक खर्च को "ऋणों व पेशगियों" के अन्तर्गत दर्शाई गई चालू परिसम्पत्तियों में से घटाएं	2,99,55	11,69,47	3,61,65	10,33,21
सहायता अनुदान की खर्च न हुई राशि		2,02,77		79,03

विविध खर्च

अनुसूची-8

(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.1989	31.3.1988
बट्टे खाते न डाले गए या समंजन न किए गए की सीमा तक का विविध खर्च		
1. प्रारम्भिक खर्चे	12,00	16,01
2. बट्टे खाते की मंजूरी की प्रतीक्षा संबंधी हानियां	81,16	—
	93,16	16,01

विविध आय

अनुसूची-9

(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.1989	31.3.1988
1. अन्य विविध प्राप्तियां और वसूलियां	55,79	41,31
2. स्थिर परिसम्पत्तियों पर लाभ	4,16	35,56
	59,95	76,87

जनरेशन, ट्रांसमिशन और प्रशासनिक खर्च

अनुसूची10
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.1989	31.3.1988
जनरेशन व ट्रांसमिशन खर्चे		
1. स्टोर व फालतू पुर्जों का उपयोग	1,09,16	18,09
2. मरम्मत व रख रखाव		
(क) भवन	59,17	26,93
(ख) मशीनरी	82,01	1,28,03
(ग) अन्य	3,08,02	1,37,63
3. वाहन प्रभारें	48,28	54,54
4. अन्य प्रचालनात्मक खर्चे	1,47,03	1,61
प्रशासनिक खर्चे		
5. किराया	2,09	2,45
6. दरें व कर	4,56	3,26
7. बीमा	13,28	10,36
8. विद्युत प्रभारें	49,75	40,37
9. यात्रा व वाहन	42,29	32,69
10. टेलीफोन, टेलैक्स व डाक खर्च	13,97	6,04
11. परामर्शी प्रभारें	12,52	2,52
12. विज्ञापन व प्रचार	7,59	3,78
13. मनोरंजन खर्चे	27	10
14. छपाई व स्टेशनरी	10,31	7,66
15. कारपोरेट कार्यालय में प्रबंधन खर्च	1,70,58	66,97
16. अन्य विविध खर्चे	93,87	95,87
17. परिसम्पित्तियों की बिक्री पर हानि	10	47
18. निर्माण प्रबंधन पर खर्च	---	73,88
	11,74,85	7,13,25

कर्मचारियों को पारिश्रमिक और लाभ

अनुसूची-11
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.1989	31.3.1988
1. वेतन, ग्रेच्यूटी और भत्ते	10,19,01	4,07,22
2. भविष्य और ग्रेच्यूटी निधियों में कम्पनी का अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	89,45	31,07
3. स्टाफ कल्याण खर्चे	96,88	46,36
	12,05,34	4,84,65

पूर्व अवधि समंजन

अनुसूची-12
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.1989	31.3.1988
1. बिजली की बिक्री	(7,66,65)	—
2. पिछले वर्षों का लाभ	3,53,97	—
3. ब्याज	7,66,01	—
4. मूल्यह्रास	2,04,32	(80)
5. रॉयल्टी	(67,94)	—
6. सुरंग के क्षतिग्रस्त हिस्से की लागत	(69,17)	—
7. वेतन व मजदूरी	(25,94)	(64,87)
8. मरम्मत व रख रखाव	(4,92)	(3,83)
9. अन्य विविध	(15,89)	(3,37)
	3,73,79	(72,87)

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. निम्नलिखित के संबंध में मुख्य देयतायें मौजूद हैं:-

(क) कम्पनी के विरूद्ध दावे लिखे दावों की पावती नहीं हुई है क्योंकि ऋणों की राशि 3693.90 लाख रुपये बनती है (पिछले वर्ष 607.27 लाख रुपये)।

(ख) लैटर ऑफक्रेडिट 105.88 लाख रुपये (पिछले वर्ष 37.18 लाख रुपये)।

(ग) 15.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 15 लाख रुपये)।

(घ) i) आयकर मांग 12.42 लाख रुपये (पिछले वर्ष 41.58 लाख रुपये)।

ii) बैरास्यूल परियोजना के संबंध में पिछले वर्षों के बिक्रीकर मांग 1.62 लाख रुपये (पिछले वर्ष—शून्य)।

एजेंसी आयकर पर डिपाजिट कार्यों और अनुदान पर निष्पादित परियोजनाओं के संबंध में फुटकर देयताएं, यदि कोई हैं, शामिल नहीं की गई हैं क्योंकि कारपोरेशन की देयता की प्रत्याशा नहीं है।

2. पूंजी लेखों पर निष्पादित होने वाले शेष खर्चों की अनुमानित राशि और जिसकी व्यवस्था नहीं की गई है, 26489.43 लाख रुपये बनती है (पिछले वर्ष 28917.19 लाख रुपये)।

3. कारपोरेशन को वर्तमान 800 करोड़ रुपये की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी की 1300 करोड़ रुपये (एक हजार तीन सौ करोड़ रुपये केवल) तक बढ़ाने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन भारत सरकार ने कर दिया है। तदनुसार बढ़ी हुई प्राधिकृत हिस्सा पूंजी को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया चल रही है।

4. सैंट्रल गर्वनमेंट फंड-एडजेस्टेबल टू इक्विटी में निम्न शामिल है:-

(क) हिस्सा पूंजी के रूप में भारत सरकार से प्राप्त 225 लाख रुपये—800 करोड़ रुपये से 1300 करोड़ रुपये तक प्राधिकृत हिस्सा पूंजी को बढ़ाने के लिए कुछ औपचारिकताओं के पूरा होने तक।

(ख) चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम के निर्माण के लिए सरकार से लिये गये ऋण की 180 लाख रुपये की राशि जिसको इक्विटी में बदलने के लिए सरकार की सिद्धान्त रूप से सहमति हो गई है। कुछ औपचारिकताओं को पूरा किया जाना शेष है।

(ग) रुपये 33156.61 लाख सलाल परियोजना ने सरकार के फंड के एक हिस्से के रूप में और जैसाकि टिप्पणी नं. 5 में बताया गया है, इस परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान उपचित ब्याज का हिस्सा।

5. (क) सलाल जल विद्युत परियोजना (चरण-1) जिसे कारपोरेशन भारत सरकार की ओर से एजेंसी आधार पर निष्पादित कर रही थी, वह वास्तव में 1 नवम्बर, 1987 से स्वामित्व आधार पर कारपोरेशन को हस्तांतरित हो गई है। हस्तांतरण की शर्तों और इस संबंध में कानूनी दस्तावेजों को अंतिम रूप दिये जाने तक, उस परियोजना के लेखे कारपोरेशन के लेखों में निगमित कर दिये गये हैं इस के लिए उन्हीं शर्तों को ध्यान में रखा गया है जिनका कारपोरेशन को भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित की गई अन्य परियोजनाओं के संबंध में पालन किया गया था जैसे परियोजनाओं के निर्माण के लिए सरकार से कुल फण्ड-इन-फ्लो में से, परियोजना की अनुमानित संशोधित लागत से पहले 50 प्रतिशत के रूप में, 29764.04 लाख रुपये की राशि, को भारत सरकार से निवेश के तौर पर मानी गई है और इक्विटी हिस्सा पूंजी के निर्गम द्वारा समायोजन/अलग-अलग तारीखों पर ली गई शेष राशि को, राशि लेने की तारीख से, सरकार की नीति के अनुसार प्रचलित दर पर ब्याज देने वाले ऋण के रूप में मानी गई है। निर्माण अवधि के दौरान निवेश की ऐसी ऋण राशि पर उपचित ब्याज को भी पूंजीकृत कर दिया गया है और उसके 50 प्रतिशत हिस्से को इक्विटी पूंजी के निर्गम के रूप में समायोजित मान लिया गया है और शेष को ऋण के रूप में। इक्विटी पूंजी के निर्गम द्वारा समायोज्य राशि और उपरोक्त आधार पर निकाली गयी ऋण की राशि क्रमशः 33156.61 लाख रुपये और 30149.79 लाख रुपये बनती है और जो क्रमशः ''इक्विटी में समायोज्य सरकारी फंड'' और ''असुरक्षित ऋण'' में शामिल की गई हैं।

(ख) सलाल जल-विद्युत परियोजना के लेखे सरकारी लेखा पद्धति पर रखे जा रहे थे। लेखों का वाणिज्यिकरण और परियोजना अवयवों का पूंजीकरण इन अवयवों पर खर्च हुई लागत के आधार पर और 31 मार्च, 1989 को भंडारों की वास्तविक माल-सूची, फर्नीचर और फिक्सर्स आदि की अनुमानित लागत तथा पूंजी लेखे में समाधान/समंजन की शर्त के अधीन किया गया था। इसी प्रकार सरकार से वसूली योग्य 206.19 लाख रुपये, परियोजना बहियों के अनुसार विभिन्न नामें, जमा व लेखों के प्रेषण-शीर्षों के अन्तर्गत बकायों के निपटान को ऊर्जा मंत्रालय के संबंधित कार्यालयों के साथ समाधान की शर्त के अन्तर्गत दिया गया है।

(ग) सलाल परियोजना में 1 दिसम्बर, 1987 से वाणिज्यिक बिजली उत्पादन शुरू हुआ था और इस प्रकार परियोजना द्वारा कमाए गए 479.55 लाख रुपये की शुद्ध लाभ की राशि, कारपोरेशन के वर्ष 1988-89 के लाभ व हानि लेखा में पूर्व अवधि समायोजन के रूप में दर्शाई गई है।

6. (क) लाभभोगियों के साथ बिजली आपूर्ति के करार को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। करारों को अन्तिम रूप दिए जाने तक चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम, लोकतक, बैरास्यूल परियोजनाओं और सलाल परियोजना से की गई बिजली की बिक्री को क्रमशः 45 पैसे, 53.10 पैसे, 37.50 पैसे और 46.20 पैसे प्रति के.डबल्यू.एच. की अनन्तिम बुनियादी दर पर लेखे में लिया गया है। उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए और अन्तिम वसूली को ध्यान में रखते हुए मिली पुरानी अदायगियों पर लाभभोगियों से कोई ब्याज हिसाब में नहीं लिया गया है।

(ख) इसी प्रकार, चुखा हाइडल परियोजना (भूटान) के साथ करार को अन्तिम रूप दिए जाने का मामला लंबित होने से बिजली की खरीद 27 पैसे प्रति के.डबल्यू.एच. की दर से लेखे में ली गई है।

7. कुछ मामलों में भूमि की लागत मुआवजे और अन्य प्रासंगिक खर्चों के तौर पर अनन्तिम/प्रारम्भिक अदायगी दर्शाती है। कुछ मामलों में कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तक भूमि का स्वामित्व कारपोरेशन को नहीं दिया गया है। संबंधित पब्लिक अथॉरिटीज/राज्य सरकारों द्वारा भूमि, जिसके लिए अभी तक कानूनी स्तर और जमीन का स्वामित्व स्पष्ट नहीं हुआ है, के हस्तांतरण के लिए विचार किया गया और उसे अवर्गीकृत के तौर पर दिखाया गया है।

8. चल रहे पूंजीगत कार्य में "भवन, सिविल इंजी. कार्यों और संचार" के अन्तर्गत शामिल की गई 1783.87 लाख रुपये की राशि उन खर्चों से संबंधित है, जो सड़कों, पुलों, पुलियों और कारपोरेशन से संबंधित भूमि पर अस्थायी शैडों पर खर्च हुआ है और उन्हें लेखानीति सं. 10 के अनुसार आबंटित किया गया है।

9. कुछ परियोजनाओं, जहां निर्माण कार्य जारी हैं, में मूल्यित भंडार खाते पूरे नहीं हुए हैं। इनके पूरा होने तक और विस्तृत समाधान होने तक माल-सूचियों की 9648.51 लाख रुपये की राशि बहियों के अनुसार ली गई है। हालांकि ऐसी सभी माल-सूचियों का उपयोग निर्माण गतिविधियों में किया जाएगा, अतः प्रबंधवर्ग ऐसी माल सूचियों के मूल्य में किसी ह्रास की प्रत्याशा नहीं करता है।

10. वर्ष के भीतर प्राप्त और उपयोग में लाए गए ऐसे कुछ पूंजीगत भंडारों के संबंध में सत्यापित बिलों और अन्य संबंधित कागजातों की प्राप्ति होने तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

11. (क) निम्नलिखित के संबंध में पिछले वर्ष तक कारपोरेशन द्वारा जिन लेखा-नीतियों का पालन किया जा रहा था, वे हैं:-

(i) बिजली उत्पादन स्टेशनों में खर्चों के लिए पड़े अनुपयोग संचालित भंडारों का चार्जिग मूल्य,

(ii) प्राप्ति आधार पर कर्मचारियों, ठेकेदारों, सप्लायरों आदि को दिए गए ऋणों और पेशगियों पर ब्याज की गणना, और

(iii) भुगतान के आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट की आय में घाटे, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति की गणना, कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा, कम्पनी अधिनियम की धारा 209 में किए गए संशोधनों के दृष्टिगत और गणना के एकूड सिस्टम का पालन करते हुए इस वर्ष से इसका परित्याग कर दिया गया है। नीति में ऐसे बदलावों से परिणामतः लाभ की राशि में 69.58 लाख रुपये अधिक हो गए।

(ख) अन्वेषण परियोजनाओं और एजेंसी आधार पर ली गई परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को दी गई पेशगियों पर बने ब्याज की बकाया राशि को परियोजना लागत में समायोजित कर लिया गया है और नीति सं. 13 (घ) के शर्तों में कारपोरेट कार्यालय के खर्चों का हिस्सा आबंटित करने के उद्देश्य से शुद्ध पूंजी व्यय में डालने से पूर्व कारपोरेशन के लेखों में इसे प्रतिफलित कर लिया गया है।

12. (क) अन्वेषण करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराने के लिए किसी वचनबद्धता की गैर-मौजूदगी और बगलिहार परियोजना में पिछले वर्ष की समाप्ति तक हुए 161.01 लाख रुपये के कुल खर्च और 1988-89 के दौरान 212.94 लाख रुपये को कारपोरेशन के लेखे में डाला गया है और सहायता अनुदान के लेखों में आवश्यक समायोजन कर दिए गए हैं।

(ख) 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष में आंध्रप्रदेश में गुनटुर कैनाल पर मिनी-माइक्रो हाइडल पावर स्कीम की संभाव्यता रिपोर्ट के संबंध में खर्च हुए 10.84 लाख रुपये के कुल व्यय को चालू वर्ष के लाभ और हानि लेखों में चार्ज किया गया है क्योंकि यह स्कीम कार्यान्वित नहीं हुई और परियोजना स्थापना परिसमाप्त हो गई।

13. कामगारों का वेतन ढांचा अगस्त, 1983 से संशोधित कर दिया गया है। क्योंकि चालू अवधि में कर्मचारियों के साथ समझौता हुआ और इस संबंध में देयता को निश्चित रूप दिया गया, इसलिए इस वेतन समझौते के होने से बनी देय राशि की गणना चालू वर्ष के खर्चों में की गई है।

14. कारपोरेशन ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से एजेंसी आधार पर दिए गए नेपाल में नुवाकोट ग्राम विद्युतीकरण परियोजना के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्रबंधन की अर्जित फीस (18.31 लाख रुपये) और व्यय हुए (7.48 लाख रुपये) को चालू वर्ष के लाभ और हानि लेखे में लिया गया है।

15. (i) स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास लेखा-नीति सं. 8 और 9 (ख) के अनुसार चार्ज किया गया है।

(ii) चल रही परियोजना में निपटान/स्थानांतरण के लिए प्रतीक्षारत फालतू निर्माण उपस्करों, जिनके लिए लेखा नीति सं. 9 (ख) के अनुसार कोई मूल्यह्रास चार्ज नहीं किया गया है, का मूल्य 138.80 लाख रुपये (शुद्ध ब्लॉक) है।

(iii) सलाल परियोजना में निर्माण संयंत्र और मशीनरी, उपस्करों यातायात वाहनों, फर्नीचर व फिक्सर, कार्यालयों उपस्करों, भवनों आदि पर मूल्यह्रास को कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 की अनुसूची 14 में दी गई दरों पर गत अवधियों के लिए विनियमित किया गया है और तदनुसार कारपोरेशन की लेखे में लिया गया है।

16. आयकर की देयता के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। क्योंकि प्रबंधवर्ग के विचार में इस संबंध में कोई देयता नहीं बनती है।

17. पिछले वर्ष के आंकड़ों का चालू वर्ष के आंकड़ों से मेल बिठाने के लिए, जहां कहीं व्यवहार्य था, उन्हें उचित रूप से पुनः व्यवस्थित कर दिया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 अनुसूची-1 के भागII के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना

ब्यौरे	1988-89	1987-88
1. **कर्मचारियों पर खर्च**		
उन कर्मचारियों पर खर्चे, जो यदि वर्ष भर नियुक्त रहे होते तो उन्होंने 72,000/रु. प्रतिवर्ष (पिछले वर्ष 36,000/-रु. प्रतिवर्ष से कम वेतन नहीं लिया होता। वर्ष के किसी अंश के लिए नियुक्त रहे होते तो 6,000/-रु. प्रतिमास (पिछले वर्ष 3000/-रु. प्रतिमाह) से कम नहीं लिया।		
(क) पूरे वर्ष नियुक्त रहे		
i) कर्मचारियों की संख्या	141	626
ii) वेतन व मजदूरी (रुपये हजारों में)	10,452	3,14,37
iii) परिलब्धियों का मूल्य (रुपये हजारों में)	2071	9,59
(ख) वर्ष के आंशिक भाग के लिए नियुक्त रहे		
i) कर्मचारियों की संख्या	6	48
ii) वेतन व मजदूरी (रुपये हजारों में)	434	13,42
iii) परिलब्धियों का मूल्य (रुपये हजारों में)	37	95
(इसमें परियोजनाओं पर नियुक्त कर्मचारी शामिल नहीं हैं, ये परियोजनाओं के आधार पर निष्पादित की जा रही हैं और इन कर्मचारियों का वेतन, भारत सरकार से प्राप्त डिपॉजिट में डाला जाता है न कि कारपोरेशन के निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च में)।		
एजेंसी आधार पर निष्पादित की जा रही परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में सूचना नीचे दिए अनुसार है:		
(क) पूरे वर्ष नियुक्त रहे		
i) कर्मचारियों की संख्या	1	104
ii) वेतन व मजदूरी (रुपये हजारों में)	87	5187
iii) परिलब्धियों का मूल्य (रुपये हजारों में)	—	202
(ख) वर्ष के आंशिक भाग के लिए नियुक्त		
i) कर्मचारियों की संख्या	1	4
ii) वेतन व मजदूरी (रुपये हजारों में)	85	87
iii) परिलब्धियों का मूल्य (रुपये हजारों में)	15	3

टिप्पणियाँ: (1) उपदान की रकम हिसाब में नहीं ली गई है क्योंकि इसकी व्यवस्था जीवन बीमा निगम से ली गई उपदान तथा जीवन बीमा पालिसी के आधार पर की गई है।
(2) आर.ई.पी. कर्मचारियों के पारिश्रमिक में विदेश भत्ता शामिल है।

	1988-89	1987-88
2. **विदेशी मुद्रा में हुआ खर्च**		
i) जानकारी	—	—
ii) अन्य विविध मामले	1120665	866559
3. **अतिरिक्त पुर्जों और अवयवों का मूल्य (ओ. एण्ड एम. परियोजनाएं)**		
i) आयातित	—	—
ii) स्वदेशी	10916	1809
4. **आयातित संयंत्र व मशीनरी और फालतू पुर्जों का मूल्य**	44,05,43	49,02,54
5. **लाइसेंसीकृत/अधिष्ठापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन**		

	बैरास्यूल		लोकतक		चुखा टी.सी.यू.		सलाल
	1988-89	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89
1. लाइसेंसीकृत क्षमता	180मे.वा	180मे.वा.	105मे.वा.	105मे.वा.			690मे.वा.
2. अधिष्ठापित क्षमता	180मे.वा.	180मे.वा.	105मे.वा.	105मे.वा.			345मे.वा
3. वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिटों में)	704.07	751.378	374.56	404.95			2148.3 मि.यू.
4. मूल्य (रु. हजारों में)	251287 (656.25 मि.यू.)	260097 (701.05 मि.यू.)	197091 (371.17 मि.यू.)	221888 (401.25 मि.यू.)			958454 (2093 मि.यू.)
5. बिजली की खरीद (मिलियन यूनिटों मे)	—	—	—	—	1300.88	1042.20	—
6. बिजली का पारेषण और बिक्री (मिलियन यूनिटों में)	—	—	—	—	1298.40	1024.96	—

लेखा नीतियां :

1. सेवा उपदान के निमित्त प्रतिवर्ष उपचित देयता का भुगतान जीवन बीमा निगम से ली गई पालिसी की अपेक्षित किस्त की अदायगी करके भुगताया जाता है और अदायगी वर्ष में लेखित किया जाता है।
2. निर्माण के दौरान विदेशी विनिमय ऋणों के लिए देयता का निर्धारण वर्ष के अन्त में प्रचलित विनिमय दर के संदर्भ में किया जाता है और अन्तर, यदि कोई हो, तो इसे निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च में डाल दिया जाता है, जो पूँजीकरण किए जाने तक चल रहे पूँजीगत कार्यों का एक हिस्सा होता है।
3. कारपोरेशन को विभिन्न परियोजनाओं के अन्वेषण के लिए सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है। सहायता-अनुदान का शेष अन्वेषण कार्यों पर हुए खर्च की कटौती के पश्चात् चालू देयताओं तथा प्रावधान व्यवसायों के अन्तर्गत दिखाया है। सहायता-अनुदान से खरीदी गई, निर्मित की गई परिसम्पत्तियों का स्वामित्व कारपोरेशन के पास नहीं है इसलिए इसे कारपोरेशन की परिसम्पत्तियों में शामिल नहीं किया गया है।
4. निष्पादित लेकिन आंके न गए पूँजीगत कार्यों को कारपोरेशन द्वारा अन्तिम रूप से निरीक्षित तथा स्वीकार्य न होने के कारण देयता, यदि कोई हो, में नहीं दिखाया गया है इसलिए इसे कारपोरेशन की परिसम्पत्तियों में शामिल नहीं किया गया है। काम में ली जा रही सामग्री के लिए देयता कारपोरेशन द्वारा उसी तरह प्राप्ति निरीक्षण और स्वीकार्य होने के समय तक नहीं दी गई है।
5. पूरी हो चुकी परिसम्पत्तियों को ऐसी परिसम्पत्तियों के निर्माण पर आय मूल्य के आधार पर पूंजीकृत किया गया है, जहां कहीं वास्तविक खर्च निर्धारित नहीं किया जा सका है, वहां उसे अनुमान के आधार पर निर्धारित किया गया है।
6. राज्य सरकारों सहित अन्य एजेंसियों द्वारा कारपोरेशन से संबंधित कुछ परिसम्पत्तियों की लागत के कुछ अंश में दी गई राशियां ऐसी परिसम्पत्तियों की लागत में से कम कर दी गई हैं और लेखों में शुद्ध लागत दर्शाई गई है। अन्य एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व रखने वाली परिसम्पत्तियों के मामले में अन्य एजेंसियों द्वारा अंशदान को ऐसी परिसम्पत्तियों की लागत में से कम कर दिया जाएगा और लागत पूरा होने के वर्ष में दर्शायी जाएगी।
7. निर्माणाधीन परियोजनाओं में परिसम्पत्तियों, जो कारपोरेशन से संबंधित नहीं हैं, पर अनुदान/लागत का हिस्सा/हुआ खर्च अंतिम आवंटन हो जाने तक चालू निर्माण कार्य के अन्तर्गत लेखों में दिखाया गया है।
8. विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 68 की उपधारा-1 के अधीन जारी अधिसूचना में दी गई दरों पर बिजली उत्पादन/ट्रांसमिशन, संचालन और जनरेटिंग स्टेशनों के रख-रखाव के लिए प्रयुक्त परिसम्पत्तियों, संयंत्र व मशीनरी, उपस्कर आदि पर मूल्य-ह्रास, उस वर्ष से तथा बाद के वर्ष से चार्ज किया जा रहा है जबकि परिसम्पत्तियों को काम में लाया गया है। निर्माण संयंत्र व मशीनरी उपस्कर परिवहन वाहनों, कार्यालय उपस्कर, भवनों आदि पर मूल्य-ह्रास कम्पनी (संशोधित) अधिनियम, 1988 की अनुसूची—में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दिया गया है। 2 अप्रैल, 1987 से पूर्व खरीदी गई/निर्मित की गई परिसम्पत्तियों के मामले में कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की शर्त के अनुसार कम्पनी अधिनियम के पहले के प्रावधानों के अन्तर्गत दिए जाते रहे हैं। मूल लागत के 95 प्रतिशत को भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार की गई गणना को विशिष्ट अवधि से विभाजित करके सीधी रेखा विधि पर किया गया है और उच्चतर साइड में अगले 2 डेसिमल तक राउंड कर दिया गया है।
9. (क) संयंत्र व मशीनरी और भंडारों का अंतः परियोजना/यूनिट स्थानांतरण बही-मूल्य (बुक-वेल्यू) पर किया जा रहा है। तथापि कारपोरेशन की निर्माण परियोजनाओं को संचालनात्मक परियोजनाओं से की गई बिजली सप्लाई उसी सामान्य दर के अनुसार ही चार्ज की जा रही है, जो दर संचालनात्मक परियोजनाओं के लाभभोगी राज्यों के लिए लागू है।

   (ख) परियोजनाओं पर रखे अधिशेष/पुराने भंडारों और उपस्कर की आवधिक अंतरालों पर पहचान की जा रही है। इस तरह पहचानी गई बकाया मदों को कारपोरेशन की अन्य परियोजनाओं/यूनिटों को हस्तांतरित किया जा रहा है, जहां कि उनकी आवश्यकता है। अधिशेष उपस्कर/भंडारों को केन्द्रीय/राज्य सरकारों की अन्य परियोजनाओं/उपक्रमों/विभागों को ऐसी मदों को उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भी दिया जाता है। परियोजना/यूनिट की आवश्यक-तानुसार अधिशेष घोषित परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास की व्यवस्था नहीं की जाती। निपटान पर हानियां, यदि कोई हैं, की ऐसी मदों के निपटान के पश्चात् गणना की जा रही है।
10. निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च की कुल राशि और परियोजना, जिसमें वर्ष के दौरान वाणिज्यिक संचालन आरंभ किया गया, पर आया प्रत्यक्ष खर्च वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के पहले दिन आई/समायोजित लागत के आधार पर, भूमि को छोड़कर, प्रत्यक्ष स्थित परिसम्पत्तियों पर डाला गया है।
11. विभिन्न कार्य/स्थलों पर पड़े पूंजी भंडारों और राजस्व भंडारों के स्टाक की लागत क्रमशः सीधे निर्माणधीन कार्यों तथा जनरेशन, ट्रांसमिशन और प्रशासनिक खर्चों में डाल दी गई है।
12. छोटी-मोटी वस्तुओं और औजारों, जिनका कि प्रत्येक का मूल्य 100/-रुपये से कम है, को उपभोग्य लेखे में डाला गया है। 100/-रुपये और इससे अधिक मूल्य के अलग-अलग औजारों के प्रत्येक मामले में लागत को पूँजीकृत किया गया है और अलग-अलग औजारों के अंतर्गत दिखाया गया है। इस प्रकार पूँजीकृत किए गए अलग-अलग औजारों की लागत अलग-अलग औजारों के उपयोग के नामे डाल कर 5 बराबर वार्षिक किस्तों में बट्टे खाते डाली गई है।
13. कारपोरेट कार्यालय के खर्चों को पेशगियों और परिसम्पत्तियों को छोड़कर किन्तु अधिशेष कर्मचारियों के पारिश्रमिक को शामिल कर, नीचे दिए अनुसार आवंटित किया गया है :

   (क) कारपोरेशन द्वारा डिपाजिट कार्यों के तौर पर निष्पादित की जा रही मौजूदा ट्रांसमिशन लाइनों पर हुए प्रत्यक्ष पूँजी के खर्च के 2 प्रतिशत की समान दर से स्थिर प्रशासन/प्रबंध शुल्कों पर लिए गए डिपाजिट कार्य पर लाभ या हानि, यदि कोई हो, को ऐसे कार्यों के पूरा होने और इसके लेखे को अंतिम रूप दिए जाने पर समायोजित किया/लेखों में लिया जाएगा।

   (ख) सम्बद्ध परियोजनाओं/यूनिटों को दी गई सेवाओं की मात्रा के आधार पर परियोजनाओं/यूनिटों के मामले में कारपोरेट कार्यालय में हुए अनुमानित डिजाइन खर्चे।

   (ग) तीसरी पार्टी को देय करों, ड्यूटियों, व्हीलिंग चार्जेज व बिजली प्रभारों रहित, ऊर्जा की बिक्री के 1 प्रतिशत की दर से संचालनात्मक परियोजनाओं और ट्रांसमिशन सिस्टम पर।

   (घ) शेष खर्चों का आवंटन निर्माणधीन, अन्वेषण, एजेंसी आधार और संचालनात्मक परियोजनाओं पर वर्ष के दौरान उन पर हुए शुद्ध पूँजीगत खर्च के यथानुपात आधार पर किया गया है।
14. चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्षों से सम्बद्ध हुए खर्च या वसूली गई आय, यदि प्रत्येक मामले में राशि 5,000/-वार्षिक किस्तों में बट्टे खाते डाली गई, "पूर्व अवधि समायोजन" शीर्षक के अन्तर्गत ही दिखाई गई है।
15. संचालनात्मक परियोजनाओं में जहां निर्माण कार्यकलाप अभी भी चल रहा है, सामान्य सेवा खर्चे मूल रूप से प्रत्येक क्रियाकलाप यानी निर्माण/संचालन द्वारा की गई अनुमानित सेवाओं से प्राप्त लाभ के आधार पर आवंटित किए गए हैं।
16. कुछ निर्माणधीन परियोजनाओं में धन लगाने के लिए बांड चालू किए किए गए हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का निर्माण, यदि आवश्यक हुआ, विलम्बन-काल यानी संबंधित परियोजना में वाणिज्यिक संचालनों के आरंभ होने के बाद शुरू किया जाएगा।
17. निर्माण अवधि के दौरान निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए डिबेंचर/बांड जारी करके वित्तीय व्यवस्था जुटाने पर हुए खर्च को पूँजीगत खर्च के तौर पर लिया जाता है और "निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च" में डाला जाता है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट:

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की सेवा में

हमने नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के 31 मार्च, 1989 के संलग्न तुलन पत्र और उसके साथ संलग्न कारपोरेशन के उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभ व हानि लेखा, जिसमें शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा परियोजना/यूनिटों का लेखा परीक्षण भी शामिल है, की लेखापरीक्षा की है और हमारी रिपोर्ट है किः-

1. जैसा की कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4क) की शर्तों में कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्माता व अन्य कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 1988 के अंतर्गत अपेक्षित है, कथित आदेश पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध में संलग्न है।

2. उपर्युक्त पैरा-। में संदर्भित अनुबंध में दी गई हमारी टिप्पणियों के अलावा-

(क) हमने वे सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिये आवश्यक थीं।

(ख) हमारे मतानुसार कम्पनी के कानून द्वारा अपेक्षित समुचित बहियाँ रखी हैं, जैसा कि बहियों की हमारी जांच से मालूम होता है और जिन परियोजनाओं और यूनिटों का दौरा हमने नहीं किया और उन परियोजनाओं/यूनिटों से लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिये पर्याप्त समुचित विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं।

(ग) परियोजनाओं/यूनिटों जिनका लेखा परीक्षण हमने नहीं किया, के संबंध में अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय शाखा लेखापरीक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट का ध्यान रखा गया है और इस पर विश्वास किया गया है।

(घ) इस रिपोर्ट में संदर्भित तुलन-पत्र और लाभ व हानि लेखा और विवरण बहियों से मेल खाते हैं।

(ङ) हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा-नीतियाँ तथा उनके अंश व्याख्यात्मक टिपणियाँ सहित पठित कथित तुलन-पत्र और लाभ हानि लेखा के भाग और निम्नलिखित बातों के अधीन हैं:-

i) सलाल जल विद्युत परियोजना के मामले में उसके लेखों को कारपोरेशन के इस वर्ष के लेखों में सम्मिलित किया है, लेकिन हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारा मत है कि परियोजना की मालिक कारपोरेशन नहीं है। हालांकि ऊर्जा मंत्रालय ने दिनांक 9.2.1989 के अपने पत्र संख्या 4/1/78-डी.ओ. (एन.एच.पी.सी.) द्वारा सूचित किया है कि कारपोरेशन को परियोजना का हस्तांतरण करने के बारे में सरकार ने निर्णय ले लिया है। परिणामतः इस वर्ष के लेखों में निम्नलिखित अधिविवरण हुआ हैः-

	(रुपये लाखों में)
(क) वर्ष के लिए लाभ	3693.85
देनदारियां	
(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	3693.85
(ग) अनारक्षित ऋण	30149.79
(घ) इक्विटी में समायोजना योग्य सरकारी निधि	33156.61
(ङ) चालू देयताएं व व्यवस्थाएं	950.70
परिसम्पत्तियां	
(च) स्थिर परिसम्पत्तियां	59808.37
(छ) चालू पूंजीगत कार्य	9.26
(ज) माल-सूचियां	1752.07
(झ) नकद तथा बैंक शेष	0.19
(ण) विभिन्न देनदार	6624.09
(ट) ऋण तथा पेशगियां	(-) 243.03

उपरोक्त के दृष्टिगत, हमने सलाल परियोजना को कारपोरेशन के पास एजेंसी आधार पर मानते हुए, उसके लेखों पर अलग से एक रिपोर्ट दी है।

ii) कारपोरेट कार्यालय के बैंक समाधान से मालूम होता है कि क्रमशः 296.93 लाख रुपये और 1496.00 लाख रुपये की राशि बैंक/कारपोरेशन द्वारा लम्बी अवधियों के ऋणों और जमाओं का समायोजन बहियों में बकाया है। इसके अलावा वर्ष के अन्त में बकाया पड़े चैकों को जारी करने के बारे में बैंक/कारपोरेट कार्यालय/यूनिटों द्वारा लम्बी अवधि के समायोजनों/बढ़ोत्तरियों/अल्पनामें/जमाओं का शोधन बकाया पड़ा है।

iii) स्थिर परिसम्पत्तियों के मामले में, अन्तः यूनिट हस्तांतरणों में शामिल परिवर्धनों और कटौतियों के कारण स्थिर परिसम्पत्तियों में परिवर्धनों और कटौतियों का अधिविवरण हुआ है और इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है।

iv) ठेकेदारों, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, स्टाफ/सरकारी विभागों सहित अन्य विभागों को दिए गए ऋण और पेशगियों को लेखो/विभिन्न बिलों के सत्यापन/किए गए कार्यों, की गई सेवाओं के सत्यापन के बाद समाधान/समंजन और पुष्टि की जानी है। इन सभी के प्रभाव का अभिनिश्चय नहीं हुआ है।

v) विद्युत शक्ति की बिक्री से प्राप्त राजस्व में अन्तः यूनिट से विद्युत शक्ति प्रभारित का 71.23 लाख रुपये की राशि का मार्किट मूल्य भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप नेशनल लाभ में मार्किट मूल्य की अधिकता की सीमा तक अधि-लागत हो गई।

vi) जनरेशन/ट्रांसमिशन, विद्युत उत्पादन स्टेशनों के प्रचालन और रख-रखाव के लिए इस्तेमाल किए गए संयंत्र और मशीनरी आदि के अलावा परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची/(कम्पनी संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा यथा पुनःस्थापित) के अनुसार चार्ज किया जा रहा है और परिसम्पत्तियों पर 2.4.1987 को अथवा इसके बाद अपेक्षित मूल्यह्रास की पुनर्गणना की गई है और इस वर्ष के लेखों में समायोजित राशि पर ऐसी पुनर्गणना को निर्धारित नहीं किया गया है।

vii) बहुत से मामलों जैसे एजेंसी आधार पर निष्पादित परियोजनाआं, डिपॉजिट कार्यों और सहायता-अनुदान के बदले निष्पादित कार्यों और भारत सरकार की ओर से हाथ में ली गई परियोजनाओं के बारे में तैयार किए गए लेखे नकदी पर आधारित हैं, जो लेखा-शास्त्र के संभूति (अकुअल) पद्धति संबंधी कम्पनी अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन नहीं हुआ है। इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है।

viii) वसूली योग्य दावों में शामिल है-विवादास्पद 17.73 लाख रुपये की राशि और मध्यस्थ-निर्णय के लिए पड़ी है, जिसकी कारपोरेशन के पास कोई सिक्योरिटी नहीं हैं और न ही दावे की अवसूली योग्यता की हालत में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

ix) जैपोर-तलचर ट्रांसमिशन परियोजना में कम प्राप्त/क्षतिग्रसत हुई 10.83 लाख रुपये की सामग्री का समंजन नहीं किया गया है जोकि चल रहे पूँजीगत कार्य में शामिल है और ठेकेदार द्वारा बदली जानी है।

x) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड के साथ हुए करारों पर या उसके बाद उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा पेश किए गए दावे, जिसके लिए अन्तिम राशि अदा/समंजित की गई है, पर देयता के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कारपोरेशन ने सभी रिकार्ड/दस्तावेज/टाइटल डीड आदि अपने कब्जे में नहीं लिए हैं।

xi) माल-सूची के मूल्य को जनरल लेजर के अनुसार नहीं लिया गया है, जिसका मूल्य भंडार बहियों के साथ समाधान नहीं किया गया है। हमारे विचार में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धान्तों के अनुसार यह ठीक और उचित नहीं है। लेखों पर पड़े इसके प्रभाव का अभिनिश्चय नहीं किया गया है।

xii) दुलहस्ती परियोजना में अनुमानतः 8.22 लाख रुपये की राशि की हानि, जो अधूरी आपूर्ति/अनापूर्ति/क्षतिग्रस्त सामग्री की आपूर्ति के कारण हुई है, का कोई समायोजन नहीं किया गया है।

टिप्पणियां :

6. (क व ख) विभिन्न सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों और अन्य एजेंसियों से बिजली पावर की बिक्री से प्राप्त राजस्व को अनन्तिम दरों/मीटररीडिंग के आधार पर लेखों में लिया गया है क्योंकि लाभ-भोक्ताओं के साथ बिजली पावर की बिक्री संबंधी करारों को अन्तिम रूप अभी तक नहीं दिया गया है।

7. अनन्तिम/प्रारंभिक अदायगियों के आधार पर भूमि की लागत के लिए और कारपोरेशन को भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी न होने संबंधी लेखा। दुलहस्ती परियोजना और टी.सी.यू. ऊधमपुर के मामले में लीज की अवधि 99 वर्ष की गई है। इस संबंध में सही देयता का निर्धारण और परिमापन नहीं किया गया है।

8. 1783.87 लाख रुपये सड़कों, पुलों और पुलियों व अस्थायी शैडों की ऐसी भूमि पर खर्च किए गए, जो कारपोरेशन से संबंधित नहीं थे।

11. (क) निम्नलिखित की लेखा-नीतियों में परिवर्तन संबंधी:

(क) बिजली उत्पादन स्टेशनों पर रखे उपयोग ने हुए प्रचालन भंडारों के चार्जिग मूल्य के खर्चे।

(ख) कर्मचारियों, ठेकेदारों और आपूर्तिकर्त्ताओं को दिए गए ऋणों और पेशगियों पर प्राप्ति आधार पर उपचित ब्याज पर ब्याज की गणना, और

(ग) अदायगी आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट के आय में घाटा, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति की गणना जिनकी अब लेखा की उपचय (अक्रअब) आधार पर गणना की गई है और तदनुसार इस वर्ष के लाभ में केवल 69.59 लाख रुपये की वृद्धि हो गई है।

11. (ख) अन्वेषण और एजेंसी आधार पर ली गई परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को दी गई पेशगियों पर उपचित बकाया ब्याज का परियोजना लागत में समायोजन करने संबंधी।

12. (ख) चालू वर्ष के लाभ व हानि लेखे में आन्ध्र-प्रदेश में गुंटुर कनाल पर मिनी-हाइड्रो पावर की संभाव्यता अध्ययन के संबंध में खर्च हुई 10.84 लाख रुपये की राशि को चार्ज करने संबंधी।

15. (ii) चल रही परियोजनाओं में 138.80 लाख रुपये (शुद्ध ब्लॉक) की राशि के फालतू निर्माण उपस्करों, जिनका निपटान/हस्तांतरण होना है, पर मूल्यह्रास की व्यवस्था न करने संबंधी। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन वांछित जानकारी अपेक्षित ढंग से मिलती है और निम्न का सही तथा स्पष्ट रूप प्राप्त होता है:-

i) 31 मार्च, 1989 को कारपोरेशन के कार्यों से संबंधित तुलन-पत्र।

ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कारपोरेशन के लाभ संबंधी लाभ व हानि लेखे के बारे में।

कृते बब्बर जिन्दल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 सितम्बर, 1989

(ए.सी. बब्बर)
भागीदार

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के संबंध में:

1. कारपोरेशन ने स्थिर परिसम्पत्तियों के बारे में रिकार्ड रखे हैं लेकिन कुछ मामलों में रखे गए रिकार्डों में परिसम्पत्तियां नहीं दर्शाई गई हैं। प्रबंधवर्ग ने अधिकांश परियोजनाओं में परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया है जिसके कारण कमियां, यदि कोई हों, के बारे में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
2. इस अवधि के दौरान स्थिर परिसम्पत्तियों का पुनः मूल्यन नहीं किया गया है।
3. प्रबंधवर्ग द्वारा अधिकांश परियोजनाओं में भंडारों और फालतू पुर्जों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया गया है जिसके कारण कमियां, यदि कोई हों, के बारे में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
4. जांच के आधार पर हमने पाया है कि इन भंडारों का मूल्य सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार उचित और सही नहीं है। माल-सूची का मूल्य जनरल खाते के अनुसार लिया गया है, जिनका मूल्य भंडार खातों के साथ मेल नहीं बैठाया गया है।
5. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 और 370 (1-बी) के अनुसार रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों और अन्य पार्टियों से कारपोरेशन ने सुरक्षित अथवा असुरक्षित किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया है।
6. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अनुसार रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों, जिनकी शर्तें प्रथम दृष्टि में कम्पनी के हित में नहीं थी, को कारपोरेशन ने कोई ऋण नहीं दिया है। हमें सूचित किया गया है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 (1-बी) के अर्थ में इस प्रबंधवर्ग के अन्तर्गत और कोई कम्पनियां नहीं हैं।
7. कारपोरेशन ने कारपोरेशन के कर्मचारियों और ठेकेदारों को पेशगी के रूप में ऋण दिए हैं, जो सामान्यतः निर्दिष्ट ढंग से मूल-राशि लौटा रहे हैं और वे ब्याज, जहां लागू हैं, की अदायगी भी सामान्यतः नियमित रूप से कर रहे हैं।
8. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भंडारों, कच्चे मालों (पुर्जों सहित), संयंत्र व मशीनरी, उपस्कर और अन्य परिसम्पत्तियों व सामान की बिक्री के लिए आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया कम्पनी के आकार और इसके कार्यों के अनुरूप है।
9. जैसाकि हमें बताया गया है—बेकार या क्षतिग्रस्त भंडारों/कच्चे मालों की पहचान के लिए कारपोरेशन के पास कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है। इसलिए हानि, यदि कोई हो, के लिए व्यवस्था इन आइटमों को निर्धारित करते समय लेखे की बहियों में की जाती है।
10. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-ए के उपबंधों और इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए लागू नियमों के अन्तर्गत कारपोरेशन ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है।
11. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन में कचरे की बिक्री और निपटान के लिए समुचित रिकार्ड रखे जा रहे हैं।
12. कारपोरेशन में एक आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति प्रचलित है, लेकिन यह कारपोरेशन के आकार के अनुरूप और इसके व्यवसाय के समपरिमाण में नहीं है।
13. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अन्तर्गत लागत रिकार्डों का रख-रखाव केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।
14. कारपोरेशन एन.एच.पी.सी. कर्मचारी ट्रस्ट के पास तदर्थ आधार पर भविष्य निधि देयताओं को जमा कराने में नियमित रही है और ये देयताएं भविष्य निधि ट्रस्ट लेखे में समंजन/समाधान के अधीन हैं।
15. 31 मार्च, 1989 को आयकर, सम्पत्तिकर, बिक्री-कर, सीमा शुल्क और आबकारी ड्यूटी के संबंध में देय तारीख से छः महीने से अधिक अवधि के लिए ऐसी कोई विवादास्पद राशि देय नहीं है।
16. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसी व्यक्तिगत खर्चों, जो संविदा दायित्वों या सामान्य स्वीकृत व्यवसाय पद्धति के अनुसार आते हैं, को छोड़कर, को राजस्व लेखे में चार्ज नहीं किया गया है।
17. बीमार औद्योगिक कम्पनी (विशेष व्यवस्था) अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ओ) के अर्थ में कारपोरेशन बीमार औद्योगिक कारपोरेशन नहीं है।
18. एजेंसी कार्यों/डिपाजिट कार्यों के सम्बन्ध में:-

    i) कारपोरेशन में भंडारों और सामग्रियों की प्राप्तियों, निर्गमों और उपभोग के रिकार्ड रखने का एक समुचित तंत्र उपलब्ध है जिसमें सम्बद्ध परियोजनाओं में उपभोग में ली गई सामग्रियों और मानव घण्टों की युक्तिसंगत आबंटन के लिए व्यवस्था है।

    ii) कार्यों के लिए भंडार जारी करने और भंडारों के आबंटन तथा श्रमिक संबंधी अपेक्षित नियंत्रण सहित, उचित स्तरों पर प्राधिकरण की एक समुचित पद्धति मौजूद है।

कम्पनी के आकार और इसके कार्य की किस्म के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण पद्धति को मजबूत बनाने की जरूरत है।

कृते बब्बर जिन्दल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट

(ए.सी. बब्बर)
भागीदार

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11 सितम्बर, 1989

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के वर्ष 1988-89 के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

तुलनपत्र

1. *चालू परिसम्पत्तियां ऋण व पेशगियां*

   i) *मालसूचियां 96,48,51,000.00/-रु.*

(क) इसमें 406.17 लाख रुपये मूल्य के पूंजी की किस्म के मद शामिल हैं, जिन्हें ऐसे रूप में स्थिर पूंजी खर्च के अन्तर्गत दिखाया जाना चाहिए था। इसका परिणाम यह हुआ है कि मालसूचियों का तो अतिविवरण (ओवरस्टेटमैंट) हो गया और स्थिर पूंजी खर्च, चालू कार्यों का इस सीमा तक अवरविवरण (अंडर स्टेटमैंट) हो गया।

(ख) इसमें शामिल हैं 6.33 लाख रुपये मूल्य के कुल औजार, जिनका उल्लेख अलग से किया जाना चाहिए जैसाकि कम्पनी अधिनियम की 6 अनुसूची में अपेक्षित है।

(ग) इसमें शामिल है 189 लाख रुपये मूल्य अन्तर के रूप में (12 लाख रुपये और उन उपस्करों, के जो चालू पूंजी कार्यों के रूप में पहले से ही पूंजीकृत कर लिये गये हैं, के बारे में शेष भुगतान (47 लाख रुपये)। इसका परिणाम हुआ है कि मालसूचियों का अतिविवरण हो गया और चालूपूंजी कार्यों का अवरविवरण।

ii) *ऋण तथा पेशगियां 1,81,59,87,000.00/-रु.*

(क) इसमें शामिल हैं परियोजनाओं के लिए विभिन्न सुविधाएं जुटाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारी विभागों को किये गये भुगतान के रूप में 711.38 लाख रुपये जो कम्पनी की परिसम्पत्तियों का हिस्सा नहीं माना जायेगा। इस प्रकार परिसम्पत्ति का निर्माण किया गया है और उनका प्रयोग परियोजनाओं में हो रहा है। इसे पूंजी खर्च के रूप में दिखाया जाना था न की परिसम्पत्तियों के रूप में।

(ख) इसमें शामिल हैं पहले से ही पूंजीकृत किये गये उपस्कर के लिए अदा किया गया समुद्र भाड़ा और बीमा के रूप में 79.15 लाख रुपये की राशि/इसके परिणामस्वरूप पेशगियों का अतिविवरण और पूंजीचालू कार्यों/स्थिर परिसम्पत्तियों का इस सीमा तक अवर विवरण हो गया।

(ग) यह 95.15 लाख रुपये के जमा शेष समायोजन के बाद निकाला गया है। जो "विविध लेनदारों" के रूप में दिखाया जाना चाहिए था।

(घ) इसमें शामिल है भूमि के मूल्य के रूप में 109.93 लाख रुपये की राशि, जिसका कब्जा वर्ष के दौरान पहले ही लिया जा चुका है। इसके परिणामस्वरूप "ऋण एवं पेशगियां" का अतिविवरण और "स्थिर परिसम्पत्तियां" का इस सीमा तक अवरविवरण हो गया।

2. *चालू देयताएं और व्यवस्थाएं*

   देयताएं 1,80,74,88,000.00/-रुपये

   विविध लेनदार 25,55,38,000.00/-रुपये

(क) इसमें एफ ए एस ठेकों के अन्तर्गत मोंट्रियाल बंदरगाह पर सौंपे गये माल के बारे में 129 लाख रुपये की सीमा तक की देयता शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप "विविध लेनदारों" और मार्गस्थ भण्डारों का इस सीमा तक अवरविवरण हो गया है।

(ख) इसमें हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्यों के लिए उनसे सम्बन्धित 23.82 लाख रुपये की देयता शामिल नहीं हैं।

सामान्य :

3. यह तथ्य कि 570.43 लाख रुपये (अनुमानित कुल ब्लॉक) के मूल्य के प्लांट और मशीनरी, सड़कें, भवन संरचनाएं आदि का भारी वर्षा और बाढ़ के कारण क्षति/नुकसान हो गया है और जिसके लिए कि 336.53 लाख रुपये के बीमा दावे प्रस्तुत किये गये हैं और 72.59 लाख रुपये के शेष मूल्य पहचान किये जा सकने वाले मदों के लिए व्यवस्था की गयी है और उन्हें "विविध खर्चों" (बट्टे खाते) न डाले गये की सीमा तक)" के अन्तर्गत वर्गीकृत करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

4. सलाल परियोजना से संबंधित सौदों और उनका कम्पनी द्वारा तैयार किये गये लेखों पर प्रभाव की, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आइटम नं. 2 (ई) (I) के प्रकाश में समीक्षा होनी चाहिए। संलग्न प्रति के साथ-साथ सलाल परियोजना के लेखों पर लेखा परीक्षकों की अलग रिपोर्ट सहित इसे पढ़ा जाना है। इस हस्तान्तरण में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें हैं :

   i) यह हस्तान्तरण 01 नवम्बर, 1987 से पूर्व प्रभावी रूप में प्रभावी हुआ माना जाना है।

   ii) "कंसीड्रेशन, जिसके लिए कि स्वामित्व का हस्तान्तरण किया गया है और कंसीड्रेशन की राशि के भुगतान समायोजन की शर्तों, के बारे में भारत सरकार ने कोई आदेश नहीं दिये हैं।

   iii) कंसीड्रेशन के मूल्य का और उससे सम्बंधित शर्तों का निर्धारण होने तक, कम्पनी ने इक्विटी में समायोज्य केन्द्र सरकार की निधियों के रूप में 33156.61 लाख रुपये और... "असुरक्षित ऋण" पर ब्याज के रूप में 30149.79 रुपये अपने लेखों में ले लिये हैं।

   iv) हस्तान्तरण के लिए कानूनी औपराकिताएं भी अभी पूरी की जानी है।

(एस. लक्ष्मीनारायणन)
सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड और वाणिज्यक
लेखापरीक्षा-III के पदेन निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 नवम्बर, 1989

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

(नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का अनुलग्नक)

हमने सलाल जल विद्युत परियोजना, ज्योतिपुरम, जम्मू व कश्मीर के 31 मार्च, 1989 के संलग्न तुलन-पत्र और परियोजना के निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च का विवरण और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा, की लेखापरीक्षा की है और हमारी रिपोर्ट है कि:

1. जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4क) की शर्तों में कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्माता व अन्य कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 1975 के अंतर्गत अपेक्षित है, कथित आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध में संलग्न है।
2. उपयुक्त पैरा-1 में संदर्भित अनुबंध में दी गई हमारी टिप्पणियों के अलावा:

क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थी।

ख) जैसा कि बहियों की हमारी जांच से मालूम होता है हमारे मतानुसार परियोजना ने कानून और अपेक्षित समुचित बहियां रखीं हैं।

ग) इस रिपोर्ट में संदर्भित तुलन-पत्र और लाभ व हानि लेखा बहियों से मेला खाता है।

घ) हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा-नीतियां तथा उनके अंश व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित पठित कथित तुलन-पत्र और लाभ व हानि लेखा के भाग हैं, और निम्नलिखित बातों के अधीन हैं:-

i) परियोजना भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) विद्युत की है लेकिन लेखे तैयार करते समय परियोजना की नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व पर माना गया है। यह ऊर्जा मंत्रालय के दिनांक 9.2.1989 के पत्र सं. 4/1/78-डी.ओ. (एन एच पी सी) के आधार पर माना गया जिसमें मंत्रालय ने परियोजना के कारपोरेशन को हस्तांतारण के निर्णय की सूचना दी है लेकिन हमारे मतानुसार कारपोरेशन इस परियोजना की मालिक नहीं है। इसके अनुसार 4052.77 लाख रूपए का लाभ बताया गया जबकि परियोजना के चालू होने तक सरकारी निधि के ब्याज को पूंजीकृत करने के कारण सरकारी निधियों और स्थिर परिसंपत्तियों पर ब्याज के प्रावधान में 6785.20 लाख रुपए का अधिविवरण है। भारत सरकार की निधि भी कारपोरेट कार्यालय, एन.एच.पी.सी. लिमिटेड की निधि के तौर पर दिखाई गई है। इसमें भारत सरकार की निधियां 56521.20 लाख रुपए तक समझी गई और देयताओं की तरफ कारपोरेट कार्यालय निधि में 64185.36 लाख रुपए का अधिविवरण है। कारपोरेट कार्यालय की चालू परिसंपत्तियां शीर्ष के अंतर्गत 3173.81 लाख रुपए तक की निधियां मानी गई हैं।

ii) ऋण और पेशगियों (सिक्योरड) में शामिल हैं — एम.पी. डबल्यू. पेशगियों के लेखे में वसूली योग्य दावे शीर्ष के अंतर्गत 30.22 लाख रुपए, अन्य विभागों से वसूली शीर्ष के अंतर्गत 21.79 लाख रुपए और रेलवे दावे के खाते में वसूली योग्य दावे के शीर्ष के अंतर्गत 15.17 लाख रुपए। ये पेशगियां काफी समय से बकाया पड़ी हैं और इनका वसूली होने में शक है परन्तु इनके लिए लेखा-बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

iii) तीसरी पार्टियों की परियोजना में रखी गई माल-सूचियों पार्टियों द्वारा उनकी पुष्टि किए जाने के अधीन हैं।

iv) अतिरिक्त (शेष) कार्य बल को भुगतान किए गए 360.71 लाख रुपए और सहायक सेवाओं में कामगरों को भुगतान की गई राशि में से 107.51 लाख रुपए पूंजीगत खर्च में दी गई है जबकि हमारे मतानुसार ये राजस्व खर्च (संदर्भ टिप्पणी सं. 3) में दिए जाने चाहिए। इस प्रकार लाभ में 468.22 लाख रुपए अधिक दिखाए गए हैं।

टिप्पणियां :

2 (क से च) सरकारी तरीके की लेखा-नीति को वाणिज्यिक तरीके की लेखा नीति में बदलने और अपनाई गई प्रक्रियाओं के संबंध में।
4. परियोजना में परिसंपत्तियों की बीमाकृत न करने संबंधी।
5. लाभ-भोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए करारों का निष्पादन न करने और अनन्तिम आधार पर बिजली की बिक्री को हिसाब में ले लेने संबंधी।
6. 4450.76 लाख रुपए के राशि के 6 पेनस्टॉकों की लागत के 50% पर मूल्यह्रास की व्यवस्था न करने संबंधी।
7. 31.3.1989 को आने वाली/समंजित लागत के आधार पर परियोजना पर प्राप्त निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च और असपष्ट खर्च के आबंटन संबंधी।
8. भारत सरकार की भूमि के स्वामित्व की किस्म संबंधी।
9. पार्टियों के लेखे, जिनकी पार्टियों द्वारा पुष्टि की जानी है, संबंधी।

कृते बब्बर जिन्दल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 अगस्त, 1989

(ए.सी. बब्बर)
भागीदार

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में:

1. परियोजना ने स्थिर परिसंपत्तियों के एक बड़े भाग के लिए उचित रिकार्ड नहीं रखे हैं। प्रबंधवर्ग ने परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया है जिसकी वजह से कमी, यदि कोई हो, के बारे में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
2. वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों का पुनः मूल्यन नहीं किया गया है।
3. भण्डारों, अतिरिक्त पुर्जों और कच्चे माल का वास्तविक सत्यापन निरन्तर तरीके के आधार पर किया गया है जो कि हमारे मतानुसार सही है लेकिन इनका समाधान लेखा-बहियों से नहीं किया गया है जिसके कारण कमियां, यदि कोई हों, के बारे में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
4. अपनी जांच के आधार पर हमने पाया कि सामान्यता स्वीकार्य लेखा सिद्धातों के अनुसार इन भण्डारों का मूल्य सही और उचित नहीं है। पिछले वर्ष भी ये माल-सूचियां उसी आधार पर ली गई हैं।
5. परियोजना ने कर्मचारियों और ठेकेदारों को ऋण के लिए पेशगियां दी हैं जो कि निर्दिष्ट ढंग से मूल राशि सामान्यतः लौटा रहे हैं और जहां कहीं ब्याज लागू होता है उसकी अदायगी भी सामान्यतः नियमित तौर से कर रहे हैं।
6. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भण्डारों, उपस्करों सहित कच्चे मालों, संयंत्र और मशीनरी, उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों तथा सामान की खरीद संबंधी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया परियोजना के आकार और कार्यों के अनुरूप है।
7. जैसाकि हमें बताया गया है परियोजना में बेकार या क्षतिग्रस्त भण्डारों/कच्चे माल के निर्धारण में नियमित प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। अतः हानि के लिए व्यवस्थाएं, यदि कोई हों, लेखा-बहियों में इन वस्तुओं के निर्धारण के समय की जाती है।
8. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार परियोजना में कचरे की बिक्री और निपटान के लिए समुचित रिकार्ड रखे जा रहे हैं।
9. परियोजना में एक आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति प्रचलित है, लेकिन यह इसके आकार के अनुरूप और इसके कार्यों के समपरिमाण में नहीं है।
10. परियोजना से भविष्य निधि देयताएं एन.एच.पी.सी. कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट के पास तदर्थ आधार पर जमा की गई हैं जो भविष्य निधि ट्रस्ट लेखे में समंजन/समाधान के अधीन है।
11. 31 मार्च, 1989 को आयकर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क और आबकारी शुल्क संबंधी अदा की जाने वाली कोई विवादास्पद राशि नहीं है और ये राशियां अदायगी योग्य होने की तारीख से 6 महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया हैं।
12. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार राजस्व लेखे में काँट्रैक्टच्यूल आबलिगेशन के अधीन या सामान्य स्वीकार्य कार्य पद्धति के अनुसार अदायगी योग्य के अतिरिक्त व्यक्तिगत व्यय नहीं किए गए हैं।

कृते बब्बर जिन्दल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 अगस्त, 1989

(ए.सी. बब्बर)
भागीदार

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.
सलाल जल विद्युत परियोजना
(नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का अनुलग्नक)

31-3-89 को तुलन पत्र

अनुलग्नक-II

(आंकड़े रु. में)

		अनुसूची	31.3.89 की स्थिति	31.3.88 की स्थिति
निधि के स्रोत				
1. कारपोरेट कार्यालय से निधियां			641,85,36,030	
2. लाभ व हानि लेखा से हस्तांतरित लाभ		1	36,93,84,614	
जोड़ः			678,79,20,644	
निधियों का उपयोग				
1. स्थिर पूँजी खर्चा				
(क) स्थिर परिसम्पत्तियां सकल ब्लॉक	645,45,84,739			
घटाएं मूल्यह्रास	47,37,47,802	2	598,08,36,937	
शुद्ध ब्लॉक				
(ख) चालू पूँजीगत कार्य		3	9,25,509	
2. चालू परिसम्पत्तियां, ऋण तथा पेशगियां				
3. माल-सूचियां		4	17,52,07,097	
4. नकद व बैंक शेष			18,969	
5. विभिन्न देनदार			66,24,08,948	
अन्य चालू परिसम्पत्तियां			—	
ऋण तथा पेशगियां			6,35,92,718	
चालू देयताएं व व्यवस्थाएं				
देयताएं		5	(–) 9,50,69,534	
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां			80,61,58,198	
जोड़			678,79,20,644	

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बब्बर जिन्दल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

प्रबन्धक (वित्त)
सलाल जल-विद्युत परियोजना

मुख्य इंजीनियर (सलाल)
सलाल जल-विद्युत परियोजना

31 मार्च, 89 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

(आंकड़े रु. में)

	अनुसूची	31.3.89 को समाप्त वर्ष का (रुपये)	31.3.88 को समाप्त वर्ष का (रुपये)
आय			
1. बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व (हजार रु. के बिक्री कर सहित)		95,84,54,606	
2. विविध आय	7	15,13,944	
कुल आय		95,99,63,550	
खर्च :			
3. बिजली की खरीद		—	
4. कर्मचारियों को महनताना व लाभ	8	4,00,28,704	
5. उत्पादन, ट्रांसमिशन व प्रशासन संबंधी खर्च	9	5,03,29,772	
6. उत्पादन पर बिक्री कर		—	
7. रॉयल्टी प्रभार		3,22,24,500	
8. मूल्यह्रास		11,21,43,818	
9. सरकारी ऋणों पर ब्याज		40,52,76,774	
कुल खर्च		64,00,03,568	
10. वर्ष का लाभ/हानि		31,99,64,982	
11. जो दिए (घटाइए) पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)		1,25,68,480	
12. जो दिए लाभ-1987-88 वर्ष का (शुद्ध)	10	3,68,51,152	
13. लाभ/हानि-तुलनपत्र में आगे ले जाया गया		36,93,84,614	

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बब्बर जिन्दल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

प्रबन्धक (वित्त)
सलाल जल-विद्युत परियोजना

मुख्य इंजीनियर (सलाल)
सलाल जल-विद्युत परियोजना

अनुसूची-1

कारपोरेट कार्यालय से निधि

(आंकड़े रुपयों में)

लेखा शीर्ष	विवरण	1988-89 के दौरान लेनदेन संबंधी बैलेंस डेबिट	क्रेडिट
07-01-01	कारपोरेट कार्यालय के साथ हस्तान्तरण		78,70,16,215
07-02-01	लोकतक के साथ हस्तान्तरण		—
07-03-01	बैरास्यूल के साथ हस्तान्तरण		—
07-04-01	कोयलकारो के साथ हस्तान्तरण		—
07-05-01	दुलहस्ती के साथ हस्तान्तरण		—
07-06-01	चुखा के साथ हस्तान्तरण		—
07-07-01	सलाल के साथ हस्तान्तरण		—
07-08-01	देवीघाट के साथ हस्तान्तरण		—
	भारत सरकार की निधि		5,63,15,19,815
	वर्ष के दौरान जारी किए गए चैक		—
	वर्ष के दौरान एकत्रित राशि में जमा की गई राशि		—
		जोड़	6,41,85,36,030
	वर्ष का शुद्ध डेबिट/क्रेडिट		6,41,85,36,030
	जोड़े पिछले वर्ष तक कारपोरेट कार्यालय से प्राप्त कुल निधियां		—
		जोड़	6,41,85,36,030

स्थिर परिसम्पत्तियां

अनुसूची-2

(रुपये हजारों में)

क्र. सं.	ब्यौरे	1.4.88 को सकल ब्लॉक	1988-89 के दौरान बढ़त/ समायोजन	1988-89 के दौरान कटौतियां/ बिक्रियां/ हस्तांतरण	31.3.89 को सकल ब्लॉक	31.3.89 को सावधिक मूल्यह्रास	31.3.89 को शुद्ध ब्लॉक	31.3.88 को शुद्ध ब्लॉक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	भूमि (फ्री-होल्ड)		4,58,22,808			—	4,58,22,808	
2.	भूमि (लीज़ पर)		—			—	—	
3.	भवन		61,79,96,091			3,20,14,292	58,59,81,799	
4.	सड़कें व पुल		8,90,84,000			2,46,85,134	6,43,98,866	
5.	रेलवे साइडिंग		—			—	—	
6.	निर्माण संयंत्र व मशीनरी		40,43,32,636			32,46,70,146	7,96,62,490	
7.	जनरेटिंग संयंत्र व मशीनरी		50,94,17,385			1,48,37,104	49,45,80,281	
8.	सब स्टेशन उपस्कर		—			—	—	
9.	डैमसहित हाइड्रॉलिक कार्य		3,32,54,14,620			2,99,24,828	3,29,54,89,792	
10.	गाड़ियां व अन्य परिवहन		2,28,42,426			1,74,14,070	54,28,356	
11.	सुरंग, चैनल व पैनस्टॉक		1,13,50,82,110			2,05,32,239	1,11,45,49,871	
12.	कार्यालय फर्नीचर व फिक्सचर उपस्कर व अन्य उपकरण		58,85,743			18,48,701	40,37,042	
13.	ट्रांशमिन लाइन		29,84,70,435			76,74,958	29,07,95,477	
14.	विविध परिसम्पत्तियां/उपस्कर		2,36,485			1,46,330	90,155	
			6,45,45,84,739			47,37,47,802	5,98,08,36,937	

चालू पूँजीगत कार्य

अनुसूची-3

(आकड़े रुपयों में)

क्र. सं.	ब्यौरे		31.3.89 को	31.3.88 को
1.	सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श तथा अन्य प्रारंभिक खर्चे			
2.	भवन व सिविल इंजीनियरिंग कार्य और संचार			
3.	सड़कें तथा पुल		9,25,509	
4.	रेलवें साइडिंग			
5.	बराज, बांध, सुरंग और पावर चैनल सहित हाइड्रॉलिक कार्य			
6.	पेनस्टॉक			
7.	जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र तथा मशीनरी			
8.	विद्युत संस्थापनाएं व सब-स्टेशन उपस्कर			
9.	विविध परिसम्पत्तियां			
10.	ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें			
11.	निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च		27,11,10,479	
	पिछले वर्ष से लाया गया शेष			
	ए.एन.सी. कार्य		33,41,02,131	
	अन्य कार्य		13,37,52,014	
	जोड़ें: वर्ष के लिए बढ़ोत्तरी (अनुबन्ध के अनुसार)		75,65,36,280	
		जोड़	1,49,64,26,413	
	घटाएं: वर्ष के दौरान पूँजीकृत शुद्ध आई.ई.डी.सी.		1,49,55,00,904	
	चालू पूँजी कार्यों में जोड़े गए।		9,25,509	

अनुसूची-3 का अनुबंध

31.3.1989 को समाप्त अवधि के लिए निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च का विवरण

(आंकड़े रुपयों में)

क्रम. सं.	ब्यौरे	31.3.89 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.88 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	**कर्मचारियों का पारिश्रमिक व लाभ**		
	(क) वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	9,03,64,305	
	(ख) भविष्य निधि अंशदान		
	(ग) ग्रेच्युटी निधि अंशदान		
	(घ) स्टाफ कल्याण		
	(ङ) छुट्टी वेतन व पेंशन अंशदान		
2.	**मरम्मत व रख-रखाव**		
	भवन मशीनरी व निर्माण उपस्कर अन्य		
3.	यात्रा व वाहन		
4.	स्टाफ कारों व निरीक्षण वाहनों पर खर्चे		
5.	भूमि अधिगृहण व पुनर्वास खर्चे		
6.	किराया कार्यालय		
7.	आवासीय स्थान के लिए किराया		
8.	दरें व कर		
9.	बीमा		
10.	बिजली प्रभारें	11,94,285	
11.	टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च		
12.	विज्ञापन व प्रसार	—	
13.	डिजाइन व परामर्श प्रभार	—	
14.	मनोरंजन	—	
15.	छपाई व लेखन सामग्री	—	
16.	ऋणों पर ब्याज	67,85,20,418	
17.	बॉण्डों पर ब्याज	—	
18.	बाँड जारी करने के खर्चे	—	
19.	बैंक प्रभारें	—	
20.	तकनालॉजी का हस्तांतरण	—	
21.	सामग्रियों के लिए समायोजन	1,07,49,642	
22.	विदेशी परामर्श प्रभारें	—	
23.	वायदा शुल्क	—	
24.	मूल्यह्रास/बट्टे खाते डाली गई परिसम्पत्तियां	2,69,46,956	
25.	दान	—	
26.	अन्य खर्चे	25,36,188	
		81,03,11,794	
घटाएं:	**प्राप्तियां व वसूलियां**		
1.	रद्दी सामग्री की बिक्री	—	
2.	विद्युत प्रभारें	3,75,81,414	
3.	किराया	6,91,114	
4.	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	—	
5.	**ब्याज**		
	— ऋण व पेशगी पर	98,438	
	— अन्य निवेशों (बॉण्ड) पर	—	
6.	विविध प्राप्तियां व वसूलियां	17,63,963	
7.	विविध कार्यों के लिए समायोजन	1,36,40,585	
	शुद्ध खर्च	75,65,36,280	
	घटाइए चल रहे कार्य को किराया प्रभारें/उत्पादन (आउटटर्न) के आबंटित/सीधे आबंटित		
	जोड़ें-कारपोरेट कार्यालय प्रबंध खर्च का हिस्सा ...(अनन्तिम)		
	जोड़ें (घटाएं) पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)		
	चालू पूँजी कार्य में हस्तांतरित राशि		

टिप्पणी: वर्ष के दौरान के आंकड़े निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्चों आवधिक और शुद्ध में लेने हैं इस राशि में केवल कारपोरेट कार्यालय प्रबन्ध खर्च का अस्थायी हिस्सा ही शामिल करना चाहिए न कि डिजाइन या अन्य कोई प्रभार।

अनुसूची-4

चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और पेशगियां

(आंकड़े रुपयों में)

क्रम. सं.	ब्यौरे		31.3.89	31.3.88
1.	**माल सूचियां**			
	(1) निर्माण स्टोर व फालतू पुर्जे	16,72,77,749		
	(2) संचालन स्टोर व फालतू पुर्जे	79,29,348	17,52,07,097	
2.	**नकदी व बैंक शेष**			
	(1) नकदी, अग्रदाय, पोस्टल आर्डर व डाक टिकटें	681		
	(2) गैर अनुसूचित बैंक में शेष	—		
	(3) सीडीआर हाथ में	18,288	18,969	
3.	**फुटकर देनदार**			
	(1) छः मास से अधिक अवधि से बकाया ऋण (आए माने गए)	30,80,79,722		
	(2) छः मास से कम अवधि से बकाया ऋण (आए माने गए)	35,43,29,226	66,24,08,948	
	ऋण तथा पेशगियां			
	पेशगी नगदी या वस्तु में या प्राप्त होने वाले मूल्य में वसूली योग्य			
	(1) सुरक्षित (आए माने गए)	1,65,53,756		
	(2) असुरक्षित (आए माने गए)	4,59,77,847		
	(3) कर्मचारियों को (सुरक्षित)	10,61,115	6,35,92,718	
	जोड़		90,12,27,732	

अनुसूची-5

चालू देयताएं एवं व्यवस्थाएं

(आंकड़े रुपयों में)

		31.3.1989	31.3.1988
देयताएं			
1.	फुटकर देनदार	3,65,91,766	
2.	जमा राशियां/आगत धन ठेकेदारों और अन्यों से	2,16,13,288	
3.	अन्य देयताएं	3,61,62,370	
	जोड़	9,43,67,424	
व्यवस्थाएं			
	व्यवस्था उन हानियों के लिए जिनकी जांच होनी है	7,02,110	
	कुल चालू देयता एवं व्यवस्थाएं	—	
		9,50,69,534	

अनुसूची-7

विविध आय

(आंकड़े रुपयों में)

		31.3.1989	31.3.1988
1.	किराया प्रभार-वाहन, संयंत्र तथा मशीनरी	—	
2.	अन्य विविध प्राप्तियां एवं वसूलियां	15,13,944	
3.	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	—	
		15,13,944	

कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ

अनुसूची-8
(आंकड़े रुपयों में)

	ब्यौरे	31.3.89	31.3.88
(अ)	वेतन, मजदूरी व भत्ते	3,58,55,120	
(ब)	भविष्य निधि में कम्पनियों का अंशदान	29,86,732	
(स)	ग्रेच्युटी फंड में अंशदान	—	
(द)	स्टाफ कल्याण खर्चे	11,86,852	
		4,00,28,704	

उत्पादन, ट्रांसमिशन तथा प्रशासनिक खर्च

अनुसूची-9
(आंकड़े रुपयों में)

	ब्यौरे	31.3.89	31.3.88
1.	भण्डारों एवं फालतू पुर्जों की खपत	99,73,007	
2.	मरम्मत व रख रखाव	—	
3.	(अ) भवन	31,00,495	
	(ब) मशीनरी	17,24,273	
	(स) अन्य	35,76,450	
4.	व्हीलिंग प्रभार	—	
5.	अन्य प्रचालन खर्चे	1,43,69,161	
	प्रशासनिक खर्चे		
6.	किराया	1,24,750	
7.	दर व कर	1,76,470	
8.	बीमा	36,377	
9.	बिजली प्रभार	1,67,746	
10.	यात्रा व वाहन	10,60,472	
11.	स्टाफ कारों का खर्च	44,83,239	
12.	टेलीफोन टेलेक्स व डाक खर्च	7,25,758	
13.	परामर्शी प्रभारें	3,45,783	
14.	विज्ञापन व प्रसार	4,03,104	
15.	मनोरंजन खर्च	18,886	
16.	छपाई व स्टेशनरी	2,25,766	
17.	कारपोरेट कार्यालय प्रबन्धन खर्च	95,84,546	
18.	अन्य विविध खर्च	2,33,489	
19.	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	—	
	जोड़	5,03,29,772	

पूर्व अवधि समायोजन

अनुसूची-10
(आंकड़े रुपयों में)

	ब्यौरे	डेबिट	क्रेडिट
1.	वाहन पर टोकन टैक्स-11/87 से 3/88 तक	73,530.00	
2.	विद्युत की बिक्री के दर में अंतर (87-88)	4,54,85,729.00	
3.	होमस्टेट को रायल्टी में अंतर	79,21,500.00	
4.	नवम्बर, 87 के लिए विद्युत की बिक्री	3,21,37,607.04	
5.	असमायोजित डेबिट/क्रेडिट पेशगियों का समायोजन कारपोरेट कार्यालय खर्च	14,53,633.00	
6.	व्यवस्थित अतिरिक्त मूल्यह्रास का समायोजन	92,19,937.69	
7.	फर्नीचर/फिक्सचर का मूल्यह्रास	62,035.04	
8.	अस्पताल उपस्कर का मूल्यह्रास	3,794.11	
9.	हानि मूल्यह्रास-फर्नीचर/फिक्सचर पर व्यवस्थित	4,245.39	
10.	घटाइए-भवनों पर व्यवस्थित मूल्यह्रास	500.00	
11.	होमस्टेट को रायल्टी में आशोधन		10,43,428.80
12.	ऋण पर अतिरिक्त प्रभारित पर ब्याज की राशि		7,80,64,785.00
13.	पूँजी लेखा पर मूल्यह्रास की व्यवस्था		15,63,256.69
14.	मूल्यह्रास की व्यवस्था		2,82,59,520.47
		9,63,62,511.27	10,89,30,990.96

शुद्ध क्रेडिट 1,25,68,479.69 रुपये

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

सलाल जल विद्युत परियोजना
ज्योतिपुरम् (जम्मू व कश्मीर)

लेखा टिप्पणियां :

1. सलाल जल विद्युत परियोजना भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) की एक परियोजना थी। ऊर्जा मंत्रालय ने अपने दिनांक 9.2.1989 के पत्र सं. 4/1/78-डी.ओ. (एनएचपीसी) द्वारा सूचित किया है कि भारत सरकार ने सलाल जल विद्युत परियोजना को नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. को स्वामित्व आधार पर पहली नवम्बर, 1987 से हस्तांतरित करने का निर्णय ले लिया है। इस पत्र को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1988-89 के लेखे तैयार किए गए हैं जिसमें इस परियोजना को नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. को स्वामित्व आधार के तौर पर माना गया है। कारपोरेशन के पक्ष में स्वामित्व आधार पर हस्तांतरण संबंधी आवश्यक कानूनी दस्तावेज अभी निष्पादित किए जाने हैं।

2. परियोजना के लेखे सरकारी पद्धति के आधार पर 31.3.1989 तक लेखे में लिए गए हैं जो कानून की जरूरत के अनुसार लेखा के वाणिज्यिक पद्धति में 31.3.1989 तक के अंतर्गत रखे गए थे। ऐसा परिवर्तन करते समय निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनायी जाती हैं:

(क) निर्माण संयंत्र व मशीनरी, गाड़ियां और अन्य वाहन, कार्यालय उपस्कर, फर्नीचर व फिक्सचर, विविध परिसंपत्तियां और स्थिर परिसंपत्तियों में शामिल उपस्कर विभिन्न डिविजनों द्वारा रखे जा रहे 31.3.89 को उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार लिए गए हैं। इन परिसंपत्तियों की लागत रिकार्डों के अनुमानित आधार पर मालूम की गई है। इन परिसंपत्तियों की मात्रा और मूल्य विभिन्न डिविजनों द्वारा दिए गए लेखाबहियों से समाधान नहीं किया गया है। अतः मात्रा या मूल्य में किसी बढ़ोत्तरी/कमी का पता नहीं लगा है।

(ख) प्रशासनिक/अवासीय भवनों पर मूल्यह्रास की सकल कीमत 9,63,45,505 रुपए है जिसमें सड़कें, पुल और निर्माण संयंत्र व मशीनरी, गाड़ियां व अन्य वाहन, कार्यालय उपस्कर शामिल करके स्थिर परिसंपत्तियों में सीधे पद्धति आधार पर दिए गए हैं और इन्हें कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-14 (संशोधित कम्पनी अधिनियम, 1988 के अनुसार लागू) के अंतर्गत दिए अनुसार मूल्यह्रास की दरें लागू करते हुए संपत्तियों के अधिग्रहण की तारीख से पुनः शामिल किया गया है। इन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास में बढ़ोत्तरी/कमी परियोजना की पूंजी लागत में समायोजित की जाती है।

(ग) माल-सूचियां 31.3.1989 को स्टोर रिकार्डों में दिए अनुसार ली गई हैं। इनका लेखा-बहियों से समाधान नहीं किया गया है और किसी बढ़ोत्तरी/कमी का पता नहीं लगाया गया है। वर्ष के दौरान माल-सूचियों का वास्तविक सत्यापन निरन्तर पद्धति द्वारा किया जाता है।

(घ) चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत ऋण और पेशगियां, चालू देयताओं के शीर्ष के अंतर्गत छुटपुट लेनदारों, प्राप्य आय और व्यय विभिन्न डिविजनों द्वारा रखे गए विवरणिका रिकार्डों के आधार पर हिसाब में लिए गए हैं। इनका लेखा-बहियों से समाधान किया जाना है।

(ङ) भूमि, हाइड्रॉलिक निर्माण कार्यों, जिसमें शामिल हैं—बांध, सुरंग और पेन-स्टॉक, ट्रांसमिशन लाइनें और सड़क व पुल, के अंतर्गत स्थिर परिसंपत्तियों के मामले में स्थिर परिसंपत्तियों का रजिस्टर न रखे जाने से परिसंपत्तियों की कीमत का ब्यौरा वस्तुवार/ठेकावार/कार्यवार न होने से जांच नहीं की जाती है।

(च) विभिन्न सरकारी लेखा-शीर्ष कारपोरेशन की लेखा-शीर्ष वर्गीकरण के अनुसार पुनः वर्गीकृत और पुनः समूहीकृत किए गए हैं।

3. कर्मचारियों का वेतन, मजदूरी और अन्य लाभ पूंजीगत खर्च और राजस्व खर्च के बीच में प्रबंधवर्ग द्वारा तकनीकी अनुमानों के आधार पर नीचे दिए अनुसार विभाजित किए जाते हैं।

(क)	प्रचालन और रख-रखाव की प्रत्यक्ष जांच	1,38,78,915.00 रुपए
(ख)	पूंजीगत कार्यों की प्रत्यक्ष जांच	59,71,994.00 रुपए
(ग)	सहायक सेवाएं	3,57,36,415.00 रुपए
(घ)	शेष कार्य बल	3,60,70,846.00 रुपए

(उपर्युक्त राशि की गणना के लिए एक कर्मचारी की एक महीने के औसत वेतन को उपर्युक्त श्रेणियों में पहचान किए उन कर्मचारियों की संख्या से गुणा किया गया है)

(i) (क) और (ख) के खर्च के मामले में क्रमशः राजस्व और पूंजीगत खर्च में प्रत्यक्षतः चार्ज किया गया है।

(ii) (ग) के खर्च के मामले में उपर्युक्त (क) और (ख) को राजस्व और पूंजीगत खर्च के बीच अनुपात में विभाजित किया गया है।

(iii) उपर्युक्त (घ) के मामले में पूंजीगत खर्च में प्रत्यक्षतः चार्ज किया गया है। पूंजीगत कार्य के उद्देश्य के लिए संबंधित कार्यप्रभारित कर्मचारी अभी तक कार्य कर रहे हैं और वे प्रचालन और रख-रखाव से संबंधित नहीं हैं।

4. परियोजना में संपत्तियों और परिसंपत्तियों की हानियां आग, उपद्रव, बाढ़, दंगों और भूचाल आदि से क्षति अभी सुनिश्चित की जानी है।

5. लाभ-भोक्ताओं के साथ बिजली की आपूर्ति के लिए करार अभी निष्पादित नहीं किए गए हैं। करार का निष्पादन लंबित होने के कारण बिजली की बिक्री 46.20 पैसे प्रति किलोवाट की दर से अनन्तिम आधार पर हिसाब में ली गई है।

6. स्थिर परिसंपत्तियों में 6 पेनस्टॉकों की लागत शामिल है जिसकी राशि 44,50,76,282.63 रुपए है। इसके लिए लागत के 50% पर मूल्यह्रास दिया जाता है जबकि 31.3.1989 तक केवल तीन पेनस्टॉक उपयोग में लाए गए हैं।

7. पिछले वर्ष के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन पर रखी गई परियोजना पर आए निर्माण के दौरान आकस्मिक खर्च और अस्पष्ट खर्च की कुल राशि, 31.3.1989 को आने वाली/समंजन लागत के आधार पर, भूमि सहित, स्पष्ट स्थिर अचल परिसंपत्तियों पर आबंटित की गई है।

8. भूमि की लागत सहित स्थिर परिसंपत्तियों की राशि 4,58,22,808.00 रुपए है जिसके राजस्व रिकार्डों के अनुसार जम्मू व कश्मीर द्वारा भारत सरकार की स्वामित्वता दिखाई देती है।

9. पार्टियों के लेखे में शेष पार्टियों से उनकी पुष्टि होने की शर्त के अधीन है।

10. चालू वर्ष के लिए फुटकर देयताएं नीचे दिए अनुसार आंकी गई हैं:-

(क) पूंजीगत कार्यों पर ठेकेदारों को दिए जाने वाली अनुमानित राशि में से 7,10,03,334.00 रुपए नहीं दी गई है।

(ख) कारपोरेशन के खिलाफ दावे में 2,32,04,512.00 रुपए पंचायत न्यायालय मुकदमों के अंतर्गत ऋण के तौर पर नहीं दिए गए हैं।

कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 217(2क) के तहत अपेक्षित सूचना

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
(क) उन कर्मचारियों के ब्यौरे जिन्होंने पूरे वित्तीय वर्ष कार्य किया और उनका पारिश्रमिक पूरे वर्ष में 72,000/- रुपए से कम नहीं था।						
सर्वश्री						
अब्बे वी.के. प्रबंधक	79,390	नियमित	बी.एस.सी.(इंजी.) (मैक.) (18 वर्ष)	12.8.81	39	रेज़िडेंट इंजीनियर, वैस्टर्न इंडिया इरैक्टर्स लिमिटेड, पुने
अग्रवाल ए.बी. उप प्रबंधक	78,262	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (मैक.) (11 वर्ष)	6.2.79	31	—
अग्रवाल ए.के. प्रबंधक	84,655	नियमित	बी.ए.(ऑनर्स), पी.जी. डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एण्ड लेबर वेल्फेयर (18 वर्ष)	18.12.81	39	वरिष्ठ पी.ए.ओ., सी.सी.आई. लिमिटेड
अग्रवाल ए.आर. वरिष्ठ प्रबंधक	1,12,387	नियमित	बी.ई.(विद्युत) (17 वर्ष)	18.6.77	41	सहायक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
अग्रवाल एम.एन. वरिष्ठ प्रबंधक	87,685	नियमित	बी.कॉम.(ऑनर्स) ए.सी.ए. (20 वर्ष)	16.4.85	44	उप वित्त प्रबंधक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.
अमर नाथ प्रमुख	1,04,869	नियमित	बी.ए., एस.ए.एस. (32 वर्ष)	20.9.76	57	अनुभाग अधिकारी, इंडियन आडिट एण्ड एकाउंट्स डिपार्टमेंट
बजाज वी.एम. कार्यपालक निदेशक	1,12,950	नियमित	बी.ई.(सिविल) (33 वर्ष)	10.5.79	56	निदेशक(यू.टी.), केन्द्रीय जल आ-योग
बाल मुकन्द वरिष्ठ प्रबंधक	93,176	नियमित	बी.एस.सी.इंजी.(मैक.) (18 वर्ष)	16.12.78	40	सहायक इंजीनियर, ई.आई.एल.
बंदोपाध्याय एम.आर. प्रमुख	1,04,142	नियमित	एम.एस.सी.(एप्लाइड जियोलॉजी) (27 वर्ष)	29.12.80	52	जियोलॉजिस्ट(वरिष्ठ), जी.एस.आई.
बैनर्जी पी.के. प्रबंधक	74,761	नियमित	बी.एस.सी. इंजी.(मैक.) (12 वर्ष)	9.9.77	36	आफिसर ट्रेनी, आई.ओ.सी.
बंसल एल.आर. उप प्रबंधक	82,688	नियमित	बी.ई.(सिविल) (8 वर्ष)	1.5.81	31	स्थल इंजीनियर, मैसर्स ओ.पी. बल्देव किशन, इंजीनियर्स एण्ड कांट्रेक्टर्स
भल्ला एस.एन. प्रबंधक	89,535	नियमित	बी.ए. (25 वर्ष)	30.11.79	54	अनुसंधान अधिकारी, केंद्रीय सतर्कता आयोग
भारद्वाज एस.आर. प्रमुख	1,02,902	नियमित	एम.ए.(अंग्रेजी), डिप्लोमा इन जर्नेलिज़म, डिप्लोमा इन मार्किटिंग एण्ड सेल्स मैनेजमेंट (28 वर्ष)	11.9.81	46	जन सम्पर्क अधिकारी, नेशनल फर्टिलाइज़र लि.
भार्गव, डी.पी. उप प्रबंधक	76,481	नियमित	बी.ई.(विद्युत) (10 वर्ष)	20.2.79	32	—
भटनागर एम.एस. उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	79,228	नियमित	एम.बी.बी.एस. (22 वर्ष)	27.8.81	47	चिकित्सा अधिकारी, नवेली शूगर मिल्स, इलाहाबाद
भट्टाचार्जी जे. प्रबंधक	80,734	नियमित	बी.एस.सी.,ए.आई.सी.डब्ल्यू.ए, एस.ए.एस. (34 वर्ष)	24.1.80	53	लेखा अधिकारी, आई.एफ.सी., मणिपुर सरकार
भट्टाचार्जी एम.एन. प्रमुख	1,03,548	नियमित	एम.ए.(इको.), पी.जी. डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट (35 वर्ष)	30.12.81	57	सहायक कार्मिक प्रबंधक, भारत एल्यूमिनियम लि.
भूगरा आर.एल. सहायक प्रबंधक	74,329	नियमित	बी.ए., एस.ए.एस. (32 वर्ष)	10.6.77	57	लेखाकार, रेल मंत्रालय
बोनी ओ.एन. वरिष्ठ प्रबंधक	72,821	नियमित	बी.एस.सी.(इंजी.) (सिविल) (28 वर्ष)	29.7.77	49	कार्यपालक इंजीनियर, ऊर्जा मंत्रालय
चड्ढा के.सी. उप प्रबंधक	75,734	नियमित	बी.एस.सी.(इंजी.) (विद्युत) (30 वर्ष)	5.8.77	37	पर्यवेक्षक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
चड्ढा आर.के.(डा.) मुख्य चिकित्सा अधिकारी	83,905	नियमित	एम.बी.बी.एस. (21 वर्ष)	9.9.80	43	स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री						
चक्रबती एस. उप प्रबंधक	74,952	नियमित	बी.एस.सी. (इंजी.) (विद्युत) (16 वर्ष)	1.1.77	39	ट्रेनी इंजीनियर, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड
चंदोक विमल प्रबंधक	1,08,443	बी.एस.एफ. जम्मू से प्रतिनियुक्ति पर	बी.ए. (26 वर्ष)	19.11.87	45	उप कमांडेंट, बी.एस.एफ.
चौधरी एन.के. प्रबंधक	73,839	नियमित	सी.ई. (आई.), एम.आई.ई. एल.एल.बी. (19 वर्ष)	15.7.81	42	आर.ई., एन.बी.सी.सी.
चौहान, मेजर एस.एस्. वरिष्ठ प्रबंधक	91,595	नियमित	सिविल इंजी. में डिग्री (24 वर्ष)	19.3.79	45	भारतीय सेना में मेजर
चोपड़ा एम.एल. प्रमुख	1,00,913	नियमित	बी.ए., पी.जी. डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (29 वर्ष)	27.11.81	57	सम्पर्क अधिकारी, चुखा जल विद्युत परियोजना, भूटान
धर एस.के. वरिष्ठ प्रबंधक	72,210	नियमित	एम.एस.सी. टैक. (इलै. इंजी.) (पावर सिस्टम्स) (21 वर्ष)	15.5.78	57	कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, जम्मू व कश्मीर
द्विवेदी एम. जी. वरिष्ठ प्रबंधक	86,923	नियमित	एम.ई. (विद्युत) (17 वर्ष)	13.3.78	43	सहायक इंजीनियर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
गंगोपाध्याय ए.के. मुख्य इंजीनियर	95,959	नियमित	बी.ई. (सिविल) (23 वर्ष)	10.9.81	43	कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, गोवादमन और दियू सरकार, पणजी
गर्ग एम.पी. प्रबंधक	90,285	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर	बी.ई. (सिविल) (22 वर्ष)	24.9.85	44	स्थापनापन्न अधीक्षक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
गौड़ बी.एन. फोटो अधिकारी	73,733	नियमित	इंटर (20 वर्ष)	12.4.79	39	फोटोग्राफर, ब्यास बांध परियोजना
घनश्याम दास निदेशक (वित्त)	91,784	सरकारी नियुक्ति	बी.कॉम. आई.ए. एण्ड ए.एस. (30 वर्ष)	31.7.87	56	अपर महा प्रबंधक (वित्त), बी.एच.ई.एल.
गोयला वाई.एस. उप प्रबंधक	72,111	नियमित	बी.एस.सी.इंजी. (विद्युत) (22 वर्ष)	1.1.77	40	—
गोथरा मेजर जी.एस. वरिष्ठ प्रबंधक	76,838	नियमित	डिग्री इन इंजी. (सिविल) एल.एल.बी. (25 वर्ष)	12.3.79	52	भारतीय सेना में मेजर
गोयल जे.एम. वरिष्ठ प्रबंधक	88,700	नियमित	बी.ए., एस.ए.एस. (रेलवे) (37 वर्ष)	15.4.78	57	लेखा अधिकारी, एन.एम.डी.सी. लिमिटेड
गोयल टी.के. प्रबंधक	81,967	नियमित	बी.ई. (मैक.) ए.एम.आई.ई. (सिविल) (21 वर्ष)	22.4.81	44	शिफ्ट इंजीनियर, ब्यास परियोजना, तलवाड़ा
गुप्ता ए.के. प्रबंधक	77,939	नियमित	बी.ई. (ऑनर्स) (मैक.) (12 वर्ष)	24.11.77	33	अप्रैंटिस, (इंड. इंजी.) हिन्दुस्तान ब्राउन बोवेरी लि.
गुप्ता जी.सी. उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	82,780	नियमित	एम.बी.बी.एस. (19 वर्ष)	24.4.81	42	भारतीय सेना में मेजर
गुप्त जे.पी. उप प्रबंधक	80,544	नियमित	एम.ए., पी.एच.डी., प्रभाकर (ऑनर्स इन हिन्दी) (36 वर्ष)	15.11.78	56	सहायक शिक्षा अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय
गुप्ता एम.एल. मुख्य इंजीनियर	1,22,700	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (मैक.) (22 वर्ष)	29.4.80	44	उप प्रबंधक, बी.एच.ई.एल.
गुप्ता एम.एल. सहायक प्रबंधक	76,002	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर	डिप्लोमा इन सिविल इंजी. (17 वर्ष)	6.2.78	41	सहायक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
गुप्ता पी.के. प्रबंधक	77,514	नियमित	बी.ई. (सिविल) (9 वर्ष)	22.5.79	32	—
गुप्ता आर.के. उप प्रबंधक	72,695	नियमित	बी.ई. (सिविल) (9 वर्ष)	22.5.79	32	—
गुप्ता एस.पी. मुख्य इंजीनियर	92,163	पी.डी.डी., जम्मू व कश्मीर से प्रतिनियुक्ति पर	बी.ई. (विद्युत) (27 वर्ष)	25.11.85	51	अधीक्षक इंजीनियर, पी.डी.डी, जम्मू व कश्मीर
गुप्ता एस.पी. प्रबंधक	76,738	नियमित	बी.ई. (सिविल) (14 वर्ष)	15.5.78	48	सहायक इंजीनियर, सलाल जल-विद्युत परियोजना
गुप्ता वी.के. वरिष्ठ प्रबंधक	94,214	नियमित	बी.ई. (ऑनर्स) (सिविल) (24 वर्ष)	10.5.78	46	उप निदेशक, सी.एच.ई.पी.सी. बोर्ड

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री						
गुप्ता वी.पी. सहायक प्रबंधक	81,108	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर	बी.ई. (सिविल) (15 वर्ष)	18.12.87	38	सहायक कार्यपालक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
हाशिया एम.एल. वरिष्ठ प्रबंधक	76,403	नियमित	बी.ई. (सिविल) (29 वर्ष)	23.7.81	52	कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, जम्मू व कश्मीर
जगदीश सिंह प्रबंधक	87,846	नियमित	बी.ई. (विद्युत) (18 वर्ष)	29.10.81	44	सहायक निदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
जग्गी ए.एल. मुख्य इंजीनियर	1,41,636	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (विद्युत) (27 वर्ष)	20.1.78	49	अधीक्षक इंजीनियर, बैरा स्यूल जल विद्युत परियोजना
जैन ए.के. प्रमुख	1,32,450	नियमित	बी.कॉम., ए.सी.ए. (20 वर्ष)	28.11.78	43	उप लेखा प्रबंधक, इफको, नई दिल्ली
जैन पी.के. प्रबंधक	74,467	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (विद्युत) पी.जी. डिप्लोमा इन बिज़नेस मैनेजमेंट एण्ड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन (15 वर्ष)	26.4.77	39	तकनीकी सहायक, केन्द्रीय सिंचाई व विद्युत बोर्ड
जैन टी.सी. अपर महा प्रबंधक	1,15,688	नियमित	बी.एस.सी.इंजी. (विद्युत) (33 वर्ष)	15.7.77	56	उप निदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
जैन टी.सी. कार्यपालक सहायक	83,174	नियमित	बी.ए. (ऑनर्स) (34 वर्ष)	8.6.77	58	निजी सहायक, ऊर्जा मंत्रालय
जेठवानी कु. जे. प्रबंधक	72,277	नियमित	एम.ए., पी.जी. डिप्लोमा इन एडवर्टाईज़िंग एण्ड पी.आर. पी.जी. डिप्लोमा इन जर्नेलिज़्म (13 वर्ष)	27.7.78	37	सहायक उत्पाद प्रबंधक, माडर्न बेकरीज़
जोस पी.सी. प्रबंधक	94,309	नियमित	बी.एस.सी. (इंजी.) मैक. (17 वर्ष)	24.12.79	42	अतिरिक्त सहायक निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग
कंजलिया वी.के. वरिष्ठ प्रबंधक	1,09,134	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (विद्युत) एम.एस.सी. इंजी. (विद्युत) (19 वर्ष	8.5.79	43	सहायक कार्यपालक इंजीनियर, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड
कंवर बी.एस. मुख्य इंजीनियर	87,507	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (विद्युत) (26 वर्ष)	26.6.81	47	कार्यपालक इंजीनियर, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड
कपूर गुलजीत सहायक प्रबंधक	78,429	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (16 वर्ष)	20.9.86	38	सहायक कार्यपालक इंजीनियर, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड
कपूर कमल उप प्रबंधक	73,557	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (विद्युत) (15 वर्ष)	6.8.77	38	पर्यवेक्षक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
कपूर एस.के. प्रबंधक	75,008	नियमित	बी.ए., एल.एल.एम., पी.जी. डिप्लोमा इन पी.एम. एण्ड आई.आर. (24 वर्ष)	19.2.77	49	सहायक, रेल मंत्रालय
कपूर वी.के. वरिष्ठ प्रबंक	99,466	नियमित	एम.टैक. (सिविल) (18 वर्ष)	7.11.78	43	सहायक कार्यपालक इंजीनियर, हिन्दुस्तान प्रीफेब्स लिमिटेड
करकुन दलीप उप प्रबंधक	72,505	नियमित	बी.ई. (सिविल) (17 वर्ष)	25.7.84	39	कार्यपालक इंजीनियर, एन.पी.सी.सी. लिमिटेड
कश्यप के.के. निदेशक (तकनीकी)	1,42,776	सरकारी नियुक्ति	बी.ई. (मैक.), बी.ई. (विद्युत) (31 वर्ष)	30.8.84	55	उप महा प्रबंधक, बी.एच.ई.एल.
खजांची आर.एन. वरिष्ठ प्रबंधक	1,06,976	नियमित	बी.ई. (सिविल) (24 वर्ष)	3.9.83	47	कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, जम्मू व कश्मीर
ख़ान एम.ए. सहायक प्रबंधक	73,110	पी.डी.डी., जम्मू व कश्मीर से प्रतिनियुक्ति पर	बी.एस.सी.इंजी. (विद्युत) (12 वर्ष)	1.10.84	37	सहायक इंजीनियर, पी.डी.डी., जम्मू व कश्मीर
खर पी.एन. महा प्रबंधक	79,840	नियमित	बी.ई. (सिविल), एम.ई., एम.आई.ई., एम.आई.ए.एच.आर. (33 वर्ष)	15.5.78	53	अधीक्षक इंजीनियर, सलाल जल विद्युत परियोजना, भारत सरकार
खुंगर जे.एन. वरिष्ठ प्रबंधक	95,125	नियमित	बी.एस.सी. (इंजी) (सिविल) (28 वर्ष)	6.8.77	49	कार्यपालक इंजीनियर, ब्यास परियोजना
कोछड़ जे.एन. प्रमुख	79,621	नियमित	बी.ए. (29 वर्ष)	10.8.81	53	सिविलियन अधिकारी ग्रेड-I, डी.जी., बार्डर रोड्स का कार्यालय
कोतवाल एस.एल. वरिष्ठ प्रबंधक	83,796	नियमित	बी.ई. (सिविल) (24 वर्ष)	15.5.78	47	कार्यपालक इंजीनियर, सलाल जल विद्युत परियोजना, भारत सरकार

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री						
कृष्णामूर्ति एम. वरिष्ठ प्रबंधक	93,677	नियमित	बी.ई. (विद्युत) सीनियर डिप्लोमा इन जर्मन, डिप्लोमा इन रशियन (24 वर्ष)	29.6.81	48	उप प्रबंधक, एन.टी.पी.सी.
कुमार ब्रजेश वरिष्ठ प्रबंधक	85,747	नियमित	एम.ए. (राजनीतिशास्त्र) बी.एल. एम.ए. (एल.एस.डब्ल्यू.) (23 वर्ष)	12.7.78	50	कार्मिक अधिकारी, बोकारो स्टील लिमिटेड
मदान एम.एम. प्रबंधक	77,813	नियमित	बी. टैक. (सिविल) (12 वर्ष)	18.5.77	34	सहायक इंजीनियर, एम.एन. दास एण्ड कं. (प्रा.) लिमिटेड, बम्बई
मदान आर.के. मुख्य इंजीनियर	1,03,763	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (विद्युत) (25 वर्ष)	12.12.79	47	मुख्य इंजीनियर, आर.एस. स्टील वर्क्स, बरेली
महाजन बी.के. प्रबंधक	75,783	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर	बी.एस.सी.इंजी. (सिविल) (20 वर्ष)	1.6.87	43	कार्यपालक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
महाजन जी.के. मुख्य इंजीनियर	96,669	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर	बी.ई. (सिविल) (26 वर्ष)	22.4.87	50	अधीक्षक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
मल्होत्रा वी.एस. प्रबंधक	91,145	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर	बी.ई. (विद्युत) (24 वर्ष)	30.4.87	47	कार्यपालक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
मंडल आर.पी. मुख्य परियोजना प्रबंधक	89,627	नियमित	बी.एस.सी.इंजी. (सिविल) (26 वर्ष)	16.11.79	49	कार्यपालक इंजीनियर, बार्डर रोड्स डिवेल्पमेंट बोर्ड
मण्डप्पा बी.एम. महा प्रबंधक	1,18,010	नियमित	बी.ई. (सिविल), एम.आई. स्ट्रक्ट.इंजी. (लंदन), एफ.आई.ई. (32 वर्ष)	1.10.81	56	अधीक्षक (डिज़ाइन), सेल, (बोकारो स्टील प्लांट)
मनिअप्पन टी.पी. प्रबंधक	87,846	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (सिविल) (21 वर्ष)	22.10.81	45	सहायक इंजीनियर, गोवा, दमन व दियू सरकार
माथुर जी.एन. वरिष्ठ प्रबंधक	86,467	नियमित	ए.एम.आई.ई. (विद्युत) (22 वर्ष)	7.4.78	46	सहायक इंजीनियर, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड
मिश्रा आर.एन. उप प्रबंधक	80,125	नियमित	बी.ई. (ऑनर्स) (सिविल) (9 वर्ष)	21.6.79	31	—
मिश्रा एस.बी.सी. वरिष्ठ प्रबंधक	1,02,467	नियमित	बी.ई. (विद्युत) (16 वर्ष)	4.5.77	42	सहायक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
मिश्रा यू.सी. वरिष्ठ प्रबंधक	79,155	नियमित	बी.ई. (विद्युत) (16 वर्ष)	1.1.78	39	सहायक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
मित्तल एस.के. मुख्य इंजीनियर	78,985	नियमित	बी.ई. (विद्युत) (29 वर्ष)	25.5.78	53	कार्यपालक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
मुखर्जी के. प्रमुख	1,04,738	नियमित	एफ.आई.सी.डब्ल्यू.ए. (32 वर्ष)	25.1.79	53	सहायक वित्त प्रबंधक, एफ.सी.आई. (पी. एण्ड डी. डिविज़न (सिन्द्री)
मुरारी लाल वरिष्ठ प्रबंधक	1,02,331	नियमित	बी.ई. (सिविल) एफ.आई.ई., (26 वर्ष)	22.10.81	48	कार्यपालक इंजीनियर, आई.डी.पी.एल.
नागराजा के.एस. प्रबंधक	75,230	नियमित	बी.ई. (सिविल), एम.टैक. (वाटर रिसोर्सिस इंजी.) (11 वर्ष)	16.5.77	34	—
नागराज एच.आर. मुख्य इंजीनियर	1,02,957	नियमित	ए.एम.आई.ई. (सिविल) (32 वर्ष)	19.9.83	56	ज़ोनल प्रबंधक, एन.पी.सी.सी. लिमिटेड
नागभूषण के.एम. मुख्य इंजीनियर	83,693	नियमित	बी.ई. (सिविल) (33 वर्ष)	31.3.80	55	उप निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग
नायडू बी.एस.के. मुख्य इंजीनियर	1,04,200	नियमित	बी.ई. (ऑनर्स) मैक., एम.टैक. (हाइडल) एम.आई.ए.एच.आर., एफ.आई.ई. (19 वर्ष)	28.2.82	43	प्रबंधक, बी.एच.ई.एल.
नाम्बियार कर्नल एन.पी.के. मुख्य इंजीनियर	73,522	नियमित	बी.ई. (सिविल) एम.आई.ई. (36 वर्ष)	21.7.80	58	भारतीय सेना में ले. कर्नल

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री						
नन्द गोपाल मुख्य इंजीनियर	1,04,485	नियमित	बी.ई. (सिविल) एम.ई. (स्ट्रक्चर्स) (22 वर्ष)	3.4.80	47	उप प्रबंधक, टी.एस.पी. लिमिटेड, तुंगभद्रा बांध
नारंग एस.एम. वरिष्ठ प्रबंधक	87,175	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (सिविल) (22 वर्ष)	14.2.79	45	सहायक निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग
नारायणन ब्रिगे. पी.एन.एस. कार्यपालक निदेशक	1,13,182	नियमित	डिग्री इन सिविल इंजी. एम.आई.ई. (36 वर्ष)	30.3.81	57	मुख्य इंजीनियर, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली
नाथ डी. उप प्रबंधक	84,173	नियमित	बी.एस.सी. (विद्युत इंजी.) (12 वर्ष)	4.2.83	37	सहायक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
नीमा एस.के. प्रबंधक	77,142	नियमित	बी.ई. (विद्युत) डिप्लोमा इन बिज़नेस मैनेजमेंट (17 वर्ष)	16.7.84	44	सहायक प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम
ओझा आर.एन. प्रबंधक	76,105	नियमित	बी.ए. (22 वर्ष)	13.7.78	45	कल्याण अधिकारी, ब्रिटेनिया इंजी. वर्क्स, पटना
प्रभाकर आर.डी. वरिष्ठ प्रबंधक	79,321	नियमित	एम.एस.सी. (इंजी.) (विद्युत) (18 वर्ष)	31.3.79	41	सहायक कार्यपालक इंजीनियर, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड
प्रसाद वी.बी. वरिष्ठ प्रबंधक	74,840	नियमित	बी.एस.सी., बी. टैक. (विद्युत) (23 वर्ष)	11.4.81	45	कार्यपालक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
प्रसादा राव पी.डी. मुख्य इंजीनियर	1,24,253	नियमित	बी.ई. (ऑनर्स) (सिविल) (25 वर्ष)	23.6.80	49	उप निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग
राज कुमार उप प्रबंधक	78,080	नियमित	बी.ई. (विद्युत) (12 वर्ष)	4.3.83	34	सहायक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
रैना ए.एच. कार्यपालक निदेशक	1,00,546	नियमित	बी.ई. (विद्युत) (28 वर्ष)	15.5.78	58	अधीक्षक इंजीनियर, सलाल जल-विद्युत परियोजना, भारत सरकार
रैना वाई.के. वरिष्ठ प्रबंधक	78,114	नियमित	बी.ई. (सिविल) (27 वर्ष)	31.12.79	50	कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, जम्मू व कश्मीर
राममूर्ति ए.आर. प्रमुख	89,255	नियमित	बी.ए., ए.आई.सी.डब्लू.ए., ए.सी.एस. (35 वर्ष)	11.8.78	52	वरिष्ठ सहायक प्रबंधक, एफ.सी.आई.
रामन एन.वी. कम्पनी सचिव व प्रमुख (विधि)	1,21,094	नियमित	बी.ए., एल.एल.बी., जी.डी.सी.एस., ए.सी.एस., आई.सी.डब्लू.ए. (इंटर), डिप्लोमा इन लेबर लॉज़ (32 वर्ष)	15.12.78	51	उप कम्पनी सचिव, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
रामम टी.वी. प्रबंध	75,755	नियमित	बी.ई. (सिविल) (17 वर्ष)	26.3.80	40	अतिरिक्त सहायक निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग
रमेश चन्द्रा प्रबंधक	72,403	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (सिविल) (17 वर्ष)	16.10.78	40	सहायक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग
राव जी.एल.एन. उप प्रबंधक	86,573	नियमित	एस.ए.एस. (34 वर्ष)	26.5.80	52	अनुभाग अधिकारी, सी.ए.जी. ऑफ़ इंडिया का कार्यालय
राव पी.एल. मुख्य इंजीनियर	93,308	नियमित	ए.एम.आई.ई. (29 वर्ष)	12.3.81	50	डिविजनल इंजीनियर, पुनर्वास उद्धार संगठन, पुनर्वास विभाग, भारत सरकार
राबर्टसन जे.एच. वरिष्ठ प्रबंधक	76,633	नियमित	बी.ई. (मैक.) (19 वर्ष)	11.10.78	43	सहायक कार्यपालक इंजीनियर, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड
सचदेव एच.एस. प्रबंधक	82,315	नियमित	बी.ए. (38 वर्ष)	19.9.79	57	ऊर्जा राज्य मंत्री के निजी सचिव
सीतारामन एन. उप कम्पनी सचिव	76,233	नियमित	बी.ए., एल.एल.बी., ए.सी.एस. (30 वर्ष)	26.11.79	50	वरिष्ठ निजी सहायक, योजना आयोग
सहगल आर.एल. वरिष्ठ प्रबंधक	79,539	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर	बी.एस.सी., एल.सी.ई., ए.एम.आई.ई., एफ.आई.ई. (30 वर्ष)	11.4.88	53	अधीक्षक इंजीनियर, हरियाणा विद्युत बोर्ड
सहगल एस.सी. प्रबंधक	76,543	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (सिविल) (18 वर्ष)	7.11.80	41	सहायक इंजीनियर, चुखा हाइडल परियोजना
सेन एस.सी. कार्यपालक निदेशक	1,25,812	नियमित	बी.ई. (सिविल) एफ.आई.ई. (33 वर्ष)	31.8.84	54	मुख्य इंजीनियर, असम राज्य विद्युत बोर्ड

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री						
शर्मा बी.के. मुख्य इंजीनियर	92,486	नियमित	बी. टैक. (सिविल), एम. टैक. (सॉयल मैक. एण्ड फाउंडेशन इंजी.)	18.7.81	48	रिसर्च इंजीनियर, इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कार्लसरूहे (पश्चिमी जर्मनी)
शर्मा के.एन. प्रबंधक	88,138	नियमित	एम.ई. (सिविल) (हाइड्रो) (20 वर्ष)	14.4.81	43	लेक्चर्स इन सिविल इंजी. एम.आर. इंजी. कालेज, जयपुर
शर्मा कुल्तार वरिष्ठ प्रबंधक	74,360	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (ऑनर्स) (सिविल) (22 वर्ष)	23.5.77	40	एस.डी.ओ., लोक निर्माण विभाग, पंजाब
शर्मा ओ.पी. मुख्य इंजीनियर	1,17,644	नियमित	बी.एस.सी. (इंजी.) (सिविल) (27 वर्ष)	15.5.78	51	कार्यपालक इंजीनियर, सलाल जल विद्युत परियोजना
शर्मा आर.के. वरिष्ठ प्रबंधक	83,751	नियमित	बी.ई. (विद्युत) पी.जी. डिप्लोमा इन इलै. इंजी., डिप्लोमा इन मार्किटिंग मैनेजमेंट (20 वर्ष)	31.8.78	42	सहायक इंजीनियर, ब्यास परियोजना, चण्डीगढ़
शर्मा वाई.के. प्रबंधक	83,582	नियमित	बी. टैक. (20 वर्ष)	8.12.80	43	सहायक पर्यवेक्षक, यू.पी. स्टेट एग्रो. इंड. कार्पोरेशन लि.
शशि चावला प्रबंधक	82,711	एन.टी.सी. (यू.पी.) लि. से प्रतिनियुक्ति पर	बी.ए. (डिप्लोमा इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेंट) (18 वर्ष)	21.8.87	40	—
सिंह बी.आर. उप प्रबंधक	76,712	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (विद्युत) (18 वर्ष)	2.8.77	44	सेक्शनल अधिकारी, ब्यास निर्माण बोर्ड
सिंह जी.पी. महा प्रबंधक	94,069	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर	बी.एस.सी. इंजी. (विद्युत) (29 वर्ष)	26.11.87	52	वरिष्ठ प्रबंधक (हाइड्रो) केन्या लाइटिंग कं॰
सिंह लाभ प्रबंधक	85,973	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर	बी.एस.सी. इंजी. (सिविल) (24 वर्ष)	17.6.86	46	कार्यपालक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
सिंह के.पी. प्रबंधक	73,650	नियमित	बी.ई. (विद्युत) (17 वर्ष)	11.3.80	41	सहायक निदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
सिंह नैन उप प्रबंधक	73,703	नियमित	बी.ई. (विद्युत) (8 वर्ष)	2.5.86	34	—
सिंह मेजर आर.डी.पी. वरिष्ठ प्रबंधक	92,806	नियमित	बी.एस.सी. (इंजी.) (सिविल) (22 वर्ष)	21.3.79	45	भारतीय सेना में मेजर
सिंह कुंवर प्रितपाल मुख्य इंजीनियर	91,900	नियमित	बी.ई. (सिविल) (32 वर्ष)	1.12.77	55	अधीक्षक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, जम्मू व कश्मीर
सिन्हा बी.एस.पी. प्रमुख	1,18,840	नियमित	बी.ए., एम.आई.एम.एम. (यू.के.) (26 वर्ष)	3.6.81	49	प्रबंधक, बी.एच.ई.एल.
सरकेक जे.के. प्रबंधक	87,450	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर	बी.एस.सी. इंजी. (मैक.) (24 वर्ष)	4.5.87	47	कार्यपालक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
सुब्रामणि सी.जी. मुख्य इंजीनियर	1,08,006	नियमित	बी.ई. (सिविल) एम.आई.ई. (28 वर्ष)	3.10.79	51	कार्यपालक इंजीनियर, बार्डर रोड्स डिपार्टमेंट
सूरी बी.एल. मुख्य इंजीनियर	96,334	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (विद्युत) पी.जी. डिप्लोमा इन बिज़नेस मैनेजमेंट (29 वर्ष)	12.7.82	52	अधीक्षक इंजीनियर विद्युत पी.डी.डी., जम्मू व कश्मीर
टहिलियानी टी.सी.ए. प्रबंधक	81,698	नियमित	एम.एस.सी. (इंजी.) (विद्युत) (17 वर्ष)	4.5.78	43	सहायक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
तनेजा एस.के. प्रबंधक	92,339	पंजाब सरकार से प्रतिनियुक्ति पर	बी.ई. (सिविल) (27 वर्ष)	13.8.82	52	एस.डी.ई. सिंचाई व विद्युत विभाग, पंजाब
टैथर जी.सी. उप प्रबंधक	72,917	नियमित	बी.ई. (विद्युत) (16 वर्ष)	29.6.84	37	सहायक इंजीनियर, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड
त्रेहान पी.एस. प्रबंधक	76,527	नियमित	ए.एम.आई.ई. (मैक.) (21 वर्ष)	6.10.80	44	एस.डी.ओ. पंजाब सिंचाई विभाग

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री						
विनोद गुलाटी प्रमुख	1,01,532	नियमित	ए.एम.आई.ई. (मेक.), पी.जी. इन एडवांसड इलै. एण्ड मेक. इंजी (22 वर्ष)	1.3.80	42	भारतीय सेना में मेजर
विश्वनाथन एन. मुख्य इंजीनियर	1,19,578	नियमित	एम.ई. (सिविल) पावर इंजी. (25 वर्ष)	17.9.79	49	सहायक मुख्य इंजीनियर, त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लि.
वैंक्टेश सी.आर. मुख्य इंजीनियर	1,15,480	नियमित	बी.ई. (सिविल) एम.ई. (स्ट्रक्चर्स) (13 वर्ष)	29.10.81	44	वैज्ञानिक, सीमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट
योगेन्द्रा प्रसाद मुख्य इंजीनियर	92,009	नियमित	बी.एस.सी. इंजी. (विद्युत) (20 वर्ष)	10.5.78	44	सहायक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
यादवेंद्रा आर.के. मुख्य इंजीनियर	98,283	नियमित	एम.एस.सी. (मैक. इंजी.) एम.बी.ए. (23 वर्ष)	1.1.82	47	उप निदेशक, विकास आयुक्त (एस.एस.एस.आई.) का कार्यालय
जुतशी के.एल. मुख्य इंजीनियर	1,00,594	नियमित	बी.ई. (सिविल) एम.टैक. (27 वर्ष)	15.5.78	51	कार्यपालक इंजीनियर सलाल परियोजना

(ख) उन कर्मचारियों का ब्यौरा जिन्होंने आंशिक वित्तीय वर्ष के लिए काम किया और जिनका पारिश्रमिक 6,000/- रुपए प्रतिमास से कम नहीं था।

अग्रवाल सी.एल. मुख्य परियोजना प्रबंधक	46,907	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर	बी. टैक. (ऑनर्स) एम.एस.सी. इंजी. (विद्युत) (22 वर्ष)	8.2.86	50	अधीक्षक इंजीनियर, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड
घोष एम.के. मुख्य इंजीनियर	90,545	नियमित	बी.ई. (सिविल) (28 वर्ष)	23.2.79	50	कार्यपालक इंजीनियर, बार्डर रोड्स आर्गेनाइजेशन
ओबराय बी.आर. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	32,459	सरकारी नियुक्ति	एम.आई.ई. (इंडिया) पी.जी. (इलै. इंजी.) डिप्लोमा इन बिज़नेस मैनेजमेंट (35 वर्ष)	28.2.85	57	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एन.पी.सी.सी. लिमिटे
सारभाई ओ.पी. निदेशक (कार्मिक)	61,436	सरकारी नियुक्ति	बी.एस.सी., एम.ए. (इको.), एल.एल.बी., एम.ए. (सोशियल वर्क विद स्पेशलाइज़ेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, स्पेशेलाइजेशन इन पर्सनल (34 वर्ष)	5.8.85	58	उप महाप्रबंधक, बी.एच.ई.एल.
हाई एम.ए. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	5,189	सरकारी नियुक्ति	बी.ई. मैक. (33 वर्ष)	10.3.89	54	निदेशक (तकनीकी) एन.टी.पी.सी.

टिप्पणियां:

(1) उपरोक्त कर्मचारी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अर्थों की दृष्टि से निगम के किसी निदेशक के संबंधी नहीं हैं।

(2) नौकरी की शर्तें वही हैं जो समय-समय पर यथास्थिति, लागू सरकारी/कारपोरेशन के नियमों एवं अधिनियमों द्वारा निर्धारित होती हैं।

(3) उपरोक्त सूची में निर्दिष्ट पदनाम कर्मचारियों द्वारा अदा की गई ड्यूटियों के प्रकार को दर्शाते हैं।

(4) (क) "पारिश्रमिक" में ये बातें शामिल हैं—कारपोरेशन द्वारा लीज़ पर लिए गए आवास की लागत, जहां लागू हो, भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान आदि।

(ख) ग्रेच्यूटी राशि को नहीं गिना गया है क्योंकि उसकी व्यवस्था जीवन बीमा निगम से तय ग्रेच्यूटी तथा जीवन बीमा पालिसी के आधार पर की गई है।

(ग) विदेश में तैनात कर्मचारियों के मामले में पारिश्रमिक में विदेशी भत्ता भी शामिल है।

(5) उपर्युक्त कर्मचारियों में से, चाहे वे पूरे वित्त वर्ष या उसके भाग के लिए कार्यरत रहे और औसतन पारिश्रमिक उसी हिसाब से, या जैसा भी मामला हो, लेते रहे जो प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक द्वारा लिया गया था, से औसतन अधिक है। यह उनके या उनके पति/पत्नी या आश्रित बच्चों सहित लिए गए कम्पनी के इक्विटी शेयरों के दो प्रतिशत से कम नहीं था।

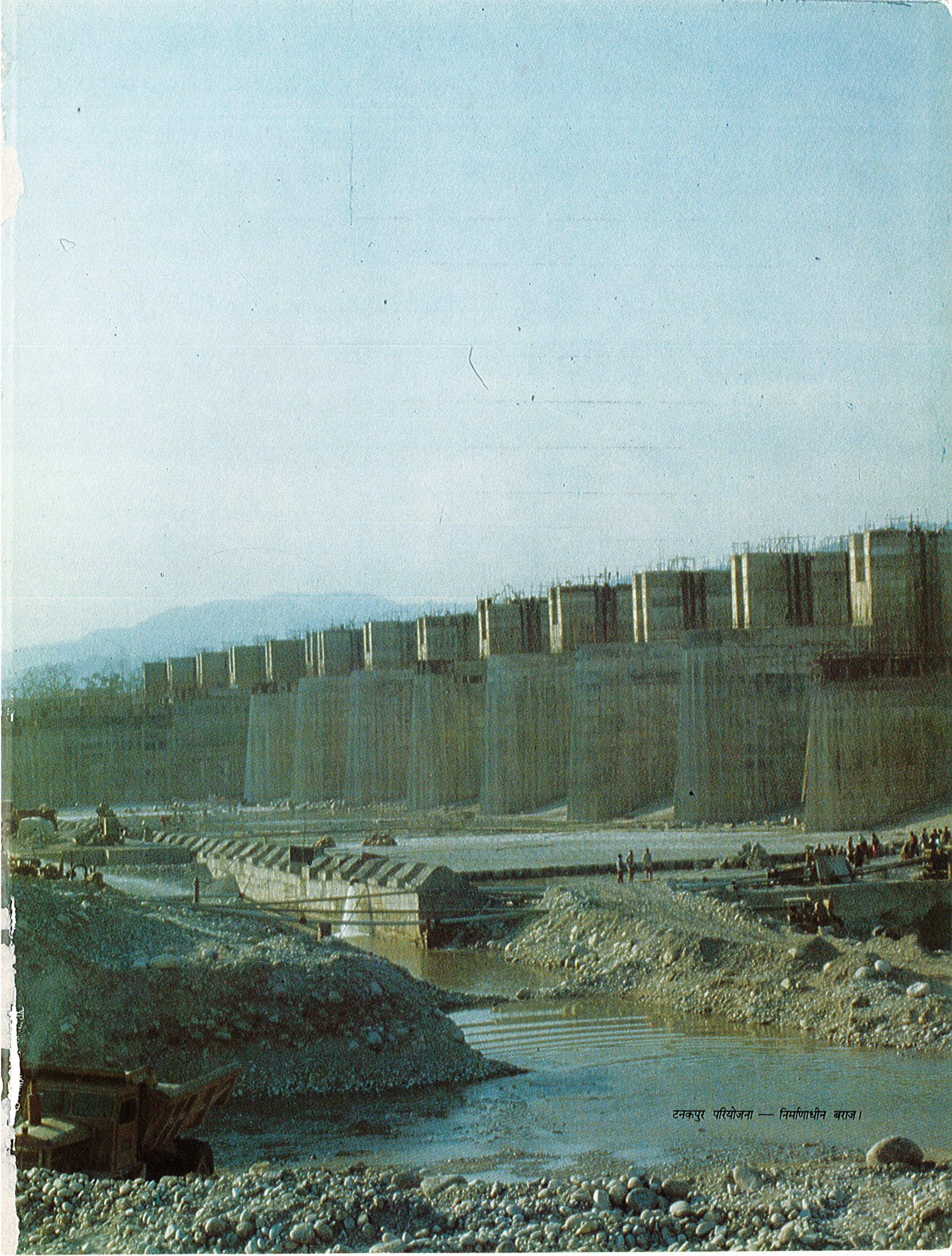

टनकपुर परियोजना — निर्माणाधीन बराज।